AUGUST Current Affairs (e- Magazine)

Index:

Topic	Page
Polity	2-17
Programme & Schemes	17-19
Economics	19-40
Geography , Environment & Ecology	40-52
Science and Technology	52-61
International Relation & International events	61-66
National Issues	66-84
Social & Women relate Issue	84-88
Disaster Management	88-90
Internal Security	91-
Miscellaneous	

GShindi.com

Polity

1.सरोगैसी पर प्रस्तावित बिल को मंज़ूरी: अविवाहित और विदेशी लोग सरोगेसी न करा पाएंगे

भारत सरकार ने किराए पर कोख यानी सरोगैसी पर जिस प्रस्तावित बिल को मंज़ूरी दी है उसके मुताबिक व्यवसायिक सरोगैसी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.

इस प्रस्तावित बिल में सरोगैसी को लेकर नए प्रावधान लाए गए हैं.

1. विदेशी नागरिकों को भारत में सरोगेसी कराने की अनुमति नहीं होगी.
2. इसके अनुसार अगर कोई दंपत्ति सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को नहीं अपनाता, तो उन्हें 10 साल तक की जेल या 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
3. सरोगेसी को लेकर भारत में कोई कानून नहीं है. आरोप लगते हैं कि इसके कारण कई गरीब महिलाओं का शोषण होता है.
4. “ये कानून व्यवसायिक सरोगेसी पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए और परोपकारी सरोगेसी को नियमित करने के लिए लाया जा रहा है.”
5. किसी महिला को पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार सरोगेट मां बनने की इजाज़त होगी.
6. सरोगेसी से हुए बच्चे अपनाने वाले दंपत्ति के लिए महिला की उम्र 23 और 50 वर्ष के बीच और पुरुष की उम्र 26 और 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
7. सरोगेट महिला बनने के लिए उसका विवाहित होना और एक स्वस्थ्य बच्चे की मां होना ज़रूरी होगा.
8. सरोगेसी क्लीनिक का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होगा. अगर क्लीनिक सरोगेट मां की उपेक्षा करता है या फिर पैदा हुए बच्चे को छोड़ने में हिस्सा लेता है तो क्लीनिक चलाने वालों पर 10 वर्ष की सज़ा और 10 लाख तक का ज़ुर्माना लग सकता है.
9. सरोगेसी की अनुमति नज़दीकी रिश्तेदार को दी गई है. सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को सभी कानूनी अधिकार होंगे.
10. प्रस्तावित कानून के अनुसार सरोगेसी की अनुमति तभी दी जाएगी जब दंपत्ति में से कोई भी पार्टनर बांझपन का शिकार हो, जिसके कारण दंपत्ति अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते हों.

GShindi.com

11. सरोगेसी के लिए दंपत्ति की शादी को कम से कम पांच साल हो जाने चाहिए. अगर दंपत्ति का कोई अपना बच्चा हो या फिर उन्होंने कोई बच्चा गोद ले रखा हो, तो उन्हें सरोगेसी की इजाज़त नहीं होगी.

12. इस बिल को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा. इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा और और उसके नीचे केंद्र और राज्यों में बोर्ड होंगे.

राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड के प्रमुख स्वास्थ्य मंत्री होंगे और तीन महिला सांसद इसकी सदस्य होंगी। दो सांसद लोकसभा से होंगी और एक राज्य सभा से होंगी।

2.आईपीसी की धारा 124 (ए): देशद्रोह

क्या है IPC Section 124 A

आईपीसी की धारा 124 (ए) के तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिन पर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप होता है| जेएनयू छात्रसंघ के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को आईपीसी की धारा 124 (ए) के तहत देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया है

=>क्या है देशद्रोह :

भारतीय कानून संहिता (आईपीसी) की धारा 124(A) में देशद्रोह की दी हुई परिभाषा के मुताबिक

१. अगर कोई भी व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है

२. ऐसी सामग्री का समर्थन करता है

३. राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है

४. अपने लिखित या फिर मौखिक शब्दों, या फिर चिन्हों या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत फैलाने या फिर असंतोष जाहिर करता है, तो उसे आजीवन कारावास या तीन साल की सजा हो सकती है. GS Hindi

=>"कहां से आया नियम"

- देशद्रोह पर कोई भी कानून 1859 तक नहीं था .इसे 1860 में बनाया गया और फिर 1870 में इसे आईपीसी में शामिल कर दिया गया.

Gshindi.com

- सैडीशन लॉ यानि देशद्रोह कानून ब्रिटिश सरकार की देन है। आजादी के बाद इसे भारतीय संविधान ने अपना लिया।

=>सबसे पहले इस्तेमाल:-

- 1870 में बने इस कानून का इस्तेमाल ब्रितानी सरकार ने बालगंगाधर तिलक के खिलाफ किया था।

=>विरोधाभास भी :- धारा को हटाने की मांग क्यों?

- देशद्रोह के कानून को लेकर संविधान में विरोधाभास भी है, जिसे लेकर अक्सर विवाद उठते रहे हैं।
- दरअसल, जिस संविधान ने देशद्रोह को कानून बनाया है, उसी संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार बताया गया है।
- मानवाधिकार और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता इसी तर्क के साथ अपना विरोध जताते रहे हैं और आलोचनाएं करते रहे हैं। GS Hindi
- मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि देशद्रोह से जुड़े कानून की आड़ में सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करती है.
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस कानून की कड़ी आलोचना होती रही है और इस बात पर बहस छिड़ी है कि अँग्रेज़ों के ज़माने के इस क़ानून की भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जगह होनी भी चाहिए या नहीं.

3.सहयोगात्मक संघवाद: पिछले दो सालों में केंद्र से राज्यों को मिली राशि

केंद्र सरकार के अनुसार 14वें वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर राज्य को ज्यादा टैक्स शेयर (32 फीसदी से 42 फीसदी तक) मिलेगा और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों पर करने के लिए उसके पास अधिक संसाधन होंगे.

केंद्र के सिफारिश के बाद राज्यों को कितना टैक्स मिलेगा?

- 39,081करोड़ रुपये :- 2014-15 और 2015-16 में राज्यों को टैक्स के रूप में दिया गया.
- 2014-15 के 15,098 करोड़ रुपये तुलना में 2015-16 में 23,983 करोड़ रुपये दिये गये.
- राज्य के कुल खर्च में केंद्र से मिलने वाली राशि और राज्य के खुद के संसाधन शामिल होते हैं. केंद्र सरकार राज्यों को उसकी जरूरत को देखते

हुए, योजनाओं की तात्कालिकता, योजनाओं को लागू करने की दशा को देखकर फंड जारी करता है.

- 6,582 करोड़ रुपये:- अनुदान राशि इसी अवधि के दौरान दी गई. यह अनुदान ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को मिली.
- 14वें वित्त आयोग ने 2015-2020 के लिए 2,87,436 करोड़ रुपये की राशि सिफारिश की है.
- हालांकि, 2014-15 में जहां 3,465 करोड़ रुपये दिये गये वहीं 2015-16 में यह राशि घट गई और 3,387 करोड़ दिये गये.
- 21,365 करोड़ रुपये राज्य की योजनाओं के लिए इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार ने दी.
- केंद्रीय सहायता गाडगिल-मुखर्जी सूत्र के आधार पर दिया जाता है. इस सूत्र को चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था और इसमें संशोधन होता रहता है. किस राज्य को कितनी राशि मिलनी चाहिए इसका निर्धारण नीति आयोग करता है और वित्त मंत्रालय इसे 12 महीनों की किस्तों में जारी करता है. इस राशि को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के अलावा दिया जाता है.
- हालांकि, 2014-15 में जहां 11,828 करोड़ रुपये दिये गये वहीं 2015-16 में 9,535 करोड़ रुपये दिये गये.
- 54,671 करोड़ रुपये :- अरुणाचल प्रदेश को 2015-16 में केंद्र सरकार की ओर से मिला. इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्रीय सहायता और अनुदान शामिल हैं. सभी राज्यों में सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश को मिला.
- अरुणाचल के अलावा मिजोरम को 37,222 करोड़, सिक्किम को 37,322 और नागालैंड को 30,920 करोड़ रुपये मिले.
- 3,005 करोड़ रुपये :- हरियाणा राज्य को 2015-16 में मिला. किसी भी राज्य को मिली यह सबसे कम राशि है.
- हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र को 3,351 करोड़, गुजरात को 3,415 करोड़ और पंजाब को 3,694 करोड़ रुपये मिले.

Gshindi.com

- केंद्रीय अनुदान उत्तर-पूर्व के राज्यों को ज्यादा मिलता क्योंकि ये पहाड़ी इलाके औद्यौगिक विकास से दूर और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं.

4.बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक 2016 :- 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर होगी जेल

संसद ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने और 18 साल तक के किशोरों से खतरनाक क्षेत्रों में काम लेने पर रोक के प्रावधान वाले बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 को पारित कर दिया।

★ इस विधेयक के पारित होने पर भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की दो संधियों का अनुमोदन कर सकेगा।

=>बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करना उद्देश्य

★ इसका मकसद बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करना है। इस विधेयक में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने पर पूर्ण रोक का प्रावधान किया गया है। यह संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों पर लागू होता है।

=>शिक्षा के अधिकार से जोड़ा गया विधेयक: इसे शिक्षा का अधिकार, 2009 से भी जोड़ा गया है और बच्चे अपने स्कूल के समय के बाद पारिवारिक व्यवसाय में घर वालों की मदद कर सकते हैं।

'=>मानसिकता बदलने की जरूरत'

★कोई भी परिवार जिस पृष्ठभूमि और पेशे में है, उस परिवार का बच्चा भी उसी पेशे को अपनाये यह जरूरी नहीं है। गरीब का बच्चा भी अच्छे स्थान या पद को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर मानसिकता बदलने की जरूरत है।

=>विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन पर कड़ी सजा

★ इस विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन पर सख्त सजा का प्रस्ताव किया गया है। पहले के प्रावधानों के मुताबिक 10 हजार से 20 हजार रुपए तक का जुर्माना और तीन महीने से एक साल तक की सजा हो सकती थी। लेकिन इस संशोधन विधेयक में सजा को और सख्त करते हुए 20 हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माना का प्रस्ताव किया गया है।

Gshindi.com

=>कब, कितनी सजा:इसके साथ ही पहली बार अपराध होने पर छह महीने से दो साल की सजा का प्रस्ताव किया गया है जबकि दूसरी बार अपराध के मामले में एक साल से तीन साल तक की सजा का प्रस्ताव है।

=>बच्चों के कल्याण और उनके कौशल विकास पर जोर: विधेयक में बच्चों के कल्याण और उनके कौशल विकास पर भी जोर दिया गया है तथा राज्य सरकारों को भी इससे जोड़ा जाएगा। यह विधेयक लाने से पहले 'बचपन बचाओ आंदोलन' जैसे प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों से भी विचार विमर्श किया गया।

=>मुख्य उद्देश्य :- बच्चे पढ़ाई करें काम नहीं

- इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य 14 साल तक के किसी भी बच्चे का किसी कारखाने, किसी प्रतिष्ठान, किसी दुकान, किसी मॉल आदि में श्रमिक के रूप में काम करना निषेध किया गया है।
- इसके साथ ही विधेयक के प्रावधानों के तहत कानून को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून 2009 से जोड़ा गया है। बच्चा स्कूल जाए, इसलिए कानून को आरटीई से जोड़ा है।

=>कठिन कार्यों में श्रम निषेध इसके जरिये 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों, जिन्हें किशोर कहा जाता है, की नयी परिभाषा दी गई है। इनके लिए भी कठिन कार्यो में श्रम को निषेध किया गया है।

=>पुनर्वास कोष का प्रावधान

इसमें कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया है। इसके उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाया गया है। इसके साथ ही बच्चों के लिए पुनर्वास कोष का प्रावधान किया गया है जिसे बालक किशोर कोष कहा गया है।

5.चार राज्यों में नए राज्यपालों का ऐलान, नजमा हेपतुल्ला बनीं मणिपुर की गवरनर

- चार राज्यों में नए राज्यपालों के नाम का ऐलान कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री **नजमा हेपतुल्ला को मणिपुर** का राज्यपाल नियुक्त किया गया जबकि पूर्व राज्यसभा सदस्य **वीपी सिंह बडनोरे पंजाब** के राज्यपाल बने।

- नागपुर से तीन बार सांसद रह चुके दैनिक 'द हितवाद' के प्रबंध संपादक **बनवारीलाल पुरोहित असम** के राज्यपाल बनाए गए।
- दिल्ली के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक **प्रो. जगदीश मुखी अंडमान निकोबार द्वीपसमूह** के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। हेपतुल्ला, बडनोरे, पुरोहित और मुखी चारों भाजपा से जुड़े रहे हैं।
- हेपतुल्ला (76) ने पिछले महीने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रियों के लिए 75 साल की समयसीमा' तय कर रखी है और इसी के चलते लालकृष्ण आडवाणी एवं मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को कैबिनेट से बाहर रखा है। उन्हें 'मार्गदर्शक मंडल' में शामिल किया गया है।
- मेघालय के राज्यपाल वी. षणमुगनाथम मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए थे।
- मुखी (73) को लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) के स्थान पर अंडमाण निकोबार द्वीपसमूह का उप राज्यपाल बनाया गया है.

6.बेनामी संपत्ति रखी तो होगी 7 साल की जेल, संशोधन बिल मंजूर

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधन) कानून 2016 पर हस्ताक्षर कर इसे हरी झंडी दे दी है। इसके मुताबिक अब बेनामी संपत्ति रखने वालों को सात साल तक कठोर कारावास की सजा और जुर्माना हो सकता है। इससे जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में कालेधन के प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

बेनामी संपत्ति क्या है :-

- नए कानून के तहत वह संपत्ति बेनामी मानी जाएगी जो किसी और व्यक्ति के नाम हो या हस्तांतरति की गई हो, लेकिन उसका प्रावधान या भुगतान किसी अन्य व्यक्ति ने किया हो। इस तरह का सौदा बेनामी संपत्ति के प्रावधान या भुगतान करने वाले को तत्काल या भविष्य में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया होता है।
- बेनामी लेनदेन कानून 1988 में संशोधन के लिए इस विधोयक को पिछले साल 13 मई को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश

किया था। उसके बाद उसे वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति ने इस पर अपनी रिपोर्ट 28 अप्रेल को दी। लोकसभा ने इस विधेयक को 27 जुलाई को पास किया और राज्यसभा ने 2 अगस्त को इसे मंजूरी दी।

नए कानून में क्या क्या विशेष :-

- नए कानून में दोषी व्यक्ति को एक साल से सात साल तक के कठोर कारावास की सजा मिल सकती है। इसके उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। यह उस संपत्ति के बाजार मूल्य के 25 फीसद तक हो सकता है। पुराने कानून में तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान था।
- नए कानून में ऐसे लेनदेन के बारे में जानबूझ कर गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
- ऐसा करने पर कम से कम छह महीने और अधिकतम पांच साल के कठिन कारावास की सजा के साथ उस संपत्ति के बाजार मूल्य के हिसाब से दस फीसद तक राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- नए कानून में कोई भी कानूनी कार्रवाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना शुरू नहीं की जाएगी। नए कानून की मदद से रीयल एस्टेट क्षेत्र में कालेधन के प्रवाह पर नजर रखने में मदद मिलेगी। इस कानून में एक प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है जो इस कानून के तहत जब्त की जाने वाली संपत्तियों का प्रबंधन करेगा।
- इस नए कानून के मुताबिक इस कानून के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार एक या एक से अधिक सत्र अदालत या विशेष अदालतें निर्धारित कर सकती हैं।

7.कारखाना संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित

लोकसभा ने कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की ओवरटाइम की अवधि को 50 से बढ़ाकर 100 घंटे करने का प्रावधान किया गया है और यह स्वैच्छिक होगा।

Gshindi.com

- विधेयक में संबंधित संशोधन लाना समय की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया आदि के लिहाज से निवेश बढ़ाने के लिए बड़ी श्रमशक्ति चाहिए होगी। ये संशोधन तत्काल जरूरी थे और बाद में समग्र विधेयक को सदन में लाया जाएगा।
- विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने और संघीय ढांचे पर हमला करने के विभिन्न सदस्यों के आरोपों पर अपने जवाब में सरकार ने कहा कि हम किसी के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर रहे है और विधेयक के उद्देश्य में स्पष्ट है कि यह राज्यों के साथ केंद्र को अधिकार प्रदान करेगा।
- इस विधेयक के तहत क्रियान्वयन के अधिकार और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्यों के पास ही रहेगी। उन्होंने कहा कि विधेयक में कई सुरक्षा मानक हैं।

8.आत्महत्या पर नयी दृष्टि: मानसिक बीमारी से ग्रस्त मान कर उसके उपचार की व्यवस्था की जायेगी

देश में हर साल करीब सवा लाख लोग अलग-अलग कारणों से आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं. नये आंकड़े बताते हैं कि आत्महत्या करनेवालों में नौजवानों की तादाद लगातार बढ़ी है.

- 2014 में आत्महत्या करनेवालों में 14 से 30 साल की उम्र के लोगों की संख्या करीब 40 फीसदी थी.
- अगर आत्महत्या की कोशिश को कानूनन जुर्म माना जाये, तो कहा जा सकता है कि आत्महत्या में विफल रहने पर नौजवानों की यह बड़ी तादाद धारा 309 के तहत अधिकतम एक साल के लिए जेल जाती.
- यह कानूनी प्रावधान दर्द से कराहते किसी व्यक्ति पर और ज्यादा कोड़े बरसाने जैसा था. आत्महत्या के प्रसंग में कानून की इसी विसंगति को दूर करने के लिए देश की विधायिका ने सराहनीय कदम उठाया है.
- राज्यसभा में पारित मेंटल हेल्थकेयर बिल के अंतर्गत विधान किया गया है कि आत्महत्या की कोशिश को आपराधिक नहीं माना जायेगा, बल्कि ऐसे व्यक्ति को मानसिक बीमारी से ग्रस्त मान कर उसके उपचार की

Gshindi.com

व्यवस्था की जायेगी. जाहिर है, इस बिल के पारित होने से आत्महत्या के बारे में नीतिगत स्तर पर कहीं ज्यादा संवेदनशील तरीके से सोचने में मदद मिलेगी.

- यह सच है कि आत्महत्या करनेवाला अपनी जान लेने की कोशिश खुद ही करता है और बहुधा अपनी तरफ से यह लिख भी जाता है कि उसकी मौत का जिम्मेवार किसी और को न ठहराया जाये, लेकिन आत्महत्या करनेवाले व्यक्ति के तात्कालिक जीवन-परिवेश के तथ्य यह संकेत करने के लिए काफी होते हैं कि जान देने का फैसला चरम निराशा और असहायता की हालत में लिया गया.
- ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हर आत्महत्या में एक अनकही शिकायत भी दर्ज होती है कि देश और समाज जान देनेवाले व्यक्ति के लिए अर्थपूर्ण एवं मानवीय गरिमा के अनुकूल जीवन जीने के हालात तैयार करने में असफल रहा. हालांकि, शायद यह मानकर कि व्यक्ति के जीवन पर सिर्फ उसका ही अधिकार नहीं होता, बल्कि उस पर समाज का भी कुछ नैतिक अधिकार होता है या होना चाहिए, भारतीय कानून में आत्महत्या के प्रयास को आपराधिक ठहराया गया था. लेकिन, ऐसे कानूनी प्रावधान से एक विचित्र स्थिति जन्म लेती है.

इससे आत्महत्या करनेवाले पर यह दबाव होता था कि वह जान देने के अपने प्रयास में यदि विफल रहा तो उसकी जगह समाज में नहीं, बल्कि जेल में होगी. ऐसे में नये बिल का पारित होना देश में मनोस्वास्थ्य की समझ के लिहाज से निश्चित ही एक प्रगतिशील कदम कहा जायेगा.

9.भारी जुर्माने से लैस मोटर यान संशोधन बिल को सरकार की मंजूरी

सरकार ने बहुप्रतीक्षित मोटर यान संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।

- इन प्रस्तावों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रूपए तक का जुर्माना और हिट एंड रन मामलों के लिए दो लाख रूपए का मुआवजा शामिल हैं।

- सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में 10 लाख रूपये तक के मुआवजे का प्रावधान विधेयक में किया गया है।
- 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी। सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों निर्दोष लोगों की जान बचाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है।'
- विधेयक के प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं और इसमें निर्धारित गति से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- विधेयक के प्रावधानों के अनुसार बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर 2,000 रूपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल हो सकती है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 2,000 रूपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित हो सकता है।
- इस विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि किशोरों द्वारा वाहन चलाते समय सड़क दुर्घटना के मामले में वाहन मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जायेगा वहीं वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा। ऐसे मामले में 25 हजार रूपए का जुर्माना तथा तीन साल की सजा भी हो सकेगी।
- यातायात के उल्लंघनों पर 100 रूपए के बदले 500 रूपए का जुर्माना होगा वहीं प्राधिकारों के आदेशों का पालन नहीं करने पर न्यूनतम जुर्माना 2000 रूपए का होगा। पहले यह राशि 500 रूपए थी।
- लाइसेंस के बिना वाहन के अनधिकृत उपयोग पर पांच हजार रूपए के जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर जुर्माना एक हजार रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए कर दिया गया है।
- वहीं नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रूपए का जुर्माना होगा।
- ओवरलोडिंग की स्थिति में 20 हजार रूपए का जुर्माना होगा। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर एक हजार रूपए का जुर्माना होगा।

Gshindi.com

- मौजूदा मोटर यान कानून में 223 उपबंध हैं और विधेयक में 68 उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव है। विधेयक में 28 नए उपबंध शामिल किए जाने का प्रस्ताव है
- संशोधनों में सड़क सुरक्षा में सुधार, नागरिकों को सुविधा, ग्रामीण परिवहन को मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर है। उन्होंने कहा कि सरकार दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्याओं में 50 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- यह विधेयक इस मायने में काफी अहम है कि भारत में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें डेढ लाख लोगों की मौत हो जाती है।

10.Transgenders को अलग पहचान देने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश

ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अलग पहचान प्रदान करने और उनका शोषण करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था कायम करने के मकसद से लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया।

=>क्या खास है इस विधेयक में?

- यह विधेयक एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की व्याख्या और उनके खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्रन ने विधेयक को पेश करने का विरोध करते हुए कहा कि राज्यसभा द्वारा पारित इसी प्रकार का एक निजी विधेयक लोकसभा में लंबित है।
- विधेयक में प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रबंध किया गया है ताकि ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- इसके साथ ही ट्रांसजेंडरों को बंधुआ मजदूर या भीख मांगने के लिए मजबूर करने के दोषी लोगों को कम से कम छह महीने और अधिकतम दो साल की सजा तथा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

GShindi.com

- इसी प्रकार उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करने या उन्हें उनके घरों या गांवों से जबरन निकालने के दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ भी इसी प्रकार की सजा का प्रावधान है।

Fact to remember: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के छह लाख लोग हैं।

11.मानहानि का कानून सियासी हथियार नहीं बने

जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा, सरकार को भ्रष्ट या सही नहीं कहने वाले किसी भी व्यक्ति पर मानहानि मामला नहीं चलाया जा सकता।

- मानहानि मामलों को सरकारों की आलोचनाओं के खिलाफ राजनीतिक जवाबी हथियारों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- शीर्ष अदालत ने कहा, आलोचना के प्रति सहिष्णुता होना चाहिए। मानहानि मामले राजनीतिक जवाबी हथियार के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकते।
- सरकार या नौकरशाहों की आलोचना करने पर दर्ज मामले लोगें पर हतोत्साहित करने वाला प्रभाव डालते हैं।
- पीठ ने कहा कि मानहानि से जुड़े कानूनी प्रावधानों 499 और 500 को विरोध को दबाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि कई मानहानि मामले दायर करके लोगांे को परेशान करने का निरंतर प्रयास होता है तो अदालत को दखल देना चाहिए।

क्या है मामला : तिरुपुर की एक निचली अदालत ने बुधवार को मानहानि मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने पर विजयकांत और उनकी पत्नी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। मामला तिरुपुर जिले के लोक अभियोजक द्वारा इस आरोप पर दर्ज कराया गया था कि उन्होने जयललिता के खिलाफ झूठी टिप्पणियां कीं और 6 नवंबर 2015 को राज्य सरकार के कामकाज की आलोचना की।

12.भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लेगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को समाप्त करने तथा

Gshindi.com

उसकी जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) गठित करने का प्रस्ताव करने जा रही है।

"समिति ने एमसीआई को समाप्त कर उसकी जगह एनएमसी के गठन का सुझाव देने का फैसला किया है। एनएमसी भारतीय चिकित्सा परिषद की सभी जिम्मेदारियों को लेगा।

उद्देश्य-

1. इसके पीछे मुख्य मकसद देश में चिकित्सा के क्षेत्र के इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना है।
2. एनएमसी मुख्य नियामकीय निकाय बनेगा और एमसीआई की सभी कार्यों एवं जिम्मेदारी को संभालेगा।
3. इसके साथ नये निकाय में प्रख्यात डॉक्टर और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे जो देश में स्वास्थ्य शिक्षा को दिशा देने के बारे में सुझाव देंगे।
4. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप हो।

13.लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश

- पड़ोसी देश से आए शरणार्थियों को राहत प्रदान करने के वायदे को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पेश किया ताकि इन देशों के हिन्दू, सिख एवं अन्य अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जा सके चाहे उनके पास जरूरी दस्तावेज हो या नहीं।
- विधेयक के कारण और उद्देश्यों में कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कई भारतीय मूल के लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है लेकिन उनके पास भारतीय मूल के होने के सबूत उपलब्ध नहीं है।
- इसलिए उन्हें नागरिकता कानून के तहत नैसर्गिक नागरिकता के लिए 12 वर्ष तक देश में रहना जरूरी होता था।
- प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया ताकि वे 12 वर्ष की बजाए 7 वर्ष पूरा करने पर वे नागरिकता के पात्र हो सके।

Gshindi.com

14. भ्रष्टाचार पर संसदीय समिति :- काम के एवज में 'यौन सुख' की मांग भी रिश्वत है, भ्रष्टाचार की नयी परिभाषा

संसद की समिति ने भ्रष्टाचार के मामले में एक नए कानून को प्रस्तावित किया जिसके तहत किसी भी काम के एवज में 'यौन सुख' की मांग को भी रिश्वत ही माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा.

- भ्रष्टाचार विरोधी नए विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में राज्यसभा की प्रवर समिति ने विधि आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया है और प्रस्तावित कानून के एक प्रावधान में 'अनुचित लाभ' को शामिल करने की अनुशंसा की है ताकि कानूनी पारिश्रमिक से इतर यौन सुख समेत या किसी भी तरह से लाभ पहुंचाने को इसके दायरे में लाया जा सके.
- पहली बार संसदीय समिति ने कॉरपोरेट एवं उनके कार्यकारियों को प्रस्तावित भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत लाकर निजी क्षेत्रों की घूस को अपराध की श्रेणी में लाने की अनुशंसा की है.
- इसके अलावा समीति ने जुर्माने के साथ सात साल तक की सजा का प्रावधान भी किया है. इसके अलावा समिति ने घूस देने वालों के लिए सजा का सुझाव दिया है.
- इस कानून में घूसखोरी को भ्रष्टाचार निरोधक कानून-1988 के तहत कवर किया गया है. घूस लेने को परिभाषित करने का दायरा बढ़ाने और निजी क्षेत्र की घूसखोरी को कानून के तहत लाने के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक-2013 पेश करने का फैसला किया है.
- इस विधेयक में घूसखोरी संबंधी अपराधों को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल की गई शब्दावली 'वित्तीय या दूसरा लाभ' है.
- वहीं, पिछले साल नवंबर में कुछ संशोधन लाए गए थे, ताकि 'वित्तीय या दूसरा लाभ' के स्थान पर 'अनुचित लाभ' की शब्दावली को शामिल किया जा सके और इसके माध्यम से 'कानूनी दायरे से बाहर किसी तरह के लाभ' को दंडनीय बनाया जा सके.
- संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की प्रवर समिति ने विधेयक पर गौर किया और हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

Gshindi.com

- रिपोर्ट में कहा गया है, "समिति के सदस्य भी महसूस करते हैं कि प्रस्तावित संशोधनों में 'अनुचित लाभ' की शब्दावली का अभिप्राय आर्थिक और गैरआर्थिक के फायदों से है और ऐसा लगता है कि इसका दायरा इतन बड़ा है कि सुरक्षा एजेंसियां की ओर से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है."
- समिति ने चिंता जताई है कि प्रवर्तन या जांच एजेंसियां इस कानून की व्याख्या का दुरुपयोग नौकरशाहों और सिविल सोसायटी के लोगों को परेशान करने के लिए कर सकती हैं. उसने इस संदर्भ में उचित ऐहतियात बरतने की सलाह दी है.

15.एशिया में सबसे खराब है भारतीय नौकरशाही: रिपोर्ट

एशियाई महाद्वीप में भारतीय नौकरशाही सबसे खराब है. एशियाई विकास बैंक ने एशियाई महाद्वीप में बसे देशों में नौकरशाही को 1 से 10 के बीच रैंक देकर एक रिपोर्ट तैयार की है.

- ❖ इस रैंकिंग के मुताबिक 10वीं रैंक वाले देशों में सबसे खराब नौकरशाही का माहौल है. इस लिस्ट में भारतीय नौकरशाही को 9.21 रैंक दिया गया है.
- ❖ रिपोर्ट के मुताबिक भारत में व्यापारियों को नौकरशाहों से भ्रष्टाचार और आधारभूत सुविधाओं में सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
- ❖ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अधिकारियों के गलत फैसलों पर उनके खिलाफ कम ही कार्रवाई होती है. इससे वो अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं. औसत भारतीय और विदेशी निवेशकों में भी भारतीय नौकरशाही को लेकर नकारात्मकता देखने को मिलती है.
- ❖ इस रैकिंग में सिंगापुर में सबसे अच्छी नौकरशाही है जिसे 2.25 की रेटिंग मिली है. इसके बाद हांगकांग, थाईलैण्ड, जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया इसमें शामिल हैं.

Programs and Schemes

1.Game Changer सागरमाला परियोजना: एक करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार

Gshindi.com

केंद्र सरकार की 'सागरमाला' परियोजना देश के बंदरगाहों को ही नहीं, बल्कि देश की सीमाओं पर सेनाओं के परिवहन को भी आसान बनाएगी। वहीं इस परियोजना से देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा यानि 'सागरमाला' कार्यक्रम के जरिए देश में सभी बंदरगाहों का सड़क संपर्क हर साल 40 करोड़ रुपये की लागत को बचाएगा।

केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय की 70 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली 'सागरमाला' परियोजना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। देश में शुरू की गई 'सागरमाला' परियोजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने इससे संबन्धित कई अन्य योजनाओं को भी पटरी पर उतारा है।

सरकार का इस परियोजना के जरिए अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ समुद्री कारोबार को प्रोत्साहन देते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में ज्यादा से ज्यादा कमी लाना पहली प्राथमिकता है।

=>कौशल विकास को महत्व :-

- ✓ केंद्र सरकार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद देश में करीब 40 हजार करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी।

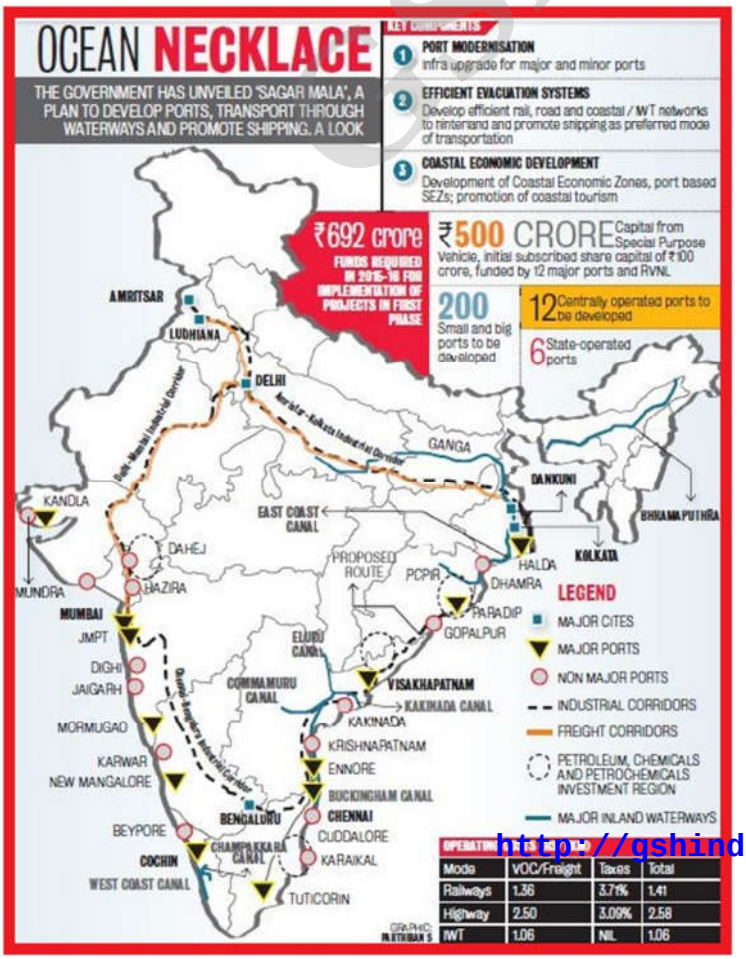

✓ इस मकसद को पूरा करने के लिए सरकार को तटीय शिपिंग को बढ़ावा देते हुए देश में मौजूद बंदरगाहों में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ व्यापक सुधार करना जरूरी होगा। खासकर इस सुधार के लिए पहले ऐसे बंदरगाहों को चुनना होगा, जहां पर ज्यादा से ज्यादा माल लाया भी जा सके और उतारा भी जा सके।

✓ हालांकि जहाजरानी मंत्रालय ने बंदरगाहों के अत्याधुनिक सुधार की योजनाओं को भी तेजी के

http://gshindi.com

साथ पटरी पर उतारा हुआ है, जिनका सकारात्मक नतीजा भी कई बंदरगाहों से सामने आ चुका है।

- ✓ रिपोर्ट के अनुसार नौवहन क्षेत्र में 27 इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टरों का विकास होने से अकेले सागरमाला कार्यक्रम के जरिए ही एक करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकेगा, जिसके लिए कौशल विकास को महत्व दिया जा रहा है।

2.देश के 10 शहरों में स्मार्ट गंगा सिटी योजना शुरू हुई

देश के 10 शहरों में स्मार्ट गंगा सिटी योजना की शुरूआत की गई है. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने योजना की शुरूआत की है।

- ➢ इन शहरों में उत्तराखंड के दो, उत्तर प्रदेश के पांच, बिहार के दो और पश्चिम बंगाल का एक शहर शामिल है.
- ➢ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पहले चरण के तहत इन शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा. यह काम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के आधार पर होगा.
- ➢ इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा पांच शहरों - मथुरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी को चुना गया है. इसके साथ ही उत्तराखंड से ऋषिकेश और हरिद्वार, बिहार से पटना, झारखण्ड से साहिबगंज और पश्चिम बंगाल से बैरकपुर भी इस योजना में शामिल हैं
- ➢ शहरी विकास मंत्रालय की नमामि गंगे परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका है. गंगा की साफ-सफाई और संरक्षण के लिए बनी इस योजना की निगरानी के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा.
- ➢ 10 शहरों में योजना की शुरूआत के बाद धीरे- धीरे और भी शहरों में इसे लागू किया जाएगा

Economics

1. जानिए! क्या है जीएसटी, GST का इतिहास, कैसे करेगा यह काम और क्या है इसके नफा-नुकसान

जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Services Tax) एक ऐसी दवा का नाम है जो भारत की Tax वाली बीमारी का इलाज एक बार में कर देगी।

राज्यसभा ने आज GST के लिए संविधान संशोधन बिल पर बहस की और वोटिंग हुई। ये संविधान में 122वां संशोधन है। इसे भारत में Tax सुधारों को लेकर आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन माना जा रहा है जिसे राज्यसभा ने पास कर दिया है।

राज्यसभा में GST को लेकर संविधान संशोधन को मंजूरी मिल जाने के बाद पूरे देश में GST को 1 अप्रैल 2017 से लागू किया जा सकता है।

How will it affect economy

- इससे भारत एक Single टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा यानी देश में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अलग अलग तरह के Tax खत्म हो जाएंगे और फिर एक नये आंकड़े के मुताबिक देश के करीब 132 करोड़ लोग सेवाओं और वस्तुओं पर सिर्फ एक तरह का Tax देंगे जिसे GST के नाम से जाना जाएगा।
- अभी किसी भी सामान पर केंद्र और राज्य कई तरीके के टैक्स लगाते हैं। लेकिन GST आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा टैक्स लगाया जाएगा।
- सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स और VAT जैसे तमाम टैक्स ख़त्म होंगे।
- मौजूदा स्थिति ये है कि हमें किसी भी सामान पर करीब 30 से 35% टैक्स देना पड़ता है।कुछ चीज़ों पर तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लगाया जाने वाला टैक्स 50 फीसदी तक पहुंच जाता है।GST आने के बाद ये टैक्स 18% हो जाएगा, जिसमें कोई In-direct टैक्स नहीं होगा।
- GST के आने से टैक्स का ढांचा सरल हो जाएगा और इससे manufacturing sector का पैसा और समय दोनो बचेंगे।
- विशेषज्ञों की राय है कि अगर देश में GST लागू हो जाएगा तो GDP growth 1 से 2 फीसदी तक बढ़ सकती है।
- GST के ज़रिए देश में एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले 20 तरह Indirect Taxes यानी अप्रत्यक्ष टैक्स ख़त्म हो जाएंगे।

Gshindi.com

- GST भारत की अर्थव्यवस्था को एक देश, एक टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बना देगा। फिलहाल भारत के लोग वस्तुओं और सेवाओं के लिए 20 अलग अलग तरह के टैक्स चुकाते हैं जबकि GST लागू होने के बाद सिर्फ एक तरह का टैक्स ही चुकाना होगा|

How will individual be affected

- GST लागू होने के बाद घर और कार खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और Compact SUVs पर अभी 30 से 44 प्रतिशत तक टैक्स लगता है लेकिन सिर्फ 18 प्रतिशत GST लगने की वजह से ये कारें 45 हज़ार रुपये तक सस्ती हो सकती हैं।
- अभी घर खरीदने पर आपको सर्विस टैक्स और Vat दोनों चुकाने पड़ते हैं लेकिन GST लागू होने पर आपको सिर्फ एक तरह का टैक्स देना होगा।
- इसी तरह Restaurant में खाना खाना भी सस्ता हो जाएगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी अलग-अलग राज्यो में Vat की दर अलग-अलग है और आपको Service टैक्स भी चुकाना होता है..लेकिन GST लागू होने पर आपको सिर्फ एक ही तरह का Tax देना होगा।
- अभी एयरकंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू ऊपकरण खरीदने पर आपको 12.5 प्रतिशत एक्साइज़ और 14.5 VAT देना पड़ता है..लेकिन GST के तहत सिर्फ 18 प्रतिशत टैक्स देने से ये सामान आप काफी कम दामों पर घर ला पाएंगे।
- देशभर में माल ढुलाई करीब 20 प्रतिशत तक सस्ती हो जाएगी जिससे महंगाई घट सकती है।
- उद्योगों को अभी करीब अलग-अलग तरह के 18 Tax भरने होते हैं लेकिन GST लागू होने पर उद्योगों का वक्त और पैसा दोनों बचेंगे।
- GST के बाद एक्साइज़ ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, Vat, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स और Luxury टैक्स जैसे कर खत्म हो जाएंगे।

Some apprehension (संदेह)

- लेकिन GST लागू होने के कुछ वर्षों तक आपको महंगाई वाले दिन भी देखने पड़ सकते हैं।

Gshindi.com

- packaged food Products पर ज्यादातर राज्यों में अभी कोई ड्यूटी नहीं लगती है जहां इन Products पर ड्यूटी लगती है वहां भी इसकी दर 4 से 6 प्रतिशत तक है लेकिन GST लागू होने के बाद आपको डिब्बाबंद खाने पर भी 18 प्रतिशत तक का टैक्स देना होगा।
- इसी तरह Jewellery पर अभी 3 प्रतिशत ड्यूटी और रेडीमेड Garments पर 4 से 5 प्रतिशत स्टेट Vat लगता है लेकिन 18 प्रतिशत GST लगने के बाद गहने और कपड़े महंगे हो सकते हैं।
- GST लागू होने के बाद Discount भी महंगा हो जाएगा। अभी डिस्काउंट के बाद बची बाकी की कीमत पर टैक्स लगता है लेकिन GST लागू होने के बाद MRP पर टैक्स लगेगा।
- इसके अलावा सभी तरह की सेवाएं महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अभी मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाओं पर 15 प्रतिशत का Tax लगता है जो बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा यानी आपको इन सेवाओं पर अभी के मुकाबले 3 प्रतिशत ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी।

TAX structure under GST

- GST में तीन तरह के टैक्स शामिल होंगे जिनमें पहला होगा CGST यानी **central goods And Services tax**, जिसे केंद्र सरकार वसूलेगी।
- दूसरा Tax होगा SGST यानी **State goods And Services tax** जिसे राज्य सरकारें वसूलेंगी।
- तीसरा होगा IGST यानी **Integrated goods And Services tax** जो दो राज्यों के बीच होने वाले कारोबार पर लगेगा और इसे दोनों राज्यों को बराबर अनुपात में बांटा जाएगा।

Other details

- सरकार GST का एक पोर्टल बनाएगी जिसपर Pan नंबर दर्ज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको Unique Identification Number मिलेगा और इस नंबर का इस्तेमाल करके आप एक बार में ही Tax की online Payment कर पाएंगे।

Path Ahead

Gshindi.com

- GST बिल को लोकसभा ने 6 मई 2015 को मंजूरी दे दी थी..लेकिन राज्यसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए केंद्र सरकार को इसमें कई संशोधन करने पड़े।
- देश के ज्यादातर राज्य GST के समर्थन में हैं लेकिन राज्यसभा से पास हो जाने के बाद भी GST को लागू करवाने में काफी वक्त लग सकता है क्योंकि देश के सभी राज्यों को अपनी अपनी विधानसभाओं में इसे पास कराना होगा।
- आपको बता दें कि संविधान में संशोधन के लिए देश के आधे से ज्यादा राज्यों को इस बिल को मंज़ूरी देनी होगी।
- राज्यों में GST बिल पास हो जाने के बाद GST काउंसिल की स्थापना की जाएगी जिसमें केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो बिल को अंतिम रूप देंगे।
- सरकार की कोशिश है कि इस बिल को 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाए लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक कानूनी दिक्कतों की वजह से GST अगले वर्ष अक्टूबर या नवंबर तक लॉन्च हो पाएगा।

History of GST

- GST की नींव आज से 16 वर्ष पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रखी गई थी।
- इसके बाद वर्ष 2007 में यूपीए की सरकार के दौरान वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बजट में 2010 से GST लागू करने का प्रस्ताव दिया था।
- सैद्धांतिक रूप से बीजेपी और कांग्रेस दोनों GST का समर्थन करते रहे हैं लेकिन कुछ बिंदु ऐसे थे, जिनकी वजह से इस बिल को राज्यसभा में कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा था।
- कांग्रेस केंद्र द्वारा सभी सेवाओं और वस्तुओं पर 1 प्रतिशत ज़्यादा कर लगाए जाने के फैसले के विरोध में थी जिसे सरकार ने बिल से हटा दिया।
- कांग्रेस की मांग थी कि सरकार एक dispute settlement authority का निर्माण करे..ताकि दो राज्यों या फिर केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों को सुलझाया जा सके।

Gshindi.com

- कांग्रेस चाहती थी कि सरकार GST पर 18 प्रतिशत का Cap तय करे यानी GST के तहत टैक्स की दर हमेशा के लिए 18 प्रतिशत ही हो..जिसे आगे चलकर सरकार अपनी मर्जी से ना बढ़ा पाए।

Steps taken towards GST

- GST से पहले भारत के Tax सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव 2005 में किया गया था जब सेल्स टैक्स को VAT से बदल दिया गया था।
- VAT की मदद से अलग अलग चरणों में लगने वाले Taxes को कम करने की कोशिश की गई थी लेकिन VAT भी टैक्स पर टैक्स लगाने वाली व्यवस्था का अंत नहीं कर पाया।
- VAT उन वस्तुओं पर भी लगता है..जिनके लिए Exise ड्यूटी चुका दी गई है, यानी आम लोगों को Tax पर भी Tax देना पड़ता है।
- भारत में Tax की वर्तमान व्यवस्था के तहत देश में निर्मित होने वाली वस्तुओं की Manufacturing पर एक्साइज़ ड्यूटी देनी पड़ती है..जबकि ये सामान जब बिक्री के लिए जाता है तो इस पर सेल्स टैक्स और VAT लग जाता है।
- इसी तरह सेवाओं पर लोगों से सर्विस टैक्स वसूला जाता है लेकिन GST लागू होने पर सामान या सर्विस पर सिर्फ एक ही Tax देना होगा।
- GST के तहत सरकार राज्य सरकारों को नुकसान की स्थिति में पूरे 5 वर्षों तक मुआवज़ा देगी।

GST world over

- दुनिया के करीब 165 देशों में GST की व्यवस्था लागू है, यानी इन देशों में भारत की तरह वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग तरह के Tax नहीं देने पड़ते।
- न्यूजीलैंड में 15 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया में 10 प्रतिशत, फ्रांस में 19.6 प्रतिशत, जर्मनी में 19 प्रतिशत, स्वीडन और डेनमार्क में 25 प्रतिशत और यहां तक कि पाकिस्तान में भी 18 प्रतिशत की दर से GST लागू है।

Gshindi.com

GST का प्रभाव : जीएसटी के लागू होने से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा

★ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया। अगर सब ठीक रहा तो उम्मीद है कि अगले साल यानी 2017 मे एक अप्रैल से जीएसटी लागू हो जाएगा। लेकिन जीएसटी को लेकर आम लोगों में चर्चा है कि इससे महंगाई कम होगी।

★पूरे देश में किसी वस्तु की कीमत एक समान होगी। बहुत सारे टैक्सों की जगह एक ही टैक्स लगेगा। इससे आम नागरिक और देश की अर्थव्यस्था को काफी फायदा होगा। अगर जीएसटी लागू को कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी और बहुत कुछ सस्ते हो जाएंगे।

=>क्या सस्ता होगा और क्या महंगा

★★सस्ता :-

♂बाजार में अभी आप जो सामान खरीदते हैं उसके लिए आपको टैक्स पर टैक्स देना पड़ता है। एक ही सामान पर कई बार टैक्स देना पड़ता है और वो भी पहले से लगाए टैक्स पर टैक्स। जब कोई वस्तु कारखाने से बनकर तैयार होती है तो उस पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लगाती है।

♂ फिर वह वस्तु किसी दूसरे राज्य में जाती है तो फिर उस पर चुंगी और केन्द्रीय बिक्री कर जोड़ा जाता है। उसके बाद राज्य सरकार उस 12.50 प्रतिशत तक वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगाती है। इससे ग्राहकों को कई स्तर टैक्स देना होता है। जिससे चीजें महंगी हो जाती हैं।

♂ लेकिन जीएसटी की नई व्यवस्था में रोड टैक्स के अलावा ग्राहक को सिर्फ एक टैक्स देना होगा। इस टैक्स का आधा हिस्सा केंद्र और आधा राज्य को जाएगा। इससे पता चलता है कि ग्राहकों को फायदा होगा। आर्थिक जानकारों का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद कुछ समय तक खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन जीएसटी की शुरुआती दिक्कतें खत्म होने के बाद महंगाई में भी कमी आएगी।

♂जीएसटी से कंपनियों को कच्चे माल और कल पूर्जे सस्ते दरों में मिलेंगे। जिसका फायदा ग्राहकों को भी मिलेगा। पूरा देश एक बाजार बन जाएगा।

Gshindi.com

इससे पूरे उद्योग जगत को लाभ होगा। उद्योग जगत से जुड़े लोग जीएसटी को लेकर उत्साहित हैं।

=>महंगा :-

★मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यिन कमेटी की रिपोर्ट में वस्तु और सेवाओं के लिए टैक्स दर 17 से 18 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया गया। अगर कमेटी की सिफारिशें पूरी तरह से मानी गई तो तो सर्विस टैक्स की दर 17 से 18 प्रतिशत के बीच हो सकती है। अभी सर्विस टैक्स की दर 15 प्रतिशत है। यानी सर्विस टैक्स बढ़ सकता है।

★ जिससे मोबाइल फोन पर बात करना, होटलों में भोजन करना, क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी, हवाई सफर, अस्पताल, स्टॉक ब्रोकर, ब्यूटी पार्लर, बीमा, ड्राई क्लीनिंग महंगा हो सकता है। छोटी गाड़ियों पर फिलहाल उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत लगता है जबकि एसयूवी जैसी बड़ी गाड़ियों पर ये दर 30 प्रतिशत है।

★ साफ है अगर सभी राज्यों ने मिलकर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत तय किया तो छोटी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी और बड़ी गाड़ियां सस्ती। शराब, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और रसोई गैस को फिलहाल जीएसटी से बाहर रखने का फैसला किया गया है। मतलब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर उस पर टैक्स लगाती रहेंगी। तंबाकू को जीएसटी के दायरे में लाया गया है, केंद्र सरकार इस पर उत्पाद शुल्क लगा सकती है।

★ फिलहाल, अभी ये तय नहीं कि जीएसटी की दर क्या होगी। दर तय करने का जिम्मा वित्त मंत्री की अगुवाई वाले जीएसटी काउंसिल पर होगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होंगे। हालांकि किस सामान पर जीएसटी की दर क्या होगी, ये तय करने का जिम्मा जीएसटी काउंसिल पर छोड़ दिया गया है।

★ राजनीतिक सहमति बनाने के लिए केंद्र ने जहां राज्यों को जीएसटी लागू होने की सूरत में किसी भी तरह के नुकसान की पूरी-पूरी भरपाई 5 साल करने का प्रस्ताव दिया है, वहीं एक फीसदी के अतिरिक्त टैक्स का प्रस्ताव भी वापस ले लिया है।

2. नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की छलांग, 66वें स्थान पर पहुंचा

Gshindi.com

- संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं की ताजा सूची में भारत को 66वें स्थान पर रखा गया है। सूची में इस बार भारत पिछले साल से 15 पायदान ऊंचा है।
- इस रपट के अनुसार अगर देश नवोन्मेष में वैश्विक अग्रणी बनना चाहता है तो उसे अधिक पारदर्शी नीतियां अपनानी होंगी।
- संयुक्त राष्ट्र विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) की इस रपट में कुल वैश्विक रैंकिंग में भारत 15 पायदान चढ़कर 66वें स्थान पर रहा है। पिछले साल वह 81 वें स्थान पर था।
- WIPO, कोरनेल यूनिवर्सिटी तथा बहुराष्ट्रीय बिजनेस स्कूल इनसीड ने 'ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016' जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारत दो मानकों, बाजार परिष्करण (33) व ज्ञान व प्रौद्योगिकी उत्पादन (43) में शीर्ष 50 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- भारत ने सभी मानकों में अपनी रैंकिंग सुधारी है या उसे स्थिर बनाए रखा है। इसके अनुसार भारत ने दो उप-मानकों कारोबारी माहौल तथा शिक्षा में कमजोर प्रदर्शन किया है।

3. भारत बन सकता है वैश्विक पर्यटन का सिरमौर अगर .

विकास का नया आयाम पर्यटन

विकास के सोपानों को नये आयामों को अंजाम देने के मध्य सरकार को यह समझना होगा कि यदि भारत को सचमुच विश्व के विकास का इंजन बनाना है तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों के मन में भी जगह बनानी पड़ेगी। यह ज़रूरी नहीं की राजनयिक एवं व्यापर जगत से मिल रहा समर्थन उन देशों की जनता का भी समर्थन दर्शाती हो।

पिछली कुछ घटनाएं जो हमारे लिए शर्म की बात है

- ❖ पिछले कुछ वर्षो में विदेशी सैलानियों एवं विद्यार्थियों के साथ भारत में जिस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार किया गया है वह वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा का हिस्सा नहीं है। इससे हमारे देश की साख़ को धक्का लगा है ।
- ❖ देश की राजधानी दिल्ली में अफ़्रीकी युवक की हत्या के बाद भारतीय मूल के लोगों के साथ एवं कांगो स्थित भारतीय दूतावास पर जो हमला हुआ

GShindi.com

एवं भारतीय मूल के व्यापारियों को दुकानें बंद रखने को कहा गया, वह बड़ी प्रतिक्रियाओं का संकेत है। जिस प्रकार से सभी अफ़्रीकी दूतावासों ने अपने नागरिकों के सुरक्षा की मांग की एवं अफ़्रीकी विद्यार्थयों को भारत आने से मना करने की बात की, इससे हमारी गरिमा को भी चोट पहुंच रही है। भारत में अफ़्रीकी देशों के लगभग 25000 छात्र प्रति वर्ष पढ़ने के लिए आते हैं जिसको बंद करने की धमकी अफ़्रीकी राजनयिकों ने दे डाली है। वैश्वीकरण के युग में विदेशियों को अपने देश में सुरक्षित ना रख पाने में अक्षम होने से, भारत को विश्व के विकास का इंजन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है ।

पर्यटकों के प्रति दृष्टिकोण भारत में जिस प्रकार विदेशियों के प्रति दृष्टिकोण रखा जाता है एवं जिस प्रकार से विदेशियों के साथ व्यवहार किया जाता है वह सिर्फ दर्दनाक ही नहीं, देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए खतरनाक भी है। विदेशियों में भी हम रंग-भेद करने से नहीं चूकते। अफ़्रीकी देशों के नागरिकों के साथ भिन्न व्यवहार होता रहा है जो हाल के दिनों में काफी बढ़ गया। कांगो के युवक ओलिविया को पिट-पिट कर मार देने की घटना रंग-भेद की मानसिकता एवं विदेशियों के साथ बदसलूकी का चरम उदाहरण है। इसका अर्थ कतई नहीं कि गोरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता। 2014 में डेनिश महिला के साथ बलात्कार एवं आये दिनों विदेशी के साथ छेड़खानी की बात उनके ब्लॉग्स एवं ख़बरों में सुनने को मिलता रहता है।

<u>इन सबका नुकसान</u>

देश में महिलाओं के साथ एवं विदेशी नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार के कारण पर्यटन पर भी भरी नुकसान होता है। निर्भया काण्ड के बाद ही विदेशी सैलानियों के आगमन में 35 प्रतिशत की कमी आ गयी थी। पर्यटन का हमारे देश के सकल घरेलु उत्पाद में लगभग 6.3 प्रतिशत का योगदान रहा है। संगठित नौकरियों के कुल भागीदारी का लगभग 10 प्रतिशत इस क्षेत्र में कार्य करते हैं जो की लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं । 6-7 करोड़ लोग असंगठित रोजगारों जैसे फोटो आदि खींचने का काम कर पर्यटन से जुड़े हुए हैं। हम आर्थिक नुकसानों का अनुमान तो आंकड़ों से जान जाते है लेकिन

Gshindi.com

विश्व भर में विदेशियों के मन पर भारत के बारे में जो छवि बिगड़ती है उसका आंकड़ा नहीं मिल पाता।

क्या कदम उठाने होंगे

भारतीय मूल के लोगों को विदेशों में महफूज़ रखने एवं अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख़ को संरक्षित रखने के लिए हमें अन्य देशों के नागरिकों को भारत में संपूर्ण सुरक्षित माहौल देना होगा। हमारे शहरों को भौतिक एवं मानसिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें सरकार, सामाजिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं नागरिकों के स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। पहला, कई देश विश्व के लोगों को अपने देश बुलाकर देश के अलग-अलग सामाजिक, राजनितिक एवं आर्थिक मामलों से रुबरु कराते हैं। इससे दूसरे देश के लोगो में मेज़बान देश की जानकारी एवं तालमेल बढ़ती है। अमेरीका के विदेश विभाग का आई. वी. एल. पी. कार्यक्रम एक अनूठा उदाहरण है जहां प्रतिवर्ष लगभग 6000 लोगों को दुनिया भर से अमेरिका बुलाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी भागीदारों को राजनेताओं, शोधकर्ताओं, विद्यार्थयों, सामाजिक संस्थानों एवं नागरिकों से मिलवाया जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय अफ़्रीकी देशों के विकास के लिए खर्च कर रही है और ऐसे में इस तरह के नए कार्यक्रम शुरू करने से भारतीय एवं अफ़्रीकी लोगो के तालमेल के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। दूसरा, विदेश मंत्रालय दक्षिण-दक्षिण सहयोग के तहत भारतीय समाजिक संस्थानों एवं संगठनों के माध्यम से अफ़्रीकी देशों के सामाजिक संगठनों को विकास कार्यों के लिए सक्षम बनाने का कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम में 'सेवा' जैसे प्रमुख संगठन सक्रिय है और 'सेवा' ने तो अपने प्रोजेक्ट का नाम भी 'सेतु अफ्रीका' दिया है ताकि भारत और अफ़्रीकी देशों के बीच यह एक दोस्ती का रास्ता दिखा सके।

भारत सरकार को ऐसे कार्यक्रमों को ज़्यादा सक्रिय एवं लोकप्रिय करना चाहिए जिससे की भारत एवं अफ़्रीकी देशों के लोगो के बीच तालमेल बेहतर हो सके। तीसरा, कई देश प्रमुख शहरों में स्थानीय नागरिकों के घर पर मेहमानवाज़ी का कार्यक्रम चलाते हैं जिससे अन्य देशो से आये मेहमान एवं स्थनीय लोग एक-दुसरे के जीवन एवं संस्कृति से अवगत हो पाते हैं। अमेरिका के कई शहरों में यह कार्यक्रम नगर निगम एवं सामाजिक संस्थानें मिलकर चलाते हैं। भारत में

Gshindi.com

भी इस कार्यक्रम को शुरू करने का वक़्त आ गया है जिससे लोगों के बीच रिश्ता कायम करने में मदद मिलेगी । इसके अलावा विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की रंग-भेद जैसे जटिल समस्यायों का अंत करने में ख़ास भूमिका होनी चाहिये। शैक्षणिक संस्थानों में इन मुद्दों पर विद्यार्थयों को शिक्षित करना चाहिए एवं पाठ्यक्रम में भी डाला जाना चाहिये ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को समझने योग्य बन सकें।

भारत अवश्य ही विश्व के विकास का इंजन बन सकता है लेकिन उसके लिए ईंधन भी उच्च कोटि का इस्तेमाल करना होगा। यह ज़िम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी होनी चाहिए। संस्थानों एवं नागरिकों के सहयोग से ही विकास के इंजन बनने की बात वास्तविक रूप ले पाएगा।

---

4. देश में समृद्धि का विरोधाभास

Does trickle down theory successful?

अस्सी के दशक में जब आर्थिक 'ट्रिकल डाउन' थ्योरी आयी थी और नब्बे के दशक में जब हमारी अर्थव्यवस्था इस सिद्धांत पर चलने लगी, तब तमाम लोगों, संस्थाओं, विचारकों, अर्थशास्त्रियों व समाज के लिए काम करनेवालों ने इसका विरोध किया. उस समय इस विरोध को दरकिनार कर दिया गया.

यहां तक कि विरोध करनेवाले राजनीतिक दल जब सरकार में आये, तो वे भी अपने विरोध को बक्से में बंद कर उसी राह पर चलने लगे. हालांकि, 2004 के आसपास इस सिद्धांत के नकारात्मक नतीजों को लेकर कुछ जागरूकता आयी और रास्ता बदलने की कुछ कोशिशें भी शुरू हुईं, लेकिन ये कोशिशें भी भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ती गयीं. भ्रष्टाचार का हल्ला मचा और इस हल्ले में फिर से हमारी नीतियां पुराने ढर्रे पर आ गयीं.

New observation by IMF

लेकिन, अब आइएमएफ ने ही सवाल खड़े कर दिये हैं, जो इस थ्योरी को आगे बढ़ाने में न सिर्फ अहम भूमिका निभाता रहा, बल्कि आर्थिक ऋणों के लिए अनिवार्य शर्त के तौर पर इस थ्योरी को जोड़ दिया. एक ताजा अध्ययन में आइएमएफ के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि यदि समृद्धतम 20 फीसदी लोग अपनी आय एक फीसदी अंक बढ़ाते हैं, तो पांच साल में विकास दर 0.1 फीसदी कम हो जाती है और यदि निचले पायदान के 20 फीसदी लोगों की

Gshindi.com

आय एक फीसदी अंक बढ़ती है, तो विकास दर में प्रति वर्ष 0.4 फीसदी का इजाफा होता है. इस अध्ययन में 150 देशों के आर्थिक आकड़ों का विश्लेषण किया गया है.

हम इस अध्ययन के बिना ही अपने आसपास बढ़ती आर्थिक विषमता को देख सकते हैं. देश की दो तिहाई से ज्यादा आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है. इस थ्योरी के हिसाब से नीतियां बनने के बाद गांव में विकास पर नजर डालिए.

लेकिन, नजर डालने से पहले यह भी समझना जरूरी है कि सड़क, कार, बाइक, टीवी, मोबाइल, एसी, ब्रांडेड सामान की उपलब्धता भर विकास नहीं है. सबके लिए अच्छी शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं और आर्थिक, उत्पादक गतिविधियों को फायदेमंद बनाने के लिए आधारभूत संरचना की उपलब्धता के बिना जो विकास के मानक बताये जा रहे हैं या जिन्हें उपलब्धता के तौर पर गिनाया जा रहा है, उनका फायदा सिर्फ वे ही उठा रहे हैं, जिनकी पहुंच में अच्छी शिक्षा व्यवस्था व अन्य सुविधाएं हैं.

<u>ताजा आंकड़े</u>

यहां यह जानना जरूरी है कि ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हमारे देश में आज भी गांवों के 58 फीसदी से ज्यादा परिवार खेती की आय पर निर्भर हैं और इसमें 46 फीसदी परिवार पिछड़े वर्ग के, 16 फीसदी अनुसूचित जाति के और 13 फीसदी आदिवासी हैं. खेती की विकास दर डेढ़ फीसदी के आसपास है और महंगाई की दर इससे कहीं ज्यादा. यानी, खेती की आय पर आधारित लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई ही नजर आती हैं, भले ही हमारे देश की विकास दर सात फीसदी से ऊपर रहे या नौ फीसदी से ऊपर.

35 फीसदी परिवारों के पास एक एकड़ से कम जमीन है. एक से ढाई एकड़ की जोतवाले परिवार 35 फीसदी हैं.

ढाई एकड़ से ज्यादा की जोत 30 फीसदी के पास है और इस 30 फीसदी में से पांच फीसदी परिवार ही ऐसे हैं, जिनके पास 10 एकड़ या इससे बड़ी जोत है. अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि खेती पर आश्रित परिवार किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं. एक जानकारी और, 52 फीसदी परिवार कर्ज में डूबे हैं और बिहार, आंध्र व तेलंगाना जैसे राज्यों में खेतिहर कर्जदार परिवारों में

GShindi.com

से 50 फीसदी से ज्यादा ने महाजनों से कर्ज ले रखा है. इस कर्ज पर ब्याज का अनुमान लगाना कठिन नहीं है और यह भी समझना कठिन नहीं है कि कर्ज क्यों ले रखा होगा.

अब एक और रिपोर्ट पर नजर डालते हैं. देश में शिक्षा की स्थिति पर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट 'एनुअल स्टेटस आॅफ एजुकेशन रिपोर्ट' के मुताबिक, कक्षा पांच में पढ़नेवाले बच्चों में से आधे से ज्यादा उतना भी नहीं पढ़ पाते, जितना कक्षा दो में ही आ जाना चाहिए. प्रथम ने यह रिपोर्ट देश के 577 ग्रामीण जिलों के स्कूलों का सर्वे के आधार पर तैयार की है.

गणित की बात करें, तो कक्षा आठ के 56 फीसदी और कक्षा पांच के करीब 75 फीसदी बच्चे भाग देना नहीं जानते. कक्षा आठ के 53 फीसदी बच्चे अंगरेजी का एक सामान्य वाक्य तक नहीं पढ़ पाते हैं. 2009 में कक्षा आठ के 60 फीसदी बच्चे अंगरेजी का सामान्य वाक्य पढ़ लेते थे. यानी, दिन-ब-दिन स्तर खराब ही होता जा रहा है. सरकारी स्कूलों का यह स्तर थोड़ा भी सक्षम परिवारों को निजी स्कूलों की ओर ले जा रहा है. 2005 में जहां निजी स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों की संख्या सिर्फ 16 फीसदी थी, 2014 में बढ़ कर 31 फीसदी हो गयी.

स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो अपने देश में औसतन प्रति 1000 मरीज एक बेड ही उपलब्ध है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, अपने देश में 1.40 लाख डाॅक्टरों की कमी है और करीब पौने तीन लाख नर्सों की. लेकिन, सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के बजट को लगातार कम करती जा रही है. यहां भी यह समझना कठिन नहीं है कि यह कमी कहां हैं और इसकी वजह से भुगत कौन रहा है.

हम नौ फीसदी विकास दर हासिल करें या दहाई अंक में, स्किल इंडिया चलाएं या डिजिटल इंडिया या स्टार्ट अप इंडिया, देश की आधी से ज्यादा आबादी इनके दायरे से बाहर है. जब देश की आधी से ज्यादा आबादी विकास कार्यक्रमों से बाहर हो, तो आंकड़ों में जो भी समृद्धि दिखाई देती है, वह किसकी समृद्धि है? नोबेल अर्थशास्त्री स्टिगलिट्ज के मुताबिक, बिल गेट्स के पास इतनी संपत्ति है कि यदि वे कोई काम न करें और रोजाना 10 लाख डाॅलर खर्च करें, तो उन्हें अपनी पूरी संपत्ति खर्च करने में 217 साल लग जायेंगे. अपने देश में भी ऐसे

Gshindi.com

तमाम लोग हैं, जो रोजाना 10 लाख रुपये खर्च करें, तो उनको भी अपनी पूरी संपत्ति खर्च करने में 200 से ज्यादा साल लग जायेंगे.

दूसरी तरफ 30 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास अपनी रोटी पर रोज खर्च करने को 40 रुपये भी नहीं होते! सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है हम सबके लिए.

5. 2017 से आम बजट के साथ ही पेश होगा रेल बजट

- रेल बजट और आम बजट भारतीय जनमानस के लिए ये वो शब्द हैं जिनका जिक्र हर साल फरवरी माह में आता है और पहले रेल बजट उसके बाद आम बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन 92 सालों से लगातार चली आ रही रेलवे बजट की परंपरा अब खत्म हो सकती है।
- रिपोर्टों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने पांच सदस्यों की समिति बनायी है। जो दोनों बजट का अध्ययन कर विलय पर काम करेगी।
- ब्रिटिशर्स जमाने से चले आ रहे रेल बजट का प्रवाधान जल्द ही बंद करने पर विचार किया जा रहा है गौरतलब है कि पहली बार रेल बजट 1924 में पेश किया गया था।

=>कारण

- नीति आयोग के दो मेंबर बिबेक देबरॉय और किशोर देसाई ने भी अलग से रेल बजट पेश करने को खत्म करने कहा था।रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे का इस्तेमाल सहयोगी पार्टियां अपनी छवि चमकाने के लिए करती है। कई बार ऐसा हुआ है कि गठबंधन सरकार में रेल मंत्रालय सहयोगी पार्टियों के पास रहा है
- ऐसे में सहयोगी पार्टियों के मंत्री सरकार पर दबाव डाला करते थे। रेलवे बजट वित्त मंत्रालय के बजट के साथ पेश होने पर इस तरह की चीजों पर रोक लगेगी।रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 9 अगस्त को राज्यसभा में कहा था कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल करने के लिए बात की है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये देश की इकोनॉमी के लिहाज से भी ठीक रहेगा।
- रेल बजट के सामान्य बजट में पेश होने के बाद उसे भी अन्य डिपार्टमेंट्स की तरह पैसा अलॉट होगा। लेकिन इसके खर्च और कमाई

Gshindi.com

पर फाइनेंस मिनिस्ट्री नजर रखेगी। दरअसल सातवां वेतन आयोग लागू होने से रेलवे पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

6.साख और मौद्रिक नीति की तीसरी समीक्षा की खास बातें

- रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, मौजूदा रेपो रेट 6.5 फीसदी है
- CRR में कोई बदलाव नहीं, मौजूदा दर 4 फीसदी है.
- महंगाई पर फौरी असर निर्भर करेगा कि मानसून की वजह से खाद्य पदार्थों की कीमत घटती है या नहीं.
- सातवे वेतन आय़ोग की सिफारिशों पर अमल से घर किराए में बढ़ोतरी के आसार.
- 2016-17 के दौरान 7.6 फीसदी के विकास दर के अनुमान पर रिजर्व बैंक कायम.
- GST से जुड़े विधेयक पारित होने से आर्थिक सुधारों पर राजनीतिक सहमति के आसार बढ़े तय कार्यक्रम के मुताबिक जीएसटी लागू करना चुनौती.
- GST लागू होने से निवेश पर आय़ बढ़ेगी.
- GST लागू होने से मध्यम अवधि में सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी
- GST लागू होने से कारोबारी माहौल सुधरेगा, निवेश बढ़ेगा.

7.ऋणों की वसूली व्यवस्था से संबंधित विधेयक संसद में पारित

संसद ने वह प्रस्तावित विधेयक पारित कर दिया जिसमें बैंकों को ऋण (debt) अदायगी नहीं किए जाने पर रेहन रखी गई संपत्ति को कब्जे में लेने का अधिकार दिया गया है। खेती की जमीन को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

- वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि शिक्षा ऋण की वसूली के मामले में 'सहानुभूति का दृष्टिकोण' अपनाया जाएगा।
  - सरकार ने शिक्षा ऋण की अदायगी में चूक को माफ करने की संभावना से इंकार करते हुए कहा कि यदि कोई बेरोजगार है और जब तक उसे रोजगार नहीं मिलता उसके मामले में कुछ सहानुभूति रखी जा सकती है लेकिन ऐसे ऋण को बट्टे खाते में नहीं डाला जा सकता

Gshindi.com

- ❖ प्रतिभूति हित प्रवर्तन एवं ऋणों की वसूली के कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक 2016 पर लोकसभा में चर्चा पर वित्त मंत्री जेटली के जवाब के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।
- ❖ प्रतिभूति हित प्रवर्तन एवं ऋणों की वसूली के कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक 2016 के जरिए चार मौजूदा कानूनों प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी कानून), ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम 1993, भारतीय स्टांप शुल्क अधिनियम 1899 और डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किए जा रहे हैं ताकि ऋण वसूली की व्यवस्था और कारगर हो सके।
- ❖ सरफेसी कानून में बदलाव से सिक्योर (गारंटी के आधार पर) ऋण देने वाली संस्था को ऋण की अदायगी नहीं किए जाने पर उसके लिए रेहन के रूप में रखी गई संपत्ति को कब्जे में लेने का अधिकार होगा। इसके तहत जिलाधिकारी को यह प्रक्रिया 30 दिन के अंदर संपन्न करानी होगी
- ❖ सरकार ने बैंकों को ऋण अदा नहीं करने वालों के खिलाफ कारगर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार जरूर होना चाहिए।
- ❖ दिवाला कानून, प्रतिभूतिकरण कानून और डीआरटी कानून को इसी विषय में उठाया गया कदम है। इस कानून से वसूली की प्रक्रिया आसान होगी और ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मामलों का तत्परता से निस्तारण हो सकेगा।
- ❖ सरकार ने कृषि भूमि को इस नए अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

8. क्या है NSEL घोटाला?

हजारों इन्वेस्टर्स, कंपनियों और एमएमटीसी और पीईसी जैसी पीएसयू ने ऊंचे रिटर्न वाले एक कॉम्प्लेक्स फाइनैंशल प्रॉडक्ट में इन्वेस्ट किया। उनका पैसा इसमें फंस गया है। इस प्रॉडक्ट को ब्रोकर पिछले कुछ वर्षों से इन्वेस्टर्स को बेच रहे थे।

=>क्या थी डील?

Gshindi.com

इन्वेस्टर्स वेयरहाउस में रखी गई कस्टर सीड, ऊन, चीनी जैसी कमोडिटी 25-36 दिन के लिए लोन देते थे। यह डील नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) पर होती थी। इस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टर्स और बॉरोअर्स के ऑर्डर मैच किए जाते थे। इसमें 15-16 फीसदी तक का रिटर्न मिलता था।

=>एनएसईएल क्या है?

यह स्पॉट कमोडिटी एक्सचेंज है। इसके बारे में 31 जुलाई, 2013 के डिफॉल्ट से पहले बहुत कम लोग जानते थे। दूसरे एक्सचेंज के उलट इसे गवर्न करने के लिए नियम नहीं बने थे। एक्सचेंज को चलाने वाले इस खामी का फायदा उठाते थे।

=>लेकिन बॉरोअर एनएसईएल के जरिए पैसा क्यों जुटाते थे?

इन्वेस्टर्स उन्हें सीधे उधार दे सकते थे। लुधियाना या कानपुर के किसी कमोडिटी ट्रेडर को कोई इनवेस्टर सीधे उधार नहीं देगा और न कोई बैंक इनको लोन ऑफर करेगा, लेकिन बीच में एक्सचेंज होने पर इन्वेस्टर्स को डिफॉल्ट का कोई डर नहीं होगा।

=>इतने समय तक यह गोरखधंधा चला कैसे?

इसकी शुरुआत दो कॉन्ट्रैक्ट - टी प्लस 2 और टी प्लस 25 से हुई थी। टी प्लस 2 मतलब पैसा ट्रेड के दो दिन बाद इन्वेस्टर्स से बॉरोअर के पास जाता। इसमें इन्वेस्टर को उसके पैसे के बदले ब्रोकर्स से एक लेटर मिलता था।

लेटर में लिखा होता था कि इतनी कमोडिटी एक वेयरहाउस में रखी है। यह लेटर एनएसईएल के पास जमा वेयरहाउस रिसीट पर जारी होता थी। 25 दिन बाद बॉरोअर उधार चुकाता और अपनी रिसीट वापस ले लेता। लेकिन साइकल यहीं खत्म नहीं होता था। बॉरोअर 25 दिन बाद इनवेस्टर को ब्याज चुकाता था और दोनों पार्टी नया कॉन्ट्रैक्ट करके पोजिशन को रोलओवर कर लेते थे। यह सिलसिला महीनों चला।

=>कहानी खत्म कैसे हो गई?

बाद में सरकार ने एनएसईएल को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करने के लिए कहा। इसके चलते पोजिशन रोलओवर नहीं हो पाए। एक साल पहले कमोडिटी मार्केट रेग्युलेटर ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को गैरकानूनी करार देते हुए एक्सचेंज को

Gshindi.com

चेतावनी दी थी। लेकिन कइयों को लगा कि कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। अंत में सरकार ने घबराकर एक्सचेंज को बंद करा दिया।

=>लेकिन डिफॉल्ट हुए क्यों? क्या इनवेस्टर्स का पैसा लौटाने के लिए कमोडिटी स्टॉक बेचा नहीं जा सका?

स्टॉक में कोई कमोडिटी थी ही नहीं। यही तो घोटाले की जड़ थी। वेयरहाउस रिसीट फर्जी थी और गोदाम खाली थे। बॉरोअर्स ने एक्सचेंज के जरिए जुटाया पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया था। एक बॉरोअर ने तो पूरा पैसा दुबई में अपने बेटे के पास भेज दिया था।

=>क्या इनवेस्टर्स के लिए कुछ उम्मीद है?

इनवेस्टर्स, एनएसईएल के प्रमोटर्स और मुंबई पुलिस बॉरोअर्स की प्रॉपर्टी जब्त कराने की कोशिश में जुटे हैं। इसमें लंबा वक्त लग सकता है और पूरा पैसा शायद रिकवर नहीं हो पाएगा।

9. देश की आर्थिक विकास योजना पंचवर्षीय न होकर पंद्रह वर्षीय बनाने पर जोर दे नीति आयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नीति आयोग अगले पंद्रह वर्षों के लिए एक विकास योजना का खाका तैयार करे। उसका पूर्ववर्ती संगठन योजना आयोग अभी तक पांच वर्षों के लिए प्लानिंग करता था।

- आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र मोदी ने उससे देश के विकास के लिए दूरगामी दृष्टि वाला एक विजन डॉक्युमेंट तैयार करने को कहा है। जाहिर है, प्रधानमंत्री नीति आयोग को काफी महत्व दे रहे हैं और उसे एक बड़ा लक्ष्य सौंप रहे हैं।
- नीति आयोग को शुरू से ही इस सरकार की एक विवादास्पद पहल माना जाता रहा है और इधर उसकी भूमिका को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं।
- आयोग के लक्ष्य के बारे में कहा गया था कि यह 'राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा।' पर कुछ मुख्यमंत्रियों का आरोप है कि नीति आयोग के कामकाज में स्पष्टता नहीं है।

Gshindi.com

- कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आयोग विभिन्न मंत्रालयों की आवाज बनने और उसके मुद्दों को प्रधानमंत्री कार्यालय या वित्त मंत्रालय तक लाने में नाकाम साबित हुआ है।
- बहरहाल, नई संस्थाओं के साथ शुरू-शुरू में ऐसा होता है, लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री खुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं तो आश्वस्त हुआ जा सकता है कि नीति आयोग की परिकल्पना जरूर साकार होगी। 15 वर्षों का लक्ष्य निश्चय ही बेहद चुनौतीपूर्ण है।
- योजना आयोग के लिए यह चुनौती उतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि वह पांच साल के लिए योजना बनाता था और सरकार की आयु भी आम तौर पर पांच वर्ष की ही होती है। सरकारें इसके जरिये अपने मन मुताबिक योजनाओं को अमल में लाती थीं और सरकार बदल जाने पर आयोग के संचालकों के साथ-साथ योजना का स्वरूप भी बदल जाता था।
- लेकिन आज जब मोदी सरकार पंद्रह साल की योजना की बात कर रही हैं तो क्या वह आश्वस्त हैं कि इतने समय तक उनकी पार्टी या वह खुद सत्ता में बने रहेंगे? अगर नहीं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि नई सरकार उनके विजन डॉक्युमेंट को इतनी ही तवज्जो देगी?
- प्रधानमंत्री का दावा है कि वह प्रयोग करने का दम रखते हैं। यह एक स्वागतयोग्य बात है। उन्हें हर स्तर पर बड़े प्रयोगों की पहल करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्हें विपक्ष को भी अपनी सोच का साझीदार बनाना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर एक आम सहमति भी कायम करनी चाहिए।
- जिस तरह विदेश या रक्षा नीति पर आम तौर पर राष्ट्रीय सहमति देखने में आती है वैसी ही सहमति आर्थिक और सामाजिक योजनाओं पर बनानी होगी ताकि नीति आयोग की पंद्रह वर्षीय योजना बेरोकटोक चल सके।
- इसके अलावा नीति आयोग को सक्षम और कार्यकुशल बनाना होगा। उसने अपने ढांचे में और ज्यादा विशेषज्ञों की मांग की है। यह काम अगर बिना किसी भेदभाव के किया जा सका तो इससे एक नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हो सकती है।

GShindi.com

10. क्या मेक इन इंडिया देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को पांच साल में 25 फीसद तक ले जाने में सफल होगी? पिछले एक साल में जो 700 से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं क्या वे जमीन पर दिखेंगे?

इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को दो साल पूरे होने को हैं, इसलिए सवाल लाजिमी है।

- फिलहाल देश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव भी आ रहे हैं। लेकिन शुरुआती संकेत इसकी सफलता के लिए सरकार के ईज आफ डूईंग बिजनेस की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर निर्भर मानते हैं।
- केंद्र की सत्ता में आने के बाद राजग सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने की दिशा में जिन प्रयासों को चिन्हित किया है, उनमें कारोबार करना आसान बनाने को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। बीते दो साल में सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिसने इंडिया इंक में सरकारी सिस्टम के प्रति भरोसा कायम किया है। फिर वह चाहे प्रस्तावों की मंजूरी में लगने वाले समय में कमी की बात हो या फिर पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने में आने वाली अड़चनें, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार उद्योगों के अनुकूल माहौल तैयार करने में जुटी है।
- इनमें से कई कदम तो उठा भी लिए गए हैं। यही वजह है कि उद्योग जगत को लगता है कि देश में कारोबार करने का माहौल बन रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि पहली जनवरी 2015 के बाद से देश में मेक इन इंडिया के तहत 700 से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं। बीते दो साल में कारोबार करना आसान बनाने की जो प्रक्रिया मोदी सरकार ने शुरू की है, वह बदस्तूर अभी भी जारी है।
- नियमों को सरल बनाने के साथ-साथ अब सरकार उद्योगों के विभिन्न नियामकों और अधिकरणों के साथ होने वाले विवाद को निपटाने में लगने वाले समय में कमी लाने की तैयारी कर रही है। दिलचस्प तथ्य यह है कि देश के कई राज्य भी केंद्र की इस मुहिम में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसलिए जिन प्रदेशों खासकर पश्चिम और दक्षिण

Gshindi.com

भारत के राज्यों ने ईज आफ डूईंग बिजनेस के मंत्र को समझा और अपनाया है वे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं।

- उद्योग जगत भी मान रहा है कि कई राज्यों ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों के राज्य मेक इन इंडिया के शीर्ष राज्यों की सूची में स्थान बनाने में सफल रहे हैं। उद्योग जगत भी यह मानता है कि बीते पांच से दस वर्षों में औद्योगिक रफ्तार में कमी आने की एक मुख्य वजह फैसलों में देरी के साथ-साथ प्रक्रियागत अड़चनें और जटिलताएं रहीं। औद्योगिक इकाई का प्रस्ताव सरकार को देने के बाद स्वीकृतियां प्राप्त करने से लेकर इकाई स्थापित करने में बेहद लंबा समय लगता था।
- साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के बाद इकाई की स्थापना के लिए समय भी कम मिलता था। लेकिन बीते दो साल में प्रक्रिया संबंधी जटिलताओं को दूर करके नियमों को सरल बनाया गया है और अधिकांश काम ऑनलाइन होने से समय भी कम लगता है।
- पर्यावरण लाइसेंस की अवधि को भी पांच साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया गया है। उद्योग के लिए यह बड़ी राहत है। हालांकि सरकार के इन प्रयासों को अभी शुरुआत के तौर पर ही देखा जा रहा है। दरअसल कारोबार करना आसान बनाने पर ही मेक इन इंडिया की सफलता निर्भर करती है। सरकार के ईज आफ डूईंग बिजनेस प्रयासों का आकलन कर रहे विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा भी है कि सही दिशा में उठाया गया यह पहला कदम है।
- अभी सुधारों की दिशा में काफी काम होना बाकी है। इसके बावजूद उद्योग जगत इस बात पर संतोष व्यक्त कर सकता है कि ईज आफ डूईंग बिजनेस में जितने सुधारों की आवश्यकता है बीते दो साल में उसका 32 फीसद प्राप्त कर लिया गया है। इस दिशा में सबसे अधिक काम राज्यों को करना है।

=>सुधार जो हुए पूर्ण :-

- बिजनेस शुरू करते वक्त ईएसआइसी व ईपीएफओ में तुरंत रजिस्ट्रेशन

Gshindi.com

- पंजीकरण के लिए ऑनलाइन श्रम सुविधा पोर्टल की शुरुआत
- 36 उद्योगों के लिए पर्यावरण मंजूरी की अनिवार्यता खत्म
- खनन से जुड़े उद्योगों के लिए वन मंजूरी सर्टिफिकेट के नियम उदार
- सौ हेक्टेयर से कम वन भूमि पर बने खनन उद्योगों में निरीक्षण की अनिवार्यता खत्म
- पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता पांच साल से बढ़कर सात साल हुई
- पर्यावरणीय समेत अधिकांश मंजूरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन
- नए उद्योगों के लिए 14 सरकारी सेवाएं सिंगल विंडो पोर्टल ई-बिज के अधीननए बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की अनिवार्यता समाप्त
- आयात-निर्यात के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या सात से घटकर तीन हुई
- औद्योगिक लाइसेंस, मेमोरेंडम आदि के लिए फार्मों का सरलीकरण
- कई प्रकार के रक्षा उत्पादों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता खत्म

=>जिन सुधारों पर काम जारी

- ❖ न्यूनतम पेड अप कैपिटल और कॉमन सील की अनिवार्यता खत्म होगी
- ❖ कंपनी शुरू करते ही पैन, टैन, ईएसआइसी व ईपीएफओ लेने का एकीकृत सिस्टम
- ❖ आयात-निर्यात के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस

Environment and Ecology

1. देश में विलुप्त हो रही 15 प्रजातियां

आपने बाघ, शेर, गैंडे और हाथी के बारे में सुना होगा, लेकिन केवल यही भारत के वे जानवर नही हैं, जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है.

- ➢ बहुत से ऐसे जीव, पौधे एवं प्रजातियां हैं, जिन्हें प्रकृति संरक्षण के लिए बने अंतरराष्ट्रीय संघ (आईसीयूएन) ने विलुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया है. आईसीयूएन प्रति वर्ष पौधों और प्राणियों की प्रजाति पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है.
- ➢ साल 2016 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में आईसीयूएन ने जानवरों की 19 प्रजातियों को खतरे या फिर गंभीर रूप से खतरे की श्रेणी में रखा है और

GShindi.com

10 अन्य को दुर्लभ की श्रेणी में रखा है. इनमें से कुछ तो ऐसे हैं, जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो. जैसे कि बेडडोम्स टोड. शायद आपने सुना भी हो ,पर आपको यह नहीं पता होगा कि चींटी खाने वाले जीव (एंट ईटर) की तरह यह प्रजाति भी संकट में है.

1. **उत्तरी भारतीय नदियों का कछुआ**

इस प्रजाति का कछुआ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की नदियों में पाया जाता है परन्तु यह भारत सहित अधिकतर देशों में विलुप्ति के कगार पर है. म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम में पहले ही लुप्त हो चुकी इस प्रजाति का चीन में व्यापार करना अवैध है और यह बड़े संकट में है.

2. **लाल ताज और सिर वाला कछुआ**

यह ताजे पानी में रहने वाली कछुए की एक और प्रजाति है जो अस्तित्व के संकट से जूझ रही ही. इस प्रजाति के कछुए के सिर पर लाल रंग की धारियां होती हैं. यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश की गहरी नदियों में पाया जाता है. लगातार लुप्त होते इस कछुए को गंभीर रूप से संकट में पड़ी प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है.

3. **संकरे सिर और नर्म कवच वाला भारतीय कछुआ**

यह अन्य कछुओं की तरह बिल्कुल नहीं दिखता. इसका शरीर छोटा है. जैतूनी हरे रंग का यह कछुआ भारत में दुर्लभ है. इसका वैज्ञानिक नाम चित्रा इंडिका है. आईसीयूएन के मुताबिक ये कछुए ज्यादातर समय गहरी नदी की तलहटी में रेत के ऊपर रहते हैं.

4. **बेडडोम टोड**

पश्चिमी घाटों में पाया जाने वाला यह मेंढक समुद्र तल से 1500 फीट की उंचाई पर रह सकता है. इनकी संख्या का कोई अनुमान नहीं है क्योंकि यह दुर्लभ प्रजाति के हैं. आईयूसीएन ने इसे इसलिए दुर्लभ प्रजाति में शामिल कर लिया है क्योंकि जिन प्राकृतिक परिस्थितियों में यह रहता है, वे अब गंभीर रूप से संकट में हैं या सिकुड़ती जा रही हैं.

5. **हैमरहेड शार्क**

यह शार्क हिन्द महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाई जाती है. इसकी लंबाई 6 फीट से भी अधिक होती है. यह एशिया में सर्वाधिक पाई जाती

Gshindi.com

है. इसकी शारीरिक संरचना के कारण यह आसानी से जाल में फंस जाती है. बड़े पैमाने पर शिकार के चलते यह संकट में है.

6. **घाट वार्ट मेंढक**

गंभीर रूप से संकट में पहुंच चुकी यह प्रजाति नदुवत्तोम, तमिलनाडु में 2200 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है लेकिन इस प्रजाति के सारे मेंढक इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और सौ वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमट कर रह गए हैं.

7. **ऊंचाई पर रहने वाला कस्तूरी मृग**

यह हिरण उत्तराखंड का राज्य पशु घोषित किया गया है. यह अत्यधिक ऊंचे इलाकों में पाया जाता है. केदारनाथ वाइल्डलाइफ सेंचुरी और अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी में यह पाया जाता है. पिछले 21 सालों में इनकी संख्या में तेजी से कमी आई है. आईयूसीएन के मुताबिक इस दौरान इनकी संख्या में 50 फीसदी की गिरावट आ चुकी है.

8. **एशियाई बड़ा नर्म खोल वाला कछुआ**

यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कछुआ है, जो मीठे पानी में रहता है. दक्षिण-पूर्वी एशिया में रहने वाला यह कछुआ ठहरी हुई नदियों और जलधराओं में रहता है. दूसरे कछुओं की तरह इसका बाहरी खोल कठोर नहीं होता. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ देशों में इसका अंधाधुंध शिकार और व्यापार किया जा ररहा है. इस वजह से यह प्रजाति संकट में है.

9. **कोचीन फारेस्ट केन टर्टल**

यह दुर्लभ प्रजाति का कछुआ पश्चिमी घाटों में पाया जाता है. यह हरे-भरे जंगलों में पाया जाता है. 1912 में कोचिन के जंगलों कवलाई के पास इसे सबसे पहले देखा गया था. इसलिए इसका नाम कोचिन से जुड़ा. यह पानी के बजाय बिलों में रहता है.

10**. व्हेल शार्क**

- भारत में पाई जाने वाली यह विश्व की सबसे बड़ी मछली है जो लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी और गुजरात के सौराष्ट्र से लगते समुद्रों में मुख्यतः पाई जाती है. व्हेल शार्क के संकट में होने की चेतावनियों के चलते भारत ने 2001 में इसके व्यापार पर प्रतिबंध लगाा दिया था. दुर्लभ प्रजाति की इस मछली को आईयूसीएन ने 2016 में पहली बार संकट में घोषित किया है.

Gshindi.com

11. **आरनेट ईगल रे**

काफी कम दिखाई देने वाली यह मछली चार मीटर तक लम्बी हो सकती है. 160 वर्ष पहले इसे पहली बार देखा गया था. हिन्द महासागर एवं प्रशांत महासागर में यह पाया जाता है. पिछली तीन पीढ़ियों यानी कि पिछले 45 सालों में इस प्रजाति की संख्या में 50 फीसदी से ज्यादा गिरावट आंकी गई है.

12. **इंडियन पेंगोलिन**

- चींटी खाने वाला यह प्राणि भारत में काफी कम दिखने वाला दुर्लभ जीव है. मांस और खाल, दोनों के लिए इसका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है. गैर कानूनी तरीके से इसे चीन और वियतनाम जैसे देशों में भी भेजा जाता है.

आईयूसीएन ने इस बेहद खतरे में पड़ी प्रजाति का दर्जा दिया है. डब्लूडब्लूएफ के मुताबिक 2009 से 13 के बीच 3000 से ज्यादा पेंगोलिन का अवैध शिकार किया गया.

13. **फिशिंग कैट**

ये जंगली बिल्लियां मछली के शिकार के लिए पानी में तैरती हैं और गोता लगाती हैं. ये बिल्लियां सुंदरबन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटियों में पाई जाती हैं लेकिन जल स्रोतों के सूखने और इसके रहने के स्थल यानी वेटलैंड में कमी आने के बाद से इसे आईयूसीएन ने दुर्लभ प्रजाति का करार दे दिया है.

14. **क्लाउडेड तेंदुआ**

यह खूबसूरत तेंदुआ पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है. इनकी संख्या 10,000 से कम रह गई है और इसे विलुप्तप्राय घोषित किया गया है.

15. **इरावडी डॉल्फिन**

स्नबफिन **डॉल्फिन** के नाम से जानी जाने वाली यह **डॉल्फिन** सामान्यतः चिल्का झील और भारत के पूर्वी तट में पाई जाती है. इसके अलावा यह म्यांमार और अन्य दक्षिण एशियाई देशों पाई जाती है. ये अक्सर पानी में तैरते हुए मछली पकड़ने वालों के जाल में फंस जाती है. इसीलिए इनकी संख्या कम हो गई है. इरावडी उन डाॅल्फिन मछलियों में से एक है, जिसे मानव अपना मित्र समझते हैं. चिल्का झील में ये डाॅल्फिन और मछुआरे मछली पकड़ने में एक दूसरे की मदद करते देखे जा सकते हैं.

Gshindi.com

2. अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस: कॉर्बेट नेशनल पार्क में बढ़ी बाघों की संख्या पर चुनौतियाँ भी हैं सामने

वैश्विक स्तर पर बाघों की घटती आबादी भले ही चिंता का विषय हो, लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क (सीटीआर) इसका अपवाद है। कॉर्बेट प्रशासन की दृढ़ इच्छाशक्ति और लोगों को जागरूक करने का ही नतीजा था कि साल दर साल कॉर्बेट में बाघों की गर्जना और तेज हुई है।

- पूरी दुनिया में बाघों के संरक्षण के लिए 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। रूस से शुरू हुआ यह सफर कॉर्बेट नेशनल पार्क में सार्थक सा लगता है।
- बाघों के लिए सबसे मुफीद जगह माने जाने वाला सीटीआर इनके घनत्व के मामले में देश में पहला स्थान रखता है वहीं राज्य में 340 बाघ हैं। कॉर्बेट में बाघों की सुरक्षा वर्तमान में ई-सर्विलासं सिस्टम से की जाती है।
- इसमे ऊंचे टॉवरों पर लगे कैमरे दूर-दूर तक जंगल की निगहबानी करते हैं। सीटीआर से सटे गांव में ईको विकास समिति बनाकर वन्यजीव संरक्षण के कार्यक्रमों में ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित की गई।
- 2012 में टाइगर कंजरवेशन फाउडेंशन बनाकर कर्मचारी व ग्रामीणों के हितों के लिए कार्य किए गए। इसके अलावा यहां बाघों के रहने के वासस्थल को विकसित किया गया।
- नतीजतन कॉर्बेट में बाघों की संख्या साल दर साल बढ़ती गई। वर्ष 2006 में जहां बाघों की संख्या 160 थी तो 2010 में बढ़कर 215 हो गई है। 2014 में कॉर्बेट में बाघों की संख्या 215 हो गई है। भारत में कॉर्बेट का दूसरा स्थान है।

=>भविष्य की योजनाएं

- कॉर्बेट में बाघों की सुरक्षा के लिए अलग से एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी प्रस्तावित है। इसमें 90 वनकर्मी बाघों की सुरक्षा के लिए शामिल किए जाएंगे।
- इतना ही नहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर ही पाखरो क्षेत्र में एक टाइगर सफारी की योजना भी प्रस्तावित है। इसमें घायल बाघों का उपचार होगा। वहीं बाघों के लिए एक बाड़ा बनाकर पर्यटकों को बाघों का

Gshindi.com

दीदार कराया जाएगा। योजना राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा प्राधिकरण व जू अथॉरिटी भारत सरकार में लंबित है।

=>प्रतियोगिता से करते हैं प्रेरित

- अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी बाघों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान विद्यालयों में फिल्म, गोष्ठियां, रैलियों, पेंटिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता के जरिये बच्चों को प्रेरित किया जाता है।

=>ये हैं चुनौतियां

कॉर्बेट में बाघों के लिए प्रशासन भले ही प्रयासरत हो, लेकिन कॉर्बेट में बाघों को बचाने के लिए सीटीआर के सामने कई चुनौतियां हैं।

1.बाघों के कम होते वासस्थल

2. भोजन की कमी

3. अवैध शिकार

4. मानव-वन्यजीव संघर्ष व लोगों द्वारा बदले की भावना से बाघ को जहर या गोली से मार देना आदि समस्या हैं। इससे निपटने के लिए कारगर कदम उठाने होंगे।

★कॉर्बेट में बाघों के संरक्षण के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों का ही परिणाम है कि यहां इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लोगों को भी बाघ संरक्षण के लिए समय-समय पर जागरूक किया जाता है। भविष्य में और ठोस योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाएगा।

3. ग्रेट बैरियर रीफ में bleaching से 'अपूर्णीय पारिस्थितिकी क्षति'

- ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है. वैज्ञनिकों को हाल में एक खोज के दौरान पता चला है कि ग्रेट बैरियर रीफ में मौजूद मूंगों का बड़ी मात्रा में क्षरण (कोरल ब्रीचिंग) हो चुका है. वैज्ञानिकों ने इसे 'पूर्ण पारिस्थितिकी क्षति' बताया है.
- ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन कोरल वाच के वैज्ञानिकों ने हालिया सर्वे में पाया कि मूंगे की चट्टानों में पाए जाने वाले समुद्री जीवों की संख्या करीब आधी हो चुकी है.

Gshindi.com

=>Coral bleaching के कारण :-

- समुद्र के अंदर का तापमान ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो के कारण बढ़ता जा रहा है. पिछले कुछ समय में अल नीनो प्रभाव में कमी आई है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कम होने का नाम नहीं ले रही है.
- अगर समुद्र के अंदर का तापमान समय रहते कम हो जाए तो कोरल ब्रीचिंग रुक जाती है लेकिन दुखद ये है कि ग्रेट बैरियर रीफ के मामले में ऐसा नहीं हो रहा है. समुद्र के कुछ हिस्सों में तापमान के कम हो जाने के बाद भी कोरल ब्रीचिंग नहीं रुकी.
- इससे भी चिंताजनक बात ये है कि मार्शल ने रीफ के उत्तरी इलाके का अध्ययन किया जो आम तौर पर पर्यावरण बदलाव से कम प्रभावित होने वाला इलाका माना जाता है. वैज्ञानिकों को आशंका है कि ग्रेट बैरियर रीफ शायद अपना पुराना स्वरूप कभी वापस न पा सके.

=>भारत भी प्रभावित :-

★ कोरल ब्रीचिंग एक अंतरराष्ट्रीय परिघटना है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. लक्ष्यद्वीप में स्थित मूंगे की चट्टाने ब्रीचिंग की शिकार हो रही हैं.

★ इनकी निगरानी करने वाली संस्था नेचर कंजरवेशन फाउंडेशन के अनुसार इस साल अप्रैल में समुद्र का अंदरूनी तापमान अपने अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया. संस्था को लक्षद्वीप में पहली बार मरी हुई मछलियों के अलावा 'फुल-स्केल ब्रीचिंग' के लक्षण मिले.

★ प्रदूषण और अंडरवाटर फिशिंग की वजह से मूंगों की चट्टानों की अपने आप सही होने की क्षमता भी खो रही हैं. 1998 में अल नीनो के बाद भी जब इसी तरह बड़े पैमाने पर कोरल ब्रीचिंग हुई थी तो उसके बाद से इस इलाके मछली मारना लगभग बंद हो चुका था.

★ एनसीएफ ने अपने बयान में कहा, "कोरल ब्रीचिंग में सुधार न होने के कारण हमें पहले से पता है लेकिन फिशिंग से लक्षद्वीप के मूंगों को ज्यादा क्षति पहुंच रही है. इससे लक्षद्वीप समूह की जैव सुरक्षा को भी गंभीर खतरा हो सकता है."

---

4. भारत सतत विकास सूचकांक में 110वें स्थान पर

Gshindi.com

भारत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने के मामले में पीछे है और इस सूचकांक में वह 149 देशों में 110वें स्थान पर है जबकि स्वीडन को शीर्ष स्थान हासिल हुआ।

विश्लेषण :

- सूचकांक से स्पष्ट है कि सभी देशों को इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- सतत विकास समाधान नेटवर्क (एसडीएसएन) और बर्टल्समैन स्टिफटंग ने नया सतत विकास सूचकांक पेश किया ताकि सतत विकास लक्ष्य की प्रगति का आकलन हो सके और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो।
- सूचकांक ने 149 देशों के आंकड़ों का संग्रह किया ताकि इसका आकलन हो सके कि 2016 में हर देश सतत विकास लक्ष्य के मामले में कहां खड़े हैं।
- सूचकांक में विभिन्न देशों के 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है जो सतत विकास के तीन आयामों
  1. आर्थिक विकास
  2. सामाजिक समावेश और
  3. पर्यावरण वहनीयता - से जुड़े हैं।
- सूचकांक से विभिन्न देशों को जल्द उठाए जाने वाले कदमों की प्राथमिकता की पहचान करने में मदद मिलती है और इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न देशों के सामने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रमुख चुनौतियां हैं। सूचकांक से देश को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक मार्ग तलाशने में मदद मिल सकती है।
- जो देश लक्ष्यों को हासिल करने के करीब हैं वे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नहीं बल्कि अपेक्षाकृत छोटे और विकसित देश हैं। इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर है, जिसके बाद डेनमार्क और नार्वे तीन शीर्ष स्थानों पर हैं।

GShindi.com

5.अरबों साल पहले अंटार्कटिका का हिस्सा था भारत, रिसर्च में हुआ खुलासा

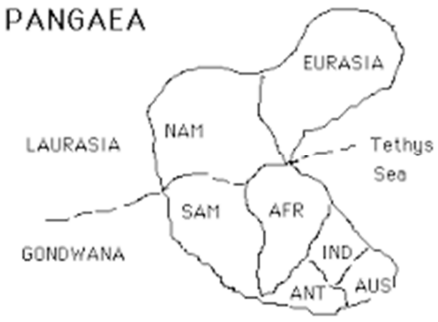

- भूवैज्ञानिकों को ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जो इस परिकल्पना का समर्थन करते हैं कि अरबों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप अंटार्कटिका का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मानव जाति के विकास से पहले विवर्तनिक प्लेटों के स्थान में परिवर्तन के कारण यह कई बार अलग हुआ और फिर एक साथ आया.

- पृथ्वी के बाह्य पटल के विकास का अनुसंधान करने वाले भारत और स्विट्जरलैंड के भूवैज्ञानिकों के एक समूह ने पूर्वी घाट क्षेत्र में महाद्वीपीय परत के प्राचीन चट्टानों का अध्ययन किया. इस दौरान उन्हें महाद्वीपों के गठन के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले.

- अनुसंधान की अगुवाई करने वाले आईआईटी खड़गपुर के भूवैज्ञानिकों ने कहा, "पहली बार हम इस परिकल्पना को साबित करने में सफल रहे हैं कि अंटार्कटिक महाद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप एक समय में एक बड़े महाद्वीप के रूप में थे और करीब डेढ़ अरब वर्ष पहले ये एक-दूसरे से अलग हो गये थे."

- अनुसंधान में ये बात भी सामने आई है कि भारत और अंटार्कटिक को एक सागर ने अलग किया. उनके अनुसंधान को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'एल्सवियर' ने प्रकाशित किया था, जिसके अनुसार दोनों महाद्वीप एक बार और अलग हुए थे और पुराने सागर का स्थान एक नये सागर ने ले लिया.

---

6. बंगाल की खाड़ी में वैज्ञानिकों ने ढूंढा प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार

अमरीका और जापान के साथ चलाए जा रहे एक संयुक्त अभियान के दौरान बंगाल की खाड़ी में प्राकृतिक गैस हाइड्रेट का विशाल भंडाल मिला है।।

- बंगाल की खाड़ी जैसी खोज से गैस हाइड्रेट की वैश्विक ऊर्जा संसाधन क्षमता का फायदा उठाने और सुरक्षित तरीके से उनके उत्पादन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को परिभाषित करने में मदद मिलेगी।

Gshindi.com

- यह खोज दुनिया में अब तक सबसे व्यापक गैस उद्यम का नतीजा है, जिसमें भारत, जापान और अमरीका के वैज्ञानिक शामिल हैं। यूएसजीएस ने कहा कि वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए भारत के अपतटीय इलाके में गैस भंडार की विशिष्टताओं का पता लगाया।
- इस अनुसंधान का नाम इंडियन नैशनल गैस हाइड्रेट प्रोग्राम एक्सपेडिशन-02 था। यह हिंद महासागर में गैस हाइड्रेट भंडार का पता लगाने का दूसरा संयुक्त प्रयास था।
- यह भंडार बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कृष्ण-गोदावरी बेसिन के रेत वाले क्षेत्र में मिला है। मौजूदा तकनीक रेत में पाए जाने वाले गैस हाइड्रेट से प्राकृतिक गैस निकलने के अनुकूल है। उम्मीद है कि इससे प्राकृतिक गैस को निकालना आसान होगा।
- बंगाल की खाड़ी जैसी खोज से गैस हाइड्रेट की वैश्विक ऊर्जा संसाधन क्षमता का लाभ उठाने और सुरक्षित तरीके से उनके उत्पादन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को परिभाषित करने में मदद मिलेगी।
- यह खोज विश्व की अब तक के सबसे बड़े गैस हाइड्रेट फील्ड उद्यम का नतीजा है, जिसे भारत, जापान और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया। इस अनुसंधान का नाम इंडियन नेशनल गैस हाइड्रेट प्रोग्राम एक्सपेडिशन 02 था।
- हिंद महासागर में गैस हाइड्रेट की संभावनाओं के लिए यह दूसरा संयुक्त अन्वेषण है।

क्या है गैस हाइड्रेट

- गैस हाइड्रेट्स मीथेन और पानी का क्रिस्टलीय रुप हैं, और वे बाहरी महाद्वीपीय मार्जिन के उथले तलछटों में मौजूद हैं।
- इनकी परिकल्पना भविष्य के लिए एक व्यवहार्य प्रमुख ऊर्जा संसाधन के रूप में की गई है।
- इस प्रकार, भूभौतिकीय तरीकों से भारतीय महाद्वीपीय मार्जिन के साथ-साथ संसाधन क्षमता का मूल्यांकन सहित गैस हाइड्रेट्स का सीमांकन भारत के लिए ऊर्जा की भारी मांग को पूरा करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है।

Gshindi.com

- अपनी प्रचुर मात्रा संसाधन क्षमता के साथ गैस हाइड्रेट्स एक संभावित ईंधन संसाधन के रूप में उभर रहे हैं।
    - गैस हाइड्रेट्स के दोहन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करके देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। गैस हाइड्रेट अन्वेषण, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित इन गैस हाइड्रेट्स से गैस की प्राप्ति के लिए उपकरणों का विकास करना मौजूदा समय की जरूरत है।

7.नदियों का प्रवाह बचने के लिए गाद प्रबंधन जरुरी

क्यों खबरों में

पिछले दिनों केंद्र सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवीकरण मंत्रलय द्वारा विभिन्न नदियों में गाद और कटाव की समस्या के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई। यह समिति गाद जमा होने और कटाव के कारणों का अध्ययन करेगी, और इनसे जुड़ी समस्याओं के निदान के सुझाव देगी। यह समिति गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का विशेष रूप से अध्ययन करेगी।

सरकार द्वारा इससे पहले गाद प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम और उनकी विफलता

- ❖ भारत सरकार द्वारा साल 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग और 2004 में भी केंद्र द्वारा बाढ़ प्रबंधन व कटाव नियंत्रण के संबंध में एक टास्क फोर्स बनाया गया था।
- ❖ फिर साल 2006 में केंद्र सरकार ने बी के मित्तल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने नदियों में गाद की समस्या का अध्ययन करके उस पर अपनी राय दी।
- ❖ इन सभी ने गाद प्रबंधन के लिए कोई ठोस उपाय नहीं बताया। यह बात सही है कि गाद बनने या गाद जमा होने के कारणों का विश्लेषण किया गया और गाद जमा होने की दर को नियंत्रित करने के कुछ उपाय बताए गए। कार्रवाई भी की गई, लेकिन नदी तल में जमा हो चुके गाद और इसके कारण तल के उथला होते जाने के बारे में कुछ नहीं किया जा सका।

GShindi.com

भारत में गाद समस्या

- ✓ यूं तो यह समस्या पूरे विश्व की है, पर भारत में और विशेषकर बिहार में यह समस्या अब सुरसा रूप लेती जा रही है।
- ✓ बिहार का लगभग 73 प्रतिशत भूभाग बाढ़ के खतरे वाला इलाका है।
- ✓ पूरे उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ के प्रकोप की आशंका बनी रहती है।
- ✓ उत्तर बिहार में बहने वाली लगभग सभी नदियां, जैसे घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा आदि नेपाल के विभिन्न भागों से आती हैं और खड़ी ढाल होने के कारण अपने बहाव के साथ वे अत्यधिक मात्र में गाद लाती हैं।
- ✓ बहाव की गति में परिवर्तन के कारण विभिन्न स्थानों पर गाद जमा होती जा रही है।
- ✓ कभी-कभी अत्यधिक गाद के एक स्थान पर जमा होने पर वहां गाद का शोल (टीला) बन जाता है। नदी के बहाव के बीच में शोल बन जाने से उसकी धारा विचलित होती है, जो तिरछे रूप में अधिक वेग से पहुंचने के कारण बांध और किनारों पर कटाव का दबाव बनाती है।

गाद प्रबन्धन और अन्य जुड़े मुद्दे

- ▪ यह सीधे-सीधे कई चीजों से जुड़ा है, जिनमें बाढ़ नियंत्रण, नेविगेशन और प्रकृति संरक्षण आदि महत्वपूर्ण हैं।
- ▪ कई देशों में गाद का प्रबंधन आज नदी प्रबंधन कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जब नदी प्रबंधन की बात आती है, तो इसके सबसे प्रमुख अवयव के रूप में गाद प्रबंधन की बात होती है।
- ▪ गर गाद प्रबंधन की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई, तो स्थिति अत्यंत भयंकर हो सकती है।नदी का जीवन उसका प्रवाह ही होता है और अगर इसका प्रवाह रुक गया या टूट गया, तो वह नदी मृतप्राय हो जाती है
- ▪ नदी तल में अनियंत्रित गाद जमा होने के कारण इस स्थिति की आशंका हमेशा प्रबल बनी रहती है।

गंगा case study :अगर गंगा को देखा जाए, तो चौसा, पटना या फरक्का या कहीं भी इसे जहां सबसे गहरी होनी चाहिए, वहीं यह उथली हो चुकी है।

Gshindi.com

धीरे-धीरे अगर उस उथलेपन का विस्तार नदी की चौड़ाई में फैलता है, तो नदी का स्वाभाविक प्रवाह ही अवरुद्ध हो जाता है। तब नदी टुकड़े-टुकड़े में पोखर या तालाब जैसा दिखने लगती है। गंगा नदी के मामले में तो स्वाभाविक गाद जमा होने की क्रिया पुराने समय से चल ही रही थी, फरक्का बैराज के निर्माण के बाद से इसमें गाद जमा होने की दर कई गुना बढ़ गई। धीरे-धीरे नदी का पूरा पाट समतल दिखने लगा है, इससे नदी में जल भंडारण की क्षमता का ह्रास होता है और अगर यह प्रक्रिया निरंतर जारी रही, तो नदी का रूप सपाट हो जाएगा और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

गाद प्रबंधन के उपाय

- इसके संबंध में कई उपाय भी किए गए हैं, जैसे '**कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान**'।
- इसके तहत जल ग्रहण वाले क्षेत्र में वृक्षारोपण करके भूक्षरण की क्रिया को रोका जाता है। पर सबसे बड़ी आवश्यकता अभी जमा हो चुके गाद के प्रबंधन की है।
- इसका दो ही तरीका है। **पहला ड्रेजिंग है**, जिसके तहत नदी तल से गाद को निकालकर बाहर किया जाता है और नदी के मुख्य प्रवाह को जीवित रखा जाता है।
- दूसरा, फ्लशिंग से गाद को नदी के प्रवाह के साथ बाहर खाड़ी या समुद्र में पहुंचा दिया जाए।
- ड्रेजिंग के पश्चात इसके निष्पादन की भी समस्या आती है और इसका सबसे प्रभावकारी उपाय के रूप में वैज्ञानिक शोध के आधार पर इसके व्यावसायिक उपयोग का रास्ता ढूंढ़ना होगा।दुनिया भर में नदियों को जीवंत रखने के लिए आज ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग की निरंतर व्यवस्था की जाती है।

Science and Technology

1.गूगल ने 'नॉट' नाम से एंड्रॉयड का नया वर्जन 7.0 जारी किया

Gshindi.com

गूगल ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का नया वर्जन एंड्रॉयड 7.0 नॉट नाम से जारी कर दिया है. यह वर्जन ज्यादा सुरक्षित है और इसमें आसानी से मल्टीटास्किंग हो सकती है.

1. इससे एक मोबाइल स्क्रीन पर दो एप चलाए जा सकते हैं.
2. नोटिफिकेशन पर तेजी से जवाब दिया जा सकता है.
3. इसके अलावा जटिल थ्रीडी ग्राफिक्स चलाया जा सकता है.
4. इसमें बैकग्राउंड डेटा रोककर डेटा बचाने और बैटरी लाइफ बढ़ाने की खासियत भी है.

हालांकि, नॉट को अभी केवल नेक्सस के एंड्रॉयडल मोबाइल और टेबलेट पर ही अपडेट किया जा सकता है. इनमें नेक्सस 5एक्स, नेक्सस-6, नेक्सस-9, नेक्सस प्लेयर और पिक्सल सी टेबलेट शामिल है. हालांकि, नेक्सस-5 पर इसे अपडेट करने की सुविधा नहीं दी गई है.

2.भारत ने बनाया पहला कुष्ठ रोग का 'टीका

भारत में कुष्ठ रोग से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। कुष्ठ रोग का कोई कारगर इलाज न होने के कारण मरीजों को दर-दर भटकना पड़ता था। लेकिन अब इसका इलाज संभव है क्योंकि देश में अब कुष्ठ रोग का टीका विकसित कर लिए गया है।

इसका नाम है : ***Mycobacterium indicus pranii*** **(MIP)**

भारत में कुष्ठ की स्थिति

रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के करीब 60 फीसदी कुष्ठ रोगी भारत में पाए जाते हैं। इस बीमारी से पीड़ित ज्यादातर लोग समय रहते बीमारी का पता नहीं चलने और इलाज के आभाव में अपंग हो जाते हैं। बता दें कि देश में अब कुष्ठ रोग का टीका विकसित हो चुका है, जिसे आने वाले कुछ हफ़्तों में ही बिहार और गुजरात के कुछ जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा। इस टीके की शुरूआती जांच में अगर परिणाम संतोषजनक आते हैं तो देशभर के बाकि जिलों में भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

संक्रामक बीमारी

Gshindi.com

- गौरतलब है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के संपर्क में रहने वाले लोग भी इस बिमारी से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए कुष्ठ रोग न होने के लिए भी टीका लगवाया जा सकता है

क्या है यह नया टीका

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की निदेशक सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि, " कुष्ठ का यह पहला टीका है और भारत ऐसा पहला देश है जहां इतने बड़े स्तर पर कुष्ठ रोग के टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। परिक्षण में पाया गया है कि अगर कुष्ठ रोग के संपर्क में रहने वाले लोगों को टीका लगावाया जाए तो तो 3 साल के अंदर ही कुष्ठ के मामलों में 60 फीसदी की कमी लायी जा सकती है। साथ ही अगर कुष्ठ से किसी की त्वचा जख्मी हो गई है, तो यह टीका उसे जल्दी ठीक होने में मदद करेगा।

बता दें कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के संस्थापक और निदेशक जे पी तलवार द्वारा विकसित की गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) और अमरीका की एफडीए ने भी इसे पास कर दिया है। "सरकार ने देश के सर्वाधिक कुष्ठ प्रभावित 50 जिलों में घर-घर जाकर पहचान करवाने के काम शुरू कर दिया है। तो वहीं अब तक करीब 7.5 करोड़ लोगों की जांच हो चुकी है। इनमे से करीब पांच हजार लोगों के कुष्ठ रोगी होने की पुष्टि हो चुकी है।

अगले चरण में तमिलनाडु के इरोड जिले सहित कुष्ठ रोग से बुरी तरह प्रभावित 163 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। सरकार किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती हैं। जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित पाए गए है उन्हें इलाज मुहैया करवाया जाएगा और इनके संपर्क में रहने वाले लोगों को दवाएं दी जाएंगी।

3.पनामा डिजीज: फफूंदी संक्रमण के कारण दस साल बाद नहीं मिलेगा केला

दुनिया का सबसे सस्ता और लोकप्रिय फल केला समाप्त होने की कगार पर है। अगले दस सालों में केला बीते दिनों की बात जैसा हो सकता है क्योंकि केले की उपज पर "सिगाटोका कॉम्प्लेक्स" नामक एक फफूंदी का खतरा मंडरा रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी डेविस और नीदरलैंड के शोधकर्ताओं का कहना है कि, "केले की उपज पर एक कवक (फफूंदी) का खतरा मंडरा रहा है जो केले को इस दुनिया से विलुप्त कर सकता है।

- **'सिगाटोका कॉम्प्लेक्स'** नाम में जानी जाने वाली यह फफूंदी काफी बड़े स्तर पर केले की उपज को प्रभावित कर सकती है। साथ ही अगले दस सालों के अंदर ही केला बीते दिनों की बात हो सकता है।
- "सिगाटोका कॉम्प्लेक्स बहुत जटिल कवक है, जो तीन तरह के फंगल रोगों का जिम्मेदार है। इस फफूंदी से करीब तीन प्रकार के फंगल रोग होते हैं जो केले की उपज को एक बड़े स्तर पर 40 फीसदी तक नष्ट कर सकते हैं।
    - केले की उपज पर आए इस खतरे का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर के किसानों को केले की फसलों पर एक साल में करीब 50 बार फंगीसाइड (कवकनाशक) का इस्तेमाल करना होगा।

---

4. 2020 तक भारत में 73 करोड़ होंगे इंटरनेट यूजर्स

- ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से भारत में 2020 तक इंटरनेट प्रयोक्ताओं की संख्या 73 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है जो 2015 के अंत तक रही कुल इंटरनेट प्रयोक्ताओं की 35 करोड़ की संख्या का लगभग दुगना होगा।
- यह जानकारी भारत में इंटरनेट के भविष्य के बारे में नासकॉम और अकामई टेक्नोलॉजीस की एक नवीनतम 'द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया' रपट में दी गई है।
- रपट के मुताबिक इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली आबादी के आधार के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत

gshindi.com

है और भारत इस क्षेत्र में सबसे तेजी से बढता बाजार बना रहेगा।

- रपट में कहा गया है कि इंटरनेट से जुड़ने वाले नए लोगों में 75 प्रतिशत भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की है। इस आबादी का करीब 75 प्रतिशत इंटरनेट का प्रयोग स्थानीय भाषा में करेंगे।

- भारत का इंटरनेट उपभोग पहले ही अमेरिका से आगे निकल गया है और वैश्विक रूप से दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2020 तक यह देश के और दूरदराज के भूभागों मे फैलेगा जिससे हर किसी के लिए और अवसर पैदा होंगे।

5.सबसे बड़े विमान 'फ्लाइंग बम' ने भरी पहली उड़ान, जानें इसकी खूबियां

लंदन में दुनिया के सबसे बड़े विमान फ्लाइंग बम ने पहली उड़ान भरी है।

क्या है इसकी खूबियाँ

- इसे कोई मामूली एयरक्राफ्ट मत समझिएगा. दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है ये. इसको फ्लाइंग बम नाम दिया गया है. लंदन के Cardington एयरफील्ड से इस फ्लाइंग बम ने कल परीक्षण के तौर पर अपनी पहली सफल उड़ान भरी.
- 92 मीटर लंबे, 44 मीटर चौड़े और 26 मीटर ऊंचे इस एयरक्राफ्ट के निर्माण में 25 मिलियन पौंड यानी करीब दो अरब रुपये का खर्च आया है. करीब 10 साल का वक्त इसे बनाने में लगा है. हीलियम गैस से उड़ने वाले इस एयरक्राफ्ट का कुछ हिस्सा विमान का है, कुछ शिप का, तो कुछ हेलिकॉप्टर का.
- दुनिया के इस सबसे बड़े एयरक्राफ्ट की कुछ और बड़ी खासियतें भी जान लीजिए. तीन हफ्ते तक ये हवा में रह सकता है. क्रू मेंबर्स समेत 48 यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले सकता है. 10 हजार टन सामान ढो सकता है. किसी पैसेंजर जेट के मुकाबले इसकी लंबाई करीब 15 मीटर ज्यादा है.
- 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला ये एयरलैंडर आप में ये एक हेलिकॉप्टर भी है. क्योंकि इसे उड़ने और उतरने के

Gshindi.com

लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ती. यही नहीं. इसे पानी पर भी उतारा जा सकता है. रिमोट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. ब्रिटेन की हाइब्रिड एयर व्हीकल्स कंपनी ने इसका डिजाइन तैयार किया है और दावा है कि ये एयरक्राफ्ट ना को शोर नहीं करता है और न प्रदूषण छोड़ता है.

- इस एयरक्राफ्ट को बनाने का आइडिया 2009 में अमेरिका की सेना को आया था.
- अमेरिका अपनी सेना के लिए अफगानिस्तान सामान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था. लेकिन रक्षा बजट कम होने की वजह से 2012 में प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया गया. बाद में ब्रिटिश कंपनी एयरलैंडर ने इस आइडिए को कैश करा लिया और इस तरह ये एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट के रूप में अब सबके सामने है.

6.डिजिटल इंडिया की चुनौतियाँ

जुलाई 2015 को केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत की थी. आज गांव में इन दिनों राशन कार्ड के जरिये मिलनेवाली सुविधाओं को लाभुकों के बैंक खातों से जोड़ने की पहल हो रही है, लेकिन अब तक डिजिटल इंडिया की मूलभूत सुविधाएं गांव तक पहुंची ही नहीं हैं और कागज पर सर्वे जारी है.

ऐसे में क्या डिजिटल इंडिया से रूरल इंडिया दूर होता जा रहा है??

- ✓ सरकार चाहती है कि डिजिटल इंडिया के मार्फत लोगों को रोजमर्रा की सभी सुविधाएं पहुचायी जाये. यह बढ़िया बात है, फिर देश के कई ग्रामीण इलाके तक यह सुविधा अब तक क्यों नहीं पहुंची, यह एक बड़ा सवाल है.
- ✓ याद करिये, सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान को नौ क्षेत्रों में बांटने की कोशिश की थी. देश के आखिरी घर तक ब्रॉडबैंड के जरिये इंटरनेट पहुंचाने की बात थी. अब सवाल है कि गांव तक कैसे ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचेगी?
- ✓ दरअसल, ब्रॉडबैंड हाइवे की शुरुआत आप्टिक फाइबर नेटवर्क से होती है. गांव-गांव तक फाइवर नेटवर्क का तार बिछाना सबसे बड़ी चुनौती है.

Gshindi.com

सरकार को उन गांवों तक पहुंचना होगा, जहां तक अभी भी न सड़क पहुंच पायी है और न ही बिजली.

- ✓ डिजिटल इंडिया के तहत सरकार पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम की बात कहती रही है. लेकिन जरा सोचिये, जिस गांव में बिजली और सड़क नदारद है, वहां तक आप ऐसे ख्वाब कैसे पहुंचायेंगे? पंचायत तक इस योजना को पहुंचाना कठिन चुनौती है. सरकार इ-गवर्नेंस की भी बात कर ही है.
- ✓ इसका अर्थ यह है कि वह सरकारी दफ्तरों को डिजिटल बनाना चाहती है और सेवाओं को इंटरनेट से जोड़ने का ख्वाब रखती है. इन सभी को अमलीजामा पहनाने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी. सरकार को हर कर्मचारी को डिजिटल कार्यक्रम से रूबरू कराना होगा और ट्रेनिंग देनी होगी.
- ✓ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार इ-क्रांति की बात करती है : जिस देश में अभी भी अन्न-जल चुनौती है. जहां हर दिन लाखों लोगों का चूल्हा आज भी बड़ी मुश्किल से जल रहा है, वहां डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता की गारंटी देना एक सपना ही लगता है. लेकिन हम आशा तो रख ही सकते हैं.

क्या करना होगा : सरकार इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मिशन मोड में काम करे. गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर काम करना होगा.

आधारभूत ढांचे का निर्माण करना होगा. पूरे देश में केबल बिछाना होगा. पहाड़ों, नदियों, जंगलों से होकर हर गांव तक केबल ले जाना कठिन काम है।

7.चीन ने दुनिया का पहला 'हैक प्रूफ' क्वांटम संचार उपग्रह लांच किया

चीन ने दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। सुरक्षा विशेषता के चलते इसे ना तो हैक किया जा सकेगा और न ही इसके द्वारा भेजी जाने वाली सूचनाओं को बाधित या टैप किया जा सकेगा।

- ✓ यदि इस उपग्रह ने अच्छी तरह काम किया तो यह 'हैक प्रूफ' अभेदय संचार प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगा। चीन कुछ ही दिनों में इसे प्रक्षेपित करेगा।

Gshindi.com

- ✓ जुलाई, 2015 में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला शंघाई में खुली थी, जिसकी स्थापना चाइनीज एकेडेमी ऑफ साइंस और चीन की विशाल इंटरनेट कंपनी अलीबाब ने मिलकर स्थापित किया था।
- ✓ क्वांटम संचार उपग्रह अहम प्रौद्योगिकी अति उच्च सुरक्षा का दावा करता है। क्योंकि फोटोन को न तो अलग किया जा सकता है और न ही उसकी प्रतिकृति बनाई जा सकती है, ऐसे में उससे गुजरने वाली सूचना को हैक करना संभव नहीं है।
- ✓ इसके अलावा इसमें संवाद करने वाले दो उपयोगकर्ताओं को उनकी बातों में ताक-झांक करने वाले तीसरे पक्ष की मौजूदगी के बारे में सूचित करने की काबिलियत है। तीसरा जो सूचना तीसरे पक्ष द्वारा पकड़ी जाएगी वह खुद ही नष्ट हो जाएगी।

8.गाओफेन 3 :दुनिया का सबसे ताकतवर और हाईटेक सैटेलाइट

- ✓ चीन ने 'गाओफेन 3' उपग्रह का प्रक्षेपण किया था।
- ✓ राडार प्रणाली से लैस यह उपग्रह एक मीटर के रेजोल्यूशन के साथ अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें ले सकता है।
- ✓ इसकी खासियत यह है कि यह किसी भी मौसम में काम कर सकता है
- ✓ चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच कहा है कि उसने अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए नए उपग्रह का प्रक्षेपण किया है

9.अक्यूइला ड्रोन

- ➢ सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक द्वारा तैयार ड्रोन
- ➢ सौर ऊर्जा चालित 'अक्यूइला ड्रोन' को कंपनी ने दुनियाभर के दूर-दराज के इलाकों में आसानी से इंटरनेट पहुंचाने के लिए तैयार किया है।
- ➢ ड्रोन लगभग 18,288 मीटर ऊंचाई और 96.6 किलोमीटर व्यास के क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाने में सक्षम होगा।
- ➢ इंटरनेट के लिए लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
- ➢ अपनी खास डिजाइन की वजह अक्यूइला तीन महीने से ज्यादा समय तक आसमान में रह सकता है।

10.एम-सीएसएफ प्रोटीन:निमोनिया से इलाज की नई खोज

क्या है खोज

शोधकर्ताओं ने एक विशेष प्रोटीन की पहचान की है, जो निमोनिया से लड़ने में मददगार हो सकता है। यह प्रोटीन दरअसल हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता को बढ़ाकर उसे निमोनिया से निपटने की ताकत देगा। इस नई खोज से चिकित्सकों को घातक संक्रमण के उपचार का एक नया प्रभावी माध्यम मिल सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि निमोनिया का बैक्टीरिया भी अन्य कई घातक बैक्टीरिया की तरह दिनोंदिन अधिक मजबूत होता जा रहा है। समय के साथ वह खुद को एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बनाता जा रहा है। अर्थात उस पर एंटीबायोटिक का असर कम होता जा रहा है।

निमोनिया से लड़ने मददगार यह प्रोटीन

शोधकर्ताओं को अध्ययन से पता चला कि इस प्रोटीन की कमी से मरीज के फेफड़ों में बैक्टीरिया की तादाद 10 गुना अधिक हो गई। जबकि रक्त में बैक्टीरिया की मौजूदगी 1,000 गुना अधिक पाई गई। संक्रमण लिवर तक पहुंच गया। इन सब के कारण मरीजों के मौतों की दर बढ़ गई। शोधकर्ताओं ने कहा, स्पष्टत: निमोनिया से लड़ने में एम-सीएसएफ की अहम भूमिका है।

कोशिकाओं को बचाए रखेगा

शोधकर्ता बोर्ना मेहराड ने कहा कि हमें यह पता था एम-सीएसएफ प्रोटीनएक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को मदद करता है, जिन्हें मोनोसाइट कहते हैं। एम-सीएसएफ को निकाल लेने से संक्रमित मेजबान में मोनोसाइट बनने बंद हो जाते हैं और वह कमजोर हो जाता है। अध्ययन से साफ हुआ कि एम-सीएफएस ने मोनोसाइट कोशिकाओं को बचे रहने में मदद दी। उन्होंने कहा, अगर आप मोनोसाइट को निकाल देंगे तो संक्रमण और बिगड़ जाएगा।

संक्रमण से लड़ने में मदद

शोधकर्ताओं ने कहा, नतीजों से साफ हुआ कि अगर संक्रमण के दौरान शरीर एम-सीएसएफ की सही मात्रा बना रहा है तब यदि हम उसमें इसकी अतिरिक्त मात्रा जोड़ते हैं तब यह तात्कालिक स्थिति में सुधार नहीं लाएगा। दूसरी संभावना यह है कि मोनोसाइट और बैक्टीरिया के बीच संघर्ष में, एम-सीएसएफ अधिक समय तक जीवित रहने वाले मोनोसाइट बनाए और उन्हें मजबूती प्रदान करे। मेहराड ने कहा, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले कुछ लोगों में पर्याप्त एम-सीएसएफ नहीं बन पाता। ऐसे मामलों में इस प्रोटीन का संवर्धन कर मरीजों में संक्रमण से लड़ने की क्षमता सुधारी जा सकती है।

11.सोलर इंपल्स-2 ने रचा इतिहास, लगाया दुनिया का चक्कर

सौर ऊर्जा से संचालित सौर विमान इंपल्स-2 चालीस हजार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुनिया का पहला चक्कर पूरा कर आबू धाबी में उतरा। इस

तरह इस विमान ने इतिहास रच दिया है। सौर विमान ने अपनी यह यात्रा एक साल से अधिक समय पहले शुरू की थी।

विमान ने मार्च 2015 में उड़ान भरी थी। बिना एक बूंद ईंधन खर्च किए सोलर इंपल्स 2 समूची दुनिया में 16 पड़ावों पर रुका, जिसका मकसद यह दिखाना था कि इस तरह की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर दुनिया की ईंधन खपत को आधा किया जा सकता है और प्राकृतिक संसाधानों को बचाने के साथ जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है।

12.ट्रैपिस्ट-बी ट्रैपिस्ट-1सी: ग्रहों पर जीवन की संभावना

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से जीवन की संभावना वाले दो ग्रहों का पता लगाया गया है।
- इनका आकार तकरीबन पृथ्वी जितना ही है।1खगोल वैज्ञानिकों ने इसे ट्रैपिस्ट-1बी और ट्रैपिस्ट-1सी का नाम दिया है।
- ये दोनों पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर हैं।
- **जीवन की संभावना के कारण :** दोनों ग्रहों पर दमघोटू हाइड्रोजन-हीलियम का आवरण नहीं होने के चलते जीवन की संभावना ज्यादा है। उनके मुताबिक इन दोनों गैसों की मौजूदगी में वायुमंडल बहुत सघन हो जाता है जो ग्रीनहाउस की तरह काम करता है। ऐसे में जीवन की संभावना नगण्य हो जाती है।
- दोनों ग्रह तकरीबन पचास करोड़ साल पुराने एक छोटे से लाल रंग के तारे की परिक्रमा करते हैं।
- पृथ्वी की अवधि के मुताबिक ट्रैपिस्ट-1बी डेढ़ दिन और 1सी ढाई दिन में अपना चक्कर पूरा करते हैं।
- ये ग्रह सूर्य से पृथ्वी की दूरी की तुलना में तारे से 20 से सौ गुना ज्यादा करीब हैं।
- खगोलविदों ने बताया कि ट्रैपिस्ट-1सी का तापमान सामान्य है, जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है

IR & International Event

1.World Bank Chief: क्या रह पाएगा US का दबदबा कायम? पारदर्शी चयन प्रक्रिया की मांग

Gshindi.com

विश्व बैंक अध्यक्ष पद के लिए ताजा चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें नामांकन के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है. विश्व बैंक के मौजूदा प्रमुख जिम यांग किम दूसरे कार्यकाल के लिए दावेदारों में शामिल होंगे.

★ बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने इस मामले में खुली, पारदर्शी, पात्रता आधारित चयन प्रक्रिया को समर्थन दिया है. इसमें सभी सदस्य देशों के लिए नामांकन खुला रहेगा."

=>अभी तक अमेरिका का है विश्व बैंक में दबदबा

- किम का पांच साल का कार्यकाल 30 जून 2017 को समाप्त हो रहा है.अब तक अमेरिका जो कि इसका सबसे बड़ा शेयरधारक है, वही हमेशा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता रहा है. जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख का चयन यूरोप से किया जाता है.
- विश्व बैंक के कर्मचारियों के स्टॉफ एसोसिएशन ने 8 अगस्त को जारी खुले पत्र में कहा है कि यह परंपरा पारदर्शिता, विविधता और पात्रता आधारित चयन प्रक्रिया के सिद्धांत के समक्ष हल्की पड़ती है. इस प्रक्रिया के तहत विश्व बैंक की अध्यक्षता हमेशा ही किसी अमेरिकी व्यक्ति को मिलती रही है.
- कार्यकारी बोर्ड का कहना है कि किम का चयन 2012 में इसी नए सिद्धांत के तहत किया गया जिसमें कि खुले और पारदर्शी तरीके से चयन पर जोर दिया गया है.
    - नए अध्यक्ष का चुनाव भी इसी सिद्धांत के तहत होना चाहिए. नई प्रक्रिया के तहत हुए चुनाव में किम पहले अमेरिकी उम्मीदवार रहे जिन्हें विश्व बैंक अध्यक्ष पद के लिए नाइजीरिया के वित्त मंत्री नोग्जी ओकोंजो-ल्वीला के समक्ष प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा.

---

2. बलूचिस्तान मुद्दा:- अंग्रेजों के ज़माने से है बलूचिस्तान में संघर्ष

Why in news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में जब से बलूचिस्तान का ज़िक्र किया है, भारत और पाकिस्तान के बीच नए सिरे से तनातनी देखने को मिल रही है.

अवस्थिति (Geography) :-

- पाकिस्तान के क़रीब 40 फ़ीसदी इलाक़े में स्थित बलूचिस्तान की सरहदें दक्षिण पश्चिम में ईरान और उत्तर से लेकर उत्तर पश्चिम तक अफ़गानिस्तान से लगती हैं. इसके उत्तर पूर्व में पाकिस्तान के क़बाइली इलाक़े और दक्षिण में अरब सागर है.
- दक्षिण पश्चिम में एक बड़ा हिस्सा सिंध और पंजाब से जुड़ा है. सिल्क रूट से कारोबारियों और यूरोप से आने वाले हमलावरों के लिए अफ़गानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता इसी बलूचिस्तान से होकर गुज़रता है.

Social condition:

- ✓ बलूचिस्तान में ज़मीन के ऊपर बलूच, हजारा, सिंधी, पंजाबी से लेकर उज्बेक़ और तुर्कमेनियाई लोगों की दुनिया बसी है. लेकिन नीचे कोयला और खनिजों का खज़ाना भरा है.
- ✓ बावजूद इसके करीब सवा करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बदहाली, ग़रीबी और सरकार की अनदेखी का शिकार है. लंबे समय से यहां के लोग अपनी ज़मीन पर अपने शासन के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

Histoty of conflict

- सन्1840 में जब ब्रितानी आए थे तभी से प्रतिरोध है, संघर्ष रुक रुक के चलता रहा है. पाकिस्तान बनने के बाद पांचवी बार सैन्य अभियान चल रहा है. ये सिलसिला इसलिए चल रहा है क्योंकि ना तो ब्रितानी जमाने में ना ही पाकिस्तान के शासन में बलूच लोगों के साथ कोई समझौता हुआ. ये अन्याय के ख़िलाफ़ संघर्ष है."
- "बलूचिस्तान की एक आज़ाद एसेंबली है, वहां प्रांतीय सरकार है, चुनाव होते हैं, कुछ लोग जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी के दावेदार हैं, वो असल में हिंदुस्तान के बहुत नज़दीक है।
- यहां तीन तरह का चरमपंथ है. एक जो यहां अलगाववादी ताक़तें हैं जो अब क़रीब क़रीब ख़त्म हो चुकी हैं, दूसरी धार्मिक ताकतें जिनके ख़िलाफ़ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और तीसरी अंतरराष्ट्रीय जो अब भी मौजूद है.

Gshindi.com

- पाकिस्तान ने जितनी ऊर्जा इस इलाक़े पर अपना अधिकार मज़बूत करने में ख़र्च की है उसका बहुत छोटा हिस्सा ही यहां के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने की मुहिम को दिया. नतीजा ये हुआ कि दिलों के बीच दूरियां बढ़ती गईं और पाकिस्तान बार बार यहां के आवाम को अपनी ताकत दिखाता रहा.
- 1948, 1958, 1962, 1973, और 2002 में यहां पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाइयां हुईं. इनमें भारी हथियारों का इस्तेमाल और हवाई हमले भी किए गए. 2006 में बलूच नेता अक़बर बुगती को क़त्ल कर दिया गया.

Human rights Violation

बलूचिस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग लापता हैं और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं कि वो कहां हैं. ग़ायब हुए लोगों के परिजन सरकार पर ही उन्हें अगवा करने का आरोप लगाते हैं, सड़कों पर उतर कर विरोध करते हैं. पाकिस्तान की सरकार स्थानीय लोगों को ही यहां गड़बड़ी फैलाने का ज़िम्मेदार मानती है.

- हाल ही में पाकिस्तान के चीन और ईरान के साथ बड़े क़रार हुए हैं जिनमें ग्वादर के बंदरगाह पर बड़ी सुविधाएं लाने के साथ ही चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भी बनना है. इसके अलावा ईरान से बड़ी गैस पाइपलाइन की भी योजना है लेकिन स्थानीय लोग इससे भी नाख़ुश हैं. वो मानते हैं उनकी शिकायतों पर काम होने की बजाय उनके अधिकार छीने जा रहे हैं.
- बलूचिस्तान में इस वक़्त नवाज़ शरीफ़ की पार्टी सत्ता में है.सारा का सारा काम संघीय सरकार के पास है और उसमें बलूच लोगों की कोई नुमाइंदगी नहीं. सरकारी नौकरियों में तो बलूच लोगों को ढूंढते रह जाएंगे.”
- बलूचिस्तान में अब भ्रष्टाचार, जातीय हिंसा और अलगाववाद को लेकर संघर्ष है लेकिन पाकिस्तान इसे भारत की कारस्तानी बताता है. बलूचिस्तान की अलगाववादी ताक़तों को भारत की प्रमुख खुफिया

Gshindi.com

एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ से समर्थन और पैसा मिलने की बात कही जाती है.

3. दक्षिण चीन सागर विवाद : विवाद का कारण, दक्षिण चीन सागर का महत्व और क्षेत्रीय परिदृश्य

चीन South China sea के 80 प्रतिशत हिस्से पर अपना दावा करता है..ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है..और इस समुद्री रास्ते से हर वर्ष 335 लाख करोड़ रुपये का व्यापार होता है।

- **फैलाव :**South China sea , प्रशांत महासागर का हिस्सा है और ये इंडोनेशिया से लेकर ताइवान तक 35 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है।
- **महत्त्व** :दुनिया भर में समुद्री रास्तों से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों में से 33 प्रतिशत जहाज़ आवाजाही के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं।

  South China Sea के रास्ते पूरी दुनिया का 50 प्रतिशत तेल व्यापार होता है..यानी पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए ये रास्ता किसी Gate Way की तरह है।

  South China Sea के गहरे समुद्र में बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा भंडार भी मौजूद हैं

चीन का तर्क :चीन ये तर्क देता है कि South China Sea में चीन शब्द का इस्तेमाल होता है..इसलिए इस इलाके पर उसका अधिकार है।

चीन का ये तर्क ना सिर्फ बेतुका है..बल्कि बचकाना भी है..क्योंकि इस तर्क के हिसाब से Mexico की खाड़ी पर मैक्सिको का मालिकाना हक हो जाएगा और पूरे हिंद महासागर यानी Indian Ocean पर भारत का हक हो जाना चाहिए।

- चीन South China Sea पर जो दावा करता है उसका आधार Nine Dash Line हैं।

क्या है यह line :Nine Dash Line को 1947 में चीन ने अपने नक्शे में शामिल किया था..और अगर इन रेखाओं को आधार बनाया जाए तो पूरा का पूरा South China Sea चीन का ही हो जाएगा।

Gshindi.com

- South China Sea पर मलेशिया..ताइवान,,फिलीपींस. वियतनाम और ब्रुनेई भी अपना हक जताते हैं।
- लेकिन इनमें से किसी भी देश ने South China Sea के किसी हिस्से पर अवैध कब्ज़ा नहीं किया.. क्योंकि ये देश चीन की तरह गुंडागर्दी नहीं करते। जबकि चीन अपनी गुंडागर्दी को अपना Exclusive Right यानी विशेषाधिकार मानता है।

भारत के सन्दर्भ में विश्लेषण

- International Court of Arbritation के इस फैसले का असर भारत की समुद्री महत्वकांक्षाओं पर भी पड़ेगा..क्योंकि भारत का 55 प्रतिशत समुद्री व्यापार Strait Of Malcca (मैल्का) के रास्ते होता है. Strait Of Malcca (मैल्का) हिंद महासागर और Pacific Ocean के बीच एक Shipping Channel का काम करता है।
- चीन की ये हार भारत को NSG में एंट्री के लिए जरूरी Discount दिला सकती है..क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले से ये साफ हो गया है कि दूसरों का हक छीनने में माहिर चीन..कभी किसी का सगा नहीं हो सकता..इसलिए संभव है कि NSG की अगली बैठक में चीन अकेला पड़ जाए।
- चीन एक ऐसा देश है..जिसने सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं..लेकिन वो इनमें से किसी का भी पालन नहीं करना चाहता। South China Sea भी एक ऐसा ही इलाका है..जहां चीन ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को डुबो दिया है।

- सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने South China Sea में एक मानव निर्मित द्वीप पर हवाई पट्टी यानी Runway का निर्माण भी किया है।

National Issues

1. सात जरूरी कदम जिन्हें उठा कर भारत टोक्यो-2020 ओलंपिक में कर सकता है बेहतर प्रदर्शन

रियो ओलंपिक खत्म होने को है. साक्षी मलिक और पीवी सिंधू के प्रदर्शन के बावजूद, कुल मिला कर ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा है.

भारत कभी भी खेलों में ओलंपिक के स्तर पर बड़ी ताकत नहीं रहा है, लेकिन अटलांटा 1996 (लिएंडर पेस की वजह से एक ब्रांज मेडल) और लंदन 2012 (छह मेडल) के बीच भारत के प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ है.

क्या है कारण : यह पूरी तरह केंद्र और राज्य सरकारों की भी गलती नहीं है कि भारत में खेल संस्कृति की जड़ें गहरे तक जम नहीं पाईं. सच्चाई यह है कि अगर सरकारी पैसे और उनकी आधारभूत सुविधाएं न मिलें, तो भारत ओलंपिक में एक एथलीट न भेज पाये. शायद केवल टेनिस के सितारे ही जा सकें.

लेकिन जरूरत इस बात को समझने की है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और हम क्या सही कर सकते हैं, अगर टोक्यो 2020 और उसके आगे अच्छा प्रदर्शन करना है ....

1. **एथलीटों पर आरोप लगाना बंद हो, उनकी कोशिशों को समर्थन दिया जाय:-**
    - शुरुआत करते हैं प्रशंसकों से, जो हर चार साल में एक बार जागते हैं और उन्हें याद आता है कि शूटिंग और जिमिनास्टिक्स जैसे खेल भी वजूद में हैं. ओलंपिक से जुड़े खेल हमें तभी याद आते हैं जब ओलंपिक, एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेल हो रहे होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि एथलीटों के लिए यह हर दिन हर घंटे लगातार चलने वाली प्रक्रिया है.
        - इन एथलीटों को हमारे लगातार समर्थन की जरूरत है.
    - दीपा कर्माकर रातोंरात प्रोडूनोवा वॉल्ट की बादशाह नहीं बन गयी हैं, सालोंसाल की कड़ी मेहनत से आज वह यहां तक पहुंच सकी हैं. अगर अभिनव बिन्द्रा तीसरे स्थान के लिए संघर्ष में हार गये, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह खराब शूटर हैं. इसका मतलब यह है कि उस एक निर्णायक शॉट में उनके प्रतिद्वंद्वी ने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया.
    - कैसे 1.3 अरब लोगों का देश ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी नहीं पैदा कर सकता, ये पंक्ति बार-बार दुहराना अच्छा नहीं है. क्योंकि यह कोई लोकप्रियता की प्रतियोगिता नहीं है. मामला यहां बेहतर सुविधाएं मिलने का है. और हमारे एथलीटों को वही नहीं मिलता है.

02. **अभिभावकों की मानसिकता :-**

GShindi.com

- अक्सर यह कहा जाता है कि भारतीय माता-पिता चाहते हैं कि उनके बेटे-बेटियां अच्छे अंक लायें और डॉक्टर-इंजीनियर बनें, वे अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने के सपने नहीं देखने देते.
- इन अभिभावकों को खुद से महज एक सवाल पूछना चाहिए- क्या आप स्थानीय सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉ. आया राम गया राम के माता-पिता बनने में गर्व महसूस करेंगे या, फिर अपने बच्चे को मौका दे कर माइकल फेल्प्स या उसेन बोल्ट या गगन नारंग या साइना नेहवाल या एमसी मेरी कॉम का माता-पिता बनने में गौरव की अनुभूति करेंगे?
- जरूरत है सोच में बदलाव की. दरअसल आज के माता-पिता ही कल के बेहतरीन एथलीट तैयार कर सकते हैं.

03. **कई साल पहले ही जारी कर दिया जाय धन :-**

- उच्चाधिकारियों को यह एहसास करने की जरूरत है कि ओलंपिक से डेढ़ साल पहले पैसे जारी करने से एथलीटों को कोई फायदा नहीं होगा.
- दरअसल ओलंपिक किसी भी अन्य प्रतिस्पर्द्धा से एक कदम ऊपर होता है. मानसिक तौर पर यह एथलीट के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है, और भारतीय एथलीट यहीं पर पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको ओलंपिक से एक या दो साल पहले वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल पाती है, जबकि खेल दिग्गज देशों के जिन खिलाड़ियों से उनका मुकाबला होता है वे सालोंसाल से उस मौके के लिए लगातार तैयारी में लगे रहते हैं. आप डेढ़ साल की ट्रेनिंग का खर्चा उठा कर माइकल फेल्प्स नहीं तैयार कर सकते.

04**. छोटी उम्र में प्रतिभा पहचानिए, उनको ट्रेनिंग देकर विश्वस्तरीय बनाइए :-**

- जब भी चीनी खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतना शुरू करते हैं, इंटरनेट पर ऐसी कहानियां और तस्वीरें आने लगती हैं कि वहां किस तरह से ट्रेनिंग के दौरान अपने बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है.
- अमेरिकी लोगों को देखिए, युवा स्तर पर उनकी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वे तेरह-चौदह साल की उम्र में ही प्रतिभाओं की पहचान कर लेते हैं, और फिर उनके पीछे पूरी ताकत लगा देते हैं.

Gshindi.com

- अगर भारत में इस तरह की व्यवस्था स्थापित कर दी जाये कि छोटे आयु वर्ग से ही प्रतिभा की पहचान हो सके, जैसे मान लीजिए अंडर-16 के स्तर पर, और फिर उनको लंबे समय के लिए ट्रेनिंग दी जाये, तो उनमें से कुछ 23-24 साल के होते-होते निश्चय ही विश्वस्तरीय खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आयेंगे
- अभिनव बिन्द्रा इसके बेहतरीन उदाहरण हैं. साल 1996 में जब वह 14 साल के थे, तो उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था. जब साल 2000 में सिडनी ओलंपिक हुए, तब वह ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी बन चुके थे. साल 2001 में 18 साल से भी कम उम्र में ही वह खेल रत्न घोषित हो चुके थे.
- लेकिन उसके बाद कई बार उनके सपने टूटे, कई बार उन्हें कड़े अनुभवों से गुजरना पड़ा, और फिर अंत में साल 2008 में बीजिंग में वह ओलंपिक चैंपियन बने. उस समय उनकी उम्र तकरीबन 26 साल थी.

05. **मानसिक प्रशिक्षण:-**

- लंदन ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने में नाकामयाब रहे एक शूटर ने इस संवाददाता को बताया था कि खेल गांव में रहना कितना अजीब अनुभव था.
- उस शूटर के मुताबिक जैसे ही आप खेल गांव पहुंचते हैं, आप दूसरे देशों से पहुंचे एथलीटों को देखते हैं जो अधिक तैयार और अधिक विश्वस्त नजर आते हैं. उनकी ट्रेनिंग का तरीका भारतीयों के मुकाबले अधिक केंद्रित और व्यवस्थित दिखता है. और इस तरह प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही भारतीय एथलीट मानसिक लड़ाई हार जाते हैं.

06. **बेहतरीन प्रतिभाओं को दिया जाये पूरी तरह साथ:-**

- अब कॉरपोरेट जगत ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रायोजित करने में भी रुचि दिखाने लगा है. लेकिन सरकार की ही तरह उन्हें भी यह एहसास होना चाहिए कि महज दो सालों में उन्हें उनके निवेश पर रिटर्न नहीं मिल जायेगा. अगर मेडल जीतना है, तो उन्हें एथलीट को चार साल, आठ साल या फिर 12 साल तक का समय देना होगा.

Gshindi.com

- ऐसे में अहम यह है कि वे प्रतिभा की पहचान करें और फिर अंत तक उसका साथ दें. हो सकता है कि राह में निराशा मिले, लेकिन अगर एथलीट में प्रतिभा है, और उसे सही ट्रेनिंग मिलती रहे, तो आखिरकार उसे कामयाबी जरूर मिलेगी.
- बीच राह में उनका साथ न छोड़ें. यह भी ध्यान रहे कि सभी एथलीट कामयाब नहीं होंगे, कुछ ही होंगे. और जब ओलंपिक मेडल जीतने वाला कोई एथलीट अपनी कामयाबी का श्रेय आपको देगा, तो वही आपके निवेश पर हासिल आपका रिटर्न होगा.

07. **खेल संघों पर अधिक ध्यान दिया जाय, उन्हें अधिक पेशेवर बनने को बाध्य किया जाय :-**

- यह सही बात है कि खेलों से जुड़े राष्ट्रीय फेडरेशन और उनकी राजनीति अक्सर एथलीटों के लिए राह का रोड़ा बन जाती है. लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जिनमें वे एथलीटों के लिए जानबूझकर मुश्किल नहीं पैदा करते, बल्कि नौकरशाही से जुड़ी लापरवाही या राजनीतिक उठापटक की वजह से एथलीटों की राह कठिन हो जाती है.
- निजी धन लगने से इन फेडरेशनों की जवाबदेही बढ़ेगी. ऐसे में इन फेडरेशनों पर ध्यान भी अधिक रहेगा. चूंकि कोई इन पर नजर नहीं रखता, इसलिए ये बच कर निकल जाते हैं. जब एथलीट कामयाब होते हैं, तो हम लोगों को अधिक सवाल पूछने चाहिए. मीडिया को इन फेडरेशनों को प्रमुखता से जगह देनी चाहिए. ऐसा करने से ही ये अधिक जवाबदेह और अधिक पेशेवर बनेंगे.
- रियो ओलंपिक में शूटरों के नाकामयाब होने के बाद एनआरएआई ने बिन्द्रा की अध्यक्षता में एक समिति बनायी है जो वजहों का पता लगायेगी और भविष्य के लिए सही कदम उठाने में मदद करेगी. यह वही फेडरेशन है जिसने एथलीट कमीशन (बिन्द्रा की ही अध्यक्षता वाली) के दबाव में आकर ओलंपिक सिलेक्शन के मामले में अपना एक मूर्खतापूर्ण फैसला बदला था.

Gshindi.com

- एक नया आधार बनाने की जरूरत है, जो अधिक पेशेवर हो, व्यावहारिक हो और राजनीति से मुक्त माहौल मुहैया कराये.रियो ओलंपिक अब खत्म होने को है. बदलाव की शुरुआत करने का इससे अच्छा मौका नहीं होगा.

2. कश्मीर के लिए समाधान के सूत्र

कश्मीर की वर्तमान हालत

कश्मीर की खूबसूरत वादी उथल-पुथल के एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जिसे सभी राजनीतिक दलों तथा भारतीयों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए. कई हफ्तों से एक आंशिक अथवा पूरा कर्फ्यू लागू है.

कश्मीरियों और सुरक्षा बलों एवं सेना दोनों ही तरफ की दर्जनों जानें जा चुकी हैं. पूरे राज्य में गुस्से और अलगाव की एक लहर है. राज्यसभा ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है और यह हमारे लोकतंत्र का बड़प्पन है कि सदन ने वादी में अमन और यकीन के माहौल की अहमियत पर जोर देते हुए एकमत प्रस्ताव पारित किया है.

भविष्य में क्या निति होनी चाहिए ?

अब भविष्य की कार्य-दिशा क्या होगी? एक ओर तो सख्ती के समर्थकों का यह मत है कि कश्मीर में जब-तब सिर उठानेवाले राष्ट्रद्रोह को क्रूरता से कुचल दिया जाना चाहिए. पर, क्या कश्मीर में एक स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में हम हमेशा इसी एक कदम की सोचते रहेंगे? समस्या की गहराइयों में जाने का सामर्थ्य ही एक सफल राजनय की पहचान है. कश्मीर की समस्या जटिल है, **ऐसे में चार-सूत्री प्रयासों पर विचार किया जाना चाहिए।**

1.पहला तो हमें सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिशें करनी ही चाहिए. इसके निहितार्थ यह हैं कि हिंसा और आतंक की भाषा में बातें करनेवालों से हमें दृढ़ता से निबटना चाहिए. सशस्त्र बल एक कठिन काम में लगे हैं.

हमें यह देखना होगा कि उनका आत्मबल और संकल्प कमजोर न होने पाये. साथ ही हमें पेलेट गन के अंधाधुंध इस्तेमाल की भी समीक्षा करनी चाहिए, जिसकी वजह से दर्जनों कश्मीरी अंधे अथवा अपंग हो चुके हैं. हमारे सशस्त्र बलों द्वारा भीड़ के नियंत्रण के लिए कोई कम मारक, लेकिन उतना ही प्रभावी साधन अवश्य ही हासिल किया जा सकता है.

Gshindi.com

2.दूसरा, हमें पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित तथा हथियारों से लैस किये गये आतंकियों की सीमा पार से होती घुसपैठ रोकने की अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए. इसके लिए सुरक्षा बलों की जो भी जरूरतें हों, उनकी तेजी से तथा सतत आपूर्ति की जानी चाहिए.

इसके साथ ही, हमें पाकिस्तान से किसी भी संवाद के लिए आतंकवाद के प्रायोजन को ही मुख्य मुद्दा बनाना चाहिए. जैसा अपेक्षित ही है, यदि पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आता, तो हमें इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय रंग देने तथा पाकिस्तान पर प्रभाव रखनेवाले अमेरिका जैसे देश की मदद मांगने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए.

3. तीसरा, राज्य तथा केंद्र दोनों सरकारों को एक राजनीतिक रोडमैप तय करना चाहिए, जिसमें कश्मीर के लोगों से संवाद का तत्व प्रमुखता से शामिल हो. प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिये जम्हूरियत, इनसानियत तथा कश्मीरियत के नारे को दोहराया है. यह स्वागतयोग्य तो है, पर इस दिशा में आगे क्या करने की योजना है?

★राज्य में भाजपा-पीडीपी गंठबंधन बनते वक्त मार्च 2015 में एक एजेंडा तय किया गया था, जिसमें राज्य के सभी आंतरिक हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से सार्थक संवाद-प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गयी थी.

★क्या उस दिशा में कोई प्रगति हुई? माना जा सकता है कि सैयद शाह गिलानी जैसों से बातचीत करने से कुछ खास हासिल होनेवाला नहीं है, पर क्या हुर्रियत समेत समाज के अन्य तबकों से अधिक संवादशील वार्ताकारों की पहचान किये जाने की दिशा में कुछ किया गया? यह प्रक्रिया चाहे जितनी कठिन हो, प्रयास तो करने ही होंगे. बीते दिनों दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा आहूत सर्वदलीय बैठक एक अच्छी शुरुआत है, पर इसके बाद सर्वप्रथम कश्मीर में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के जाने की जरूरत है.

4. चौथा, जम्मू-कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज की जानी चाहिए. पिछले वर्ष की बाढ़ ने आजीविका तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया है. ऐसे अनुमान हैं कि कश्मीर की दो-तिहाई आबादी युवा है, जिसमें से लगभग आधे लोग बेरोजगार हैं.

Gshindi.com

पिछले साल प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 80,000 करोड़ रुपयों के 'दिवाली उपहार' की घोषणा की थी. इसमें से अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? क्या हम मुख्य रोजगारपरक क्षेत्रों पर व्यय में और तेजी ला सकते हैं?
★साल 1947 से लेकर अब तक भारत में कोई भी अलगाववादी आंदोलन सफल नहीं हो सका है. हमने नागालैंड, असम तथा पंजाब के विद्रोही गुटों से भी समाधान की बातचीत सफल करने की परिपक्वता दिखायी है.

माओवादियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाने के बावजूद, हम उनमें भी उन तक पहुंच सके हैं, जो मुख्यधारा में वापस होना चाहते हैं. अब वक्त है कि हम जम्मू-कश्मीर पर गौर कर वहां लोगों के दिल-दिमाग जीतने हेतु मरहमी नीतियां अपनायें. भाजपा-पीडीपी सरकार को अपने अंतर्विरोधों से ऊपर उठ कर इस लक्ष्य की ओर प्रगति सुनिश्चित करनी चाहिए. अन्य सुझाव

1. और अधिक स्वायत्ता
2. रोजगार (चूँकि अधिकतर पत्थरबाज युवा हैं)
3. शिकायत निवारण तंत्र को विकसित करना
4. दोषी आर्मी जवानों को सजा देना
5. विश्वास की बहाली करना .. उन्हें यह यकीन दिलाना कि हम आपके अपने हैं पराये नहीं।
6. आपसी बातचीत में आम जन को शामिल करना और बातचीत का लाइव टेलीकास्ट करना।
7. कश्मीरी बच्चों को भारत भ्रमण कराना... ताकि वह भारतीय संस्कृति "वसुधैव कुटुम्बकम्"को आत्मसात कर सकें।

---

3. प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के रुझानों पर 'असर' रिपोर्ट प्रकाशित

- अपने देश में कुछ तसवीरें कभी नहीं बदलतीं. यदि बदलती भी हैं, तो और विद्रूप होने के लिए! देश की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की तसवीर भी ऐसी ही है.
- देश में शिक्षा की स्थिति पर इसी हफ्ते संसद में पेश सरकारी रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है. वर्षों की कोशिशों के बाद देश में शिक्षा का अधिकार कानून बनने के चलते आपको लग सकता है कि अब

Gshindi.com

माध्यमिक स्तर तक की अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा सबको सहज प्राप्त है.

ASER रिपोर्ट से कुछ तथ्य

- शिक्षा का अधिकार कानून के बाद शिक्षा की तसवीर में सकारात्मक बदलाव के कुछ आंकड़े भी सामने आ चुके हैं. मसलन, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन के लिहाज से देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है. बहुचर्चित 'असर' रिपोर्ट (2014) ने भी इस तथ्य को नोट किया है कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों का स्कूली नामांकन अब 96 फीसदी तक पहुंच चुका है.
- यानी शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से स्कूल से वंचित बच्चों की संख्या में भारी कमी आयी है. इस रुझान के आधार पर कहा जा सकता है कि वह दिन भी जल्द आयेगा, जब देश में कोई बच्चा स्कूल-वंचित नहीं रहेगा. लेकिन, शिक्षा असल में बच्चों के स्कूल में दाखिले भर का मामला नहीं है.
- एक बुनियादी जरूरत के रूप में शिक्षा का सवाल हमेशा उसकी गुणवत्ता से जुड़ता है और गुणवत्ता बहुत हद तक पठन-पाठन के लिए जरूरी संसाधनों, जैसे स्कूल भवन, पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षक, किताब, लाइब्रेरी, शौचालय, पेयजल आदि की उपलब्धता से सुनिश्चित होती है. तमाम सरकारी-गैर सरकारी रिपोर्ट और आकलन बताते रहे हैं कि अपने देश में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता आजादी के सात दशक बाद भी बेहद निराशाजनक है.
- इसी कड़ी में संसद में पेश ताजा सरकारी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि देश में कुल करीब 13 लाख सरकारी स्कूलों में से 1 लाख पांच हजार 630 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऐसे स्कूलों की संख्या सर्वाधिक है. यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि अकेला शिक्षक सभी क्लास के बच्चों को सभी विषय पढ़ाने से लेकर उनके दोपहर के भोजन तक की व्यवस्था कैसे कर पाता होगा.

Gshindi.com

- यह सीधे-सीधे शिक्षा का अधिकार कानून के उस विधान का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि हर 30-35 छात्र पर एक शिक्षक का होना जरूरी है. यह तथ्य शिक्षा का अधिकार कानून के आधे-अधूरे पालन की एक बानगी भर है. कई आधिकारिक रिपोर्टों में माना जा चुका है कि देश में बड़ी संख्या में स्कूल ऐसे हैं, जहां शौचालय तक की सुविधा नहीं है, और जहां यह सुविधा है, वहां उसकी दशा उपयोग करने लायक नहीं है. यह लड़कियों के स्कूल छोड़ने का एक मुख्य कारण है. कुछ रिपोर्टों में प्रशिक्षणप्राप्त शिक्षकों की भारी कमी की बात कही जाती है, तो कुछ में स्कूल भवन की दुर्दशा या स्कूलों के वास-स्थान से बहुत दूर होने की बात.
- शिक्षा के लिए जरूरी ढांचे के अभाव का सीधा संबंध स्कूल-वंचित या पढ़ाई बीच में छोड़नेवाले बच्चों से है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2013-14 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 39 फीसदी लड़के और 33 फीसदी लड़कियां माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी किये बिना ही अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य हैं.

विश्लेषण

- प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के रुझानों पर नजर रखनेवाले विशेषज्ञ आगाह करते रहे हैं कि सिर्फ बच्चों का दाखिला बढ़ाने पर सारा जोर लगाना ठीक नहीं है. 'असर' रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण इलाकों में 15-16 साल की उम्र के करीब 16 फीसदी लड़के और 17 फीसदी लड़कियां अलग-अलग कारणों से स्कूल से वंचित हैं. 11 से 14 साल आयुवर्ग में भी, जिसमें शिक्षा अनिवार्य है, स्कूल-वंचित लड़कियों की संख्या कुछ राज्यों, जैसे राजस्थान और यूपी, में 10 फीसदी या उससे भी ज्यादा है.
- इस तथ्य का एक संकेत यह है कि 100 में कम-से-कम 10 बच्चे इस स्थिति में नहीं हैं कि चौथी-पांचवीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख सकें. चौथी-पांचवीं के बाद अगर बच्चे बड़ी तादाद में पढ़ाई बीच में ही छोड़ रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि शिक्षा के अधिकार कानून का पालन उसकी मूल भावना के हिसाब से नहीं हो रहा है. अचरज नहीं

Gshindi.com

कि अब सरकार को खुद ही संसद में इस बात को मानने पर मजबूर होना पड़ा है.

- देश गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के लिए जरूरी संसाधनों की कमी की बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है. बच्चों को जरूरी स्कूली ज्ञान से वंचित रखना एक तरह से भावी नागरिक को देश की मुख्यधारा में प्रवेश से वंचित रखना है.
- सशक्त अर्थव्यवस्था और जीवंत लोकतंत्र के निर्माण के हमारे सपने और प्रयत्न पर भी यह एक कुठाराघात है. संसद में पेश सरकारी रिपोर्ट के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि देश में प्राथमिक-माध्यमिक स्तर की शिक्षा की तसवीर सुधारने के लिए कुछ बड़ी पहल की जायेगी.

3.आत्महत्या की कोशिश अब अपराध नहीं, संसद से पास हुआ मेंटल हेल्थ केयर बिल

अब देश में आत्महत्या कोशिश अपराध नहीं, बल्कि मानसिक बीमारी मानी जाएगी। संसद में मेंटल हेल्थ केयर बिल पास हुआ है।

- जिससे अब आईपीसी की धारा 309 के तहत कोई आत्महत्या की कोशिश करने वाला तब तक अपराधी नहीं होगा, जब तक ये साबित ना हो जाए कि सुसाइड की कोशिश करते वक्त वो शख्स मानसिक रूप से स्वस्थ था.
- देश में 6 से 7 फीसदी ऐसे लोग हैं, जो मानसिक रूप से बीमार हैं
- सदन में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2013 :- यह विधेयक मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के इलाज में दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला होगा. यह विधेयक मरीज केंद्रित है और इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्हें किस प्रकार सुविधाएं दी जा सकती हैं
- विधेयक पर सरकार द्वारा 100 से ज्यादा संशोधन लाए जाने के औचित्य पर सरकार ने कहा कि इसमें स्थायी समिति की सिफारिशों के अलावा अदालतों और विभिन्न पक्षों के सुझावों को शामिल किया गया है.

Gshindi.com

- इस दिशा में सरकार ने 2010 में ही शुरूआत की थी और विधेयक तैयार करने के पहले विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया.
- विधेयक में सामुदायिक आधारित इलाज पर जोर दिया गया है. महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं.

=> परिप्रेक्ष्य :-

- देश के करीब 6.7 प्रतिशत लोग किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं जबकि एक से दो प्रतिशत तक गंभीर रूप से बीमार हैं.
- डाक्टरों और कर्मियों की कमी है और सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने सहित अन्य कदम उठाए हैं. - विधेयक में मानसिक रोग से पीड़ित लोगों के अधिकारों पर जोर दिया गया है. ऐसे लोगों को विभिन्न प्रकार के अधिकार मुहैया कराने के प्रावधान विधेयक में किए गए हैं.
- इस बात पर जोर दिया गया है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के साथ क्रूर आचरण नहीं हो.
- इसमें मानसिक बीमारी को परिभाषित किया गया है. साइको सर्जरी पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है.
- जिला बोर्ड से मंजूरी के बाद ही इस प्रकार की सर्जरी की जा सकेगी.

=>सुझाव:-

1. देश में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के संबंध में अवसंरचना को उन्नत बनाने की सख्त आवश्यकता है

2. मनोचिकित्सकों और विशेषज्ञों, नर्सो की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता है.

3. देश में मानसिक रोग से पीड़ित रोगियों के संदर्भ में कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है.

4. मानसिक रोग से जुड़े सामाजिक कलंक के बोध पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और इसे समाप्त करने की जररत है.

GShindi.com

Conclusion

- देश में आबादी का लगभग सात प्रतिशत हिस्सा मानसिक रोग से पीड़ित है. विश्व स्वास्थ्य संगठन :डब्ल्यूएचओ: के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी का 27 प्रतिशत हिस्सा अवसाद से पीड़ित है.
- इतनी भारी संख्या में रोगियों के उपचार के लिए हमारे पास करीब 5,000 मनोचिकित्सक ही हैं. इस विधेयक के कारण मानसिक रोगियों के उपचार के लिए संस्थानों, उत्कृष्टता केन्द्रों की संख्या बढेगी.
- सामुदायिक भागीदारी के जरिये इसका और बेहतर प्रबंधन हो सकता है और इसके लिए गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये.
- देश में बढ़ते मानसिक रोगियों की संख्या के लिए संयुक्त परिवार के विघटन और गरीबी को भी एक कारण बताते हुए गरीबों के सामने इस संबंध में विशेष दिक्कतें पेश आती हैं जिनके पास शिक्षा और जानकारी का अभाव है.
- यह चिंता की बात है कि देश में प्रति चार लाख की आबादी पर केवल एक मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य बजट का महज एक प्रतिशत मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य की ओर खर्च किया जाता है जबकि अन्य देशों में इसके लिए लगभग 18 प्रतिशत हिस्से को आवंटित किया जाता है.

4. भारत में सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार हैं टूटी-फूटी सड़कें और गड्ढे

प्रस्तावना

इसे विडंबना कह सकते हैं कि भारत में जिन सड़कों पर आपकी जान को कम खतरा होता है वो भीड़-भाड़ और ट्रैफिक वाली सड़कें ही होती हैं। ये ऐसी सड़कें हैं जहां आपकी जान भले ही सुरक्षित हो लेकिन इन सड़कों पर यात्रा करते हुए आप कहीं भी वक्त पर नहीं पहुंच सकते जबकि भारत में जिन सड़कों पर आप रफ्तार के साथ सफर कर सकते हैं वो इतनी असुरक्षित हैं कि वहां कभी भी, किसी के भी साथ आपराधिक वारदात हो

Gshindi.com

सकती है। अगर वाहन चलाने वाला अपराधियों से बच भी जाए तो वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यानी भारत के लोगों को सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने का स्वराज आज़ादी के लगभग 69 वर्षों के बाद भी नहीं मिल पाया।

क्या मूलभूत कारण है हादसों का

भारत की सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक रेंगता है लेकिन फिर भी भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं इसका कारण ये है कि भारत में सड़क हादसे सिर्फ रफ्तार की वजह से ही नहीं होते बल्कि टूटी-फूटी सड़कें और गड्ढे भी सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार हैं।

<u>एक नजर आंकड़ो पर</u>

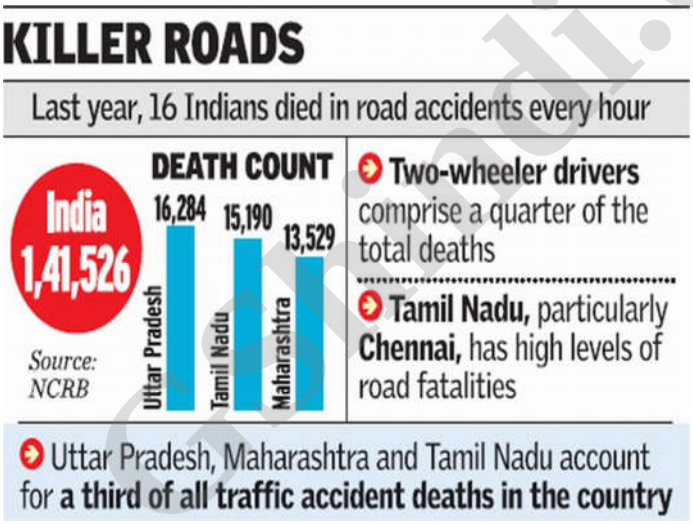

वर्ष 2015 में भारत में खराब सड़कों की वजह से हुई दुर्घटनाओं में 10 हज़ार 727 लोगों की जान गई थी जबकि सड़कों पर गड्ढों की वजह हुई दुर्घटनाओं में 3 हज़ार 416 लोगों ने अपनी जान गंवाईं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015 में टूटी-फूटी सड़कों की वजह से 10 हज़ार से ज्यादा लोग मारे गए जबकि 2011 से लेकर 2016 के बीच यानी 5 वर्षों में भारत में आतंकवादी घटनाओं में 4 हज़ार 945 लोगों की मौत हुई है। आप कह सकते हैं कि भारत की सड़कें आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक हैं।

दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति पानी से भरे गड्डे में अपनी मोटरसाइकिल सहित गिर गया था और इससे पहले कि आसपास के लोग उसे बाहर निकाल पाते। उसके ऊपर से पानी ले जाने वाला ट्रक गुज़र गया और उस व्यक्ति की मौत हो गई। उस व्यक्ति की उम्र 45 वर्ष थी। उसका भी एक हंसता खेलता परिवार रहा होगा। उसकी भी कुछ

उम्मीदें रही होंगी लेकिन सड़क के एक गड्ढे और लापरवाही से चल रहे एक ट्रक ने उस व्यक्ति की हर उम्मीद और हर खुशी को कुचल दिया।

ज़रा सोचिए कि आज़ादी के लगभग 7 दशक के बाद एक व्यक्ति को सड़क पर सुरक्षित रहने का स्वराज भी अब तक नहीं मिला है। आज भी एक गड्ढा सड़क पर चल रहे किसी आम नागरिक की जान ले सकता है। ये अपने आप में राष्ट्रीय शर्म और राष्ट्रीय शोक का विषय है। अब वो समय आ गया है जब भारत को ट्रैफिक वाले इस टॉर्चर से आज़ादी चाहिए।

- ✓ भारत की सड़कें ना सिर्फ टूटी फूटी हैं बल्कि दुनिया की सबसे सुस्त सड़कों में शामिल है। जहां लोगों को घर से दफ्तर पहुंचने में घंटों लग जाते हैं।
- ✓ ट्रैफिक जाम और वाहनों की धीमी रफ्तार के लिए बदनाम दुनिया के 10 शहरों में से 4 अकेले भारत में हैं।
- ✓ ट्रैफिक से जुड़े डाटा का विश्लेषण करने वाली संस्था Numb-eo के मुताबिक पूरी दुनिया में कोलकाता के लोगों को घर से दफ्तर तक पहुंचने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है।
- ✓ इस ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक कोलकाता के लोगों को ऑफिस पहुंचने में औसतन 72 मिनट लगते हैं।
- ✓ दूसरे नंबर पर मुंबई है जहां लोगों को दफ्तर पहुंचने के लिए औसतन 69 मिनट का सफर तय करना पड़ता है।
- ✓ 7वें नंबर पर गुरुग्राम और 8वें नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम गुरुग्राम में लोग औसतन 59 मिनट तक वाहन चलाकर अपने ऑफिस पहुंचते हैं।
- ✓ जबकि दिल्ली में घर से ऑफिस जाने के लिए लोगों को औसतन 57 मिनट खर्च करने पड़ते हैं।
  -ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम 10 शहरों में, ढाका, नैरोबी, मनीला, इस्तांबुल, काहिरा और तेहरान जैसे शहर भी शामिल हैं।

2015 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के शहरों की सड़कों पर ट्रैफिक की औसत रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत के शहरों में आप वाहनों को रात 3 बजे से लेकर से सुबह 5 बजे के बीच ही तेज़ गति

Gshindi.com

से चला सकते हैं। इस दौरान भारत में वाहनों की औसत रफ्तार 33 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है। भारत में सबसे तेज़ सड़कें दिल्ली और पुणे में हैं जहां वाहन पीक आवर्स में औसतन 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं।

लेकिन अगर आप कोलकाता और बैंगलुरु में वाहन चलाते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपके वाहन का Speedo Meter 17 औऱ 18 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ऊपर जा ही ना पाए।

5.बाल श्रम पर नया कानून बालकों को बाल श्रम की और धकेलेगा

बाल मजदूरी (Child labour) पर संसद द्वारा पारित नया कानून बेहद निराशाजनक है। यूनीसेफ, बचपन बचाओ आंदोलन और बाल अधिकारों के लिए समर्पित अन्य संस्थाओं द्वारा इसकी घोर निंदा स्वाभाविक है।

इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह बाल मजदूरी के निकृष्टतम रूपों को भी जायज ठहराता है। आशंका है कि अब बच्चों के शोषण के बहुतेरे बारीक तरीके खोज लिए जाएंगे। बाल श्रम निषेध व नियमन संशोधन विधेयक 2016 का मकसद बाल मजदूरी के खिलाफ पहले से चले आ रहे कानून को नरम बनाना है। इसके पास होते ही 14 साल की उम्र तक के बच्चों से पारिवारिक कारोबार और फिल्म व टेलीविजन कार्यक्रमों में बेखटके काम कराया जा सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक समझे जाने वाले उद्योगों की संख्या 83 से घटाकर तीन कर दी गई है। अभी सिर्फ खदान, ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक उद्योग को ही खतरनाक माना गया है। जरी और चूड़ी के कुटीर उद्योगों में, कपड़ों की दुकान पर और तमाम कारखानों में बच्चे काम कर सकते हैं।

इसके लिए सरकार ने विचित्र तर्क प्रस्तुत किया है। उसका कहना है कि बच्चों को शुरू से ही अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होकर अपना पुश्तैनी हुनर सीखना चाहिए। यानी सरकार ने अपनी तरफ से ही बच्चों के लिए अपने-अपने खानदानी कामों में बने रहने की हद बांध दी। वे अपने पारंपरिक दायरों से बाहर निकलें, पढ़ाई-लिखाई करें, अपने परिवार और समुदाय के लिए एक नए सपने का सृजन करें, इस तरह की बातें सरकार की नजर में पुरानी पड़ चुकी हैं।

Gshindi.com

नए कानून के तहत पारिवारिक कारोबार के दायरे में माता-पिता के अलावा उनके रिश्तेदार भी आते हैं। क्या सरकार में बैठे महानुभावों को पता नहीं है कि भारत में ज्यादातर बच्चों का शोषण रिश्तेदारी के नाम पर ही होता है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी अक्सर कहते रहे हैं कि उन्होंने कई बाल मजदूरों को ऐसे मालिकों के चंगुल से छुड़ाया है, जो खुद को उन बच्चों का रिश्तेदार बता रहे थे।

बिल के ये प्रावधान दिसंबर 2013 में पेश श्रम व रोजगार संबंधित संसदीय समिति की सिफारिशों के खिलाफ हैं। श्रम व रोजगार संबंधी संसदीय समिति ने अपनी 40वीं रिपोर्ट में कहा था कि बच्चों द्वारा स्कूली घंटों के बाद अपने परिवार की मदद करने का प्रावधान बिल से हटाया जाए और जोखिम वाले काम की परिभाषा में वे सभी काम शामिल किए जाएं, जो किशोरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता को नुकसान पहुंचाते हैं। किशोरों को किसी भी रोजगार में जाने से पहले अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करनी चाहिए। लेकिन इस कानून से यह संदेह पैदा होता है कि सरकार की चिंता सिर्फ उद्योगों को बच्चों की शक्ल में सस्ते मजदूर मुहैया कराने तक सीमित है।

6.स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट से जुड़ा केस हारा भारत, 67 अरब रुपए का हो सकता है नुकसान

- जून 2011 में देवास मल्टीमीडिया ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया और मुआवजा मांगा।
- हेग (नीदरलैंड). देवास मल्टीमीडिया दो सैटेलाइट्स वाली डील कैंसल करने का केस भारत से जीत गया है। हेग इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया।
- बता दें कि जून 2011 में देवास मल्टीमीडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस फाइल कर मुआवजा की मांग की थी। इससे सरकार को 67 अरब रुपए (1 बिलियन डॉलर) का नुकसान हो सकता है।

=>क्या है ये मामला...

- इसरो के तहत काम करने वाली एंट्रिक्स ने देवास मल्टीमीडिया के साथ जनवरी 2005 में डील की थी।

- डील के तहत 2 सैटेलाइट बनाने, लॉन्च करने और ऑपरेट करने थे। इन सैटेलाइट्स पर स्पेक्ट्रम कैपेसिटी को लीज पर देना था।
- फरवरी 2011 में एंट्रिक्स ने फैसला किया कि वह डील खत्म कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे सैटेलाइट लॉन्च और ऑपरेट करने के लिए ऑर्बिट में स्लॉट और फ्रिक्वेंसी नहीं मिल पा रही थी।
- कैबिनेट की कमेटी ने इसरो की यूनिट एंट्रिक्स के इस फैसले को मंजूरी दी।
- जून 2011 में देवास मल्टीमीडिया ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया और मुआवजा मांगा।
- बता दें कि देवास मल्टीमीडिया बेंगलुरू की टेलीकॉम कंपनी है।

7.क्या हैं हमारी प्राथमिकताएं: विश्व मानव विकास प्रतिवेदन रिपोर्ट

वर्ष 2015 के **विश्व मानव विकास प्रतिवेदन** में भारत का स्थान 187 देशों में 135वें स्थान पर है। इसमें श्रीलंका 73वें व चीन 90वें स्थान पर है।

- यह प्रतिवेदन विभिन्न देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आय के स्तर के आधार पर यूएनडीपी द्वारा तैयार किया जाता है। आय के स्तर तथा स्वास्थ्य का आकलन बहुआयामी दृष्टिकोण से भी किया जाता है, उदाहरण के लिए मातृत्व मृत्यु दर तथा एक ही परिवार में शिक्षा, स्वास्थ्य व रहन-सहन के स्तर का वंचन।
- इस रिपोर्ट में वर्ष 2005-06 में भारत की 55.3 प्रतिशत जनता को अनेक दृष्टिकोणों से विपन्न बताया गया है- अर्थात् जिनके पास स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ निजी शौचालय, बिजली, ठोस अपशिष्ट तथा पानी की निकासी की नालियां आदि नहीं हैं। बताया गया है कि मातृत्व मृत्यु दर हमारे यहां 190 प्रति लाख जीवित जन्म पर है, जबकि पाकिस्तान व बांग्लादेश में यह 170 है।
- सूचना का अधिकार एवं दुनिया में संचार क्रांति, ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिनके कारण हम बार-बार तुलना के लिए प्रस्तुत होते हैं, और यह अच्छा ही है। चूंकि यह हमें आगे बढ़ने की प्ररेणा देता है। चीन से हमारी अक्सर तुलना की जाती है परन्तु हम दोनों देशों की शासन-पद्धति में जो एक आधारभूत अन्तर है उसके कारण हमें स्पष्ट रूप से

Gshindi.com

अपनी रणनीति बनानी होती है कि हम लोगों को मनाकर वही काम सुनिश्चित करना है, जो चीन में डंडे के जोर से होता है।

- उदाहण के लिए चीन में भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों को सरेआम गोली मार दी जाती है, जबकि हम लोकपाल अधिनियम के तहत लोगों को सावधान करते हैं कि वे सत्यनिष्ठा से अपना काम करें।

=>प्राथमिकताएं :-

- इनमें प्रमुख है स्वास्थ्य :- लोगों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना शासन की एक महती प्राथमिकता है। इसमें पहली जरूरत है उनकी पोषण और सही खान-पान की। यह उचित आय, और भोजन के उचित चयन उसमें सावधानी और सतर्कता के आधार पर मिलता है।
- वर्तमान में एक जरूरी बात है स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की। शहरों में तो काफी जागरुकता है, पर गांवों में वह कम है।
- पेयजल को किन सस्ते साधनों से स्वच्छ बनाया जा सकता है? पानी को कपड़े से छानना, कुएं में पोटेशियम परमैगनेट डालना, उसे फिटकरी, क्लोरिन टिकिया या जीरो बी से निरापद बनाना, अब लोग ग्रामीण क्षेत्र में भूल क्यों चले हैं? हैंड पम्प से निकलकर बहने वाले पानी को मच्छरों का पालना नहीं बनने देना है- उसे सोख्ता गड्ढे की मदद से निकालना है, पानी टंकियों की सफाई करना है, इस पर कितनी ग्राम पंचायतें या नगर पंचायतें ध्यान देती हैं?
- जनगणना के आंकड़े से स्पष्ट होता है कि गांव के 50 प्रतिशत लोगों के पास कोई विशेष काम नहीं है। वे निठल्ले बैठे रहते हैं। कोई उन्हें इन कामों पर क्यों नहीं लगाता? कितना खेद होता है यह पढ़ कर कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की तादाद में घरों में स्वच्छ शौचालय बन गये हैं, लेकिन वे उपयोग में नहीं आ रहे। क्या हम उनके आस-पास भू गर्म में पानी टंकियां (सम्प) बनाकर उनकी जलापूर्ति नहीं कर सकते?
- इस काम के लिए न तो हमारे यहां तकनीकविदों, न कामगारों न जमीन और न सीमेंट की कमी है। एक अच्छा काम सरकार ने टॉयलेट बनवाकर कर दिया। एक दूसरा काम जनता अपनी मर्जी व

Gshindi.com

साधनों से भी तो करें। चूंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि मलेरिया, पीलिया, डायरिया- ये सब रोग दूषित पानी, खुले में नदी-तालाबों के किनारे शौच की वजह से फैलते हैं बारिश में विशेष तौर पर। रोगों से कितने श्रम-दिनों का ह्रास होता है, दवा पर बेकार खर्चा होता है, जानें जाती हैं, उदासी बढ़ती है

- शिक्षा तथा रोजगार : मानव विकास के लिए शिक्षा प्रथम आवश्यकता है बल्कि यह कहना भी ठीक होगा, कि शिक्षा की सहायता से हम अधिक तेजी से सभी क्षेत्रों में मानव विकास में तेजी ला सकते है। आज वह आधारभूत शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष की आयु में दी जाकर मनुष्य को लिखने-पढने और समझने योग्य बनाती है, हमारा मौलिक अधिकार बन चुकी है। आश्चर्य है फिर भी साक्षरता का कार्यक्रम हमें चलाना पड़ रहा है। श्रीलंका जैसे देश में साक्षरता के आंकड़े रखे ही नहीं जाते, चूंकि वहां 100 प्रतिशत लोग साक्षर हैं।
- शिक्षा की सहायता से रोजगार भी पाया जा सकता है- विशेषत: उच्च व तकनीकी शिक्षा से। परन्तु शिक्षा तो मन के परिष्कार के लिए भी बहुत जरूरी है। एक सुशिक्षित व्यक्ति की वाणी भी मधुर होती है। असीम सहनशक्ति और हिंसा का प्रतिकार करने का कौशल हमें शिक्षा ही दे सकती है। वही हमें साम्प्रदायिकता, स्वार्थ वृत्ति और संकीर्णता से मुक्ति दिला सकती है। आज अच्छे और पवित्र हृदय के शिक्षकों की थोड़ी कमी हो गई है, और शिक्षा प्रदान करना व्यवसाय बन गया है। समय के साथ यह भी सुधर जायेगा
- **स्वच्छ प्रशासन:** यह आदर्श वह महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके रहते विकास के आंकड़े तथ्यात्मक और विश्वसनीय बन जाते हैं। स्वच्छ प्रशासन के अभाव में हमारी लम्बी-चौड़ी बातें निरर्थक होती हैं। इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखवाने लायक मानसिकता लोगों में हो तो जानें।

Social and Women Related Issues

1.भारत में हर घंटे 26 महिलाओं के खिलाफ अपराध

Gshindi.com

माना जाता है कि बदलते वक्त के साथ सोच भी बदल जाती है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में हमारे समाज की सोच बदली नहीं है, बल्कि ये और भी खराब हो गई है।

<u>पर क्या हिया हकीकत आंकड़ो के हिसाब से</u>

- आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों में देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध दोगुने हो गए हैं। पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ करीब 22 लाख 40 हज़ार आपराधिक घटनाएं हुईं यानी पिछले एक दशक में हर एक घंटे में 26 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं हुईं
- National Crime Records Bureau के मुताबिक 2005 में भारत में महिलाओं के खिलाफ करीब 1 लाख 55 हज़ार केस दर्ज हुए थे जो 2014 में बढ़कर 3 लाख 37 हज़ार पहुंच गए।

<u>विश्लेषण</u>

इन आंकड़े को देखकर ये तर्क भी दिया जा सकता है कि पहले के मुकाबले ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं और सिस्टम में सुधार हुआ है लेकिन इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध दोगुने हो गये।

- ये आंकड़ा एक अलार्म है। इसे सिर्फ अच्छी कागज़ी कार्रवाई का तर्क देकर खारिज नहीं किया जा सकता।
- हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां देवियों की पूजा की जाती है और ये विडंबना ही है कि देवियों की पूजा करने वाले इस देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा होते हैं।

<u>2.मैटरनिटी लीव संशोधन बिल राज्यसभा से पास, कामकाजी महिलाओं को अब मिलेगी 12 हफ्तों के बजाय 26 हफ्तों की छुट्टी</u>

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने राज्य सभा मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पेश किया, जिसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना है। इस

संबंध में मेटरनिटी बैनिफेट एक्ट में संशोधन आज राज्यसभा में पास हो गया।

- संशोधन में महिलाओं के मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। इसे बाद में लोकसभा में रखा जाएगा जहां सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में साफ है कि यह प्रस्ताव जल्द ही कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संसद में मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पेश करके किये जाने वाले संशोधनों को पिछली तिथि से मंजूरी दे दी।

=>क्या विशेष है इसमें :-

- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 महिलाओं को उनके प्रसूति के समय रोजगार का संरक्षण करता है और वह उसे उसके बच्चे की देखभाल के लिए कार्य से अनुपस्थिति के लिए पूरे भुगतान का हकदार बनाता है।
- यह 10 या इससे अधिक कर्मचारियों को काम पर रखने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इससे संगठित क्षेत्र में 18 लाख महिला कर्मचारी लाभान्वित होंगी
- इन संशोधनों में दो जीवित बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना और दो बच्चों से अधिक के लिए 12 सप्ताह, कमीशनिंग मां और गोद लेने वाली मां के लिए 12 सप्ताह का अवकाश और 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए क्रेच का अनिवार्य प्रावधान शामिल है।
- नौकरी पेशा महिलाओं के लिए ये काफी बड़ा बदलाव होगा। खास बात ये है कि ये प्रस्ताव पास होता है तो सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।
- सरकार और उनका मंत्रालय पिछले डेढ़ साल से इस प्रस्ताव के लिए प्रयास कर रहा था। काफी प्रयासों के बाद यह प्रस्ताव सदन के पटल तक पहुंचा। हालांकि इस प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय की ओर से पेश किया गया।

GShindi.com

- सरकार यह मानती है कि नवजात बच्चे को जन्म के बाद कम से कम छह माह तक मां का दूध जरूर मिलना चाहिए। ऐसे में जो महिलाएं नौकरीपेशा हैं उनके लिए जरूरी है कि उन्हें पर्याप्त अवकाश दिया जाए।

3.सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को दी गर्भपात की इजाजत (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में बदलाव)

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र की एक बलात्कार पीड़ित महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी. कोर्ट ने एमटीपी एक्ट की धारा 5 के तहत महिला को यह इजाजत दी. बताया जा रहा है कि महिला के गर्भ में पलने वाला यह भ्रूण 24 हफ्ते का है.

=>परिस्थितिजन्य होगा गर्भपात का फैसला :-

★ कोर्ट ने यह फैसला केईएम मेडिकल कॉलेज की सात सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के मद्देनजर लिया है. समिति ने कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि गर्भपात से पीड़ित महिला की जान कोई खतरा नहीं है.

★ सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर महिला की जान को खतरा है तो 20 हफ्ते बाद भी गर्भपात कराया जा सकता है. इसके साथ ही समिति ने कोर्ट को यह भी बताया कि चिकित्सीय असामान्यताओं के कारण यह भ्रूण जन्म लेने के बाद भी बच नहीं पाएगा और अगर महिला इस अविकसित भ्रूण को जन्म देने का फैसला करती है, तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है.

- समिति की रिपोर्ट से अपनी सहमति जताते हुए सरकार ने भी कोर्ट से कहा, "इस मामले में केंद्र के एमपीटी एक्ट की धारा 5 के तहत गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है, क्योंकि समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे पीड़िता की जान को कोई खतरा नहीं है."

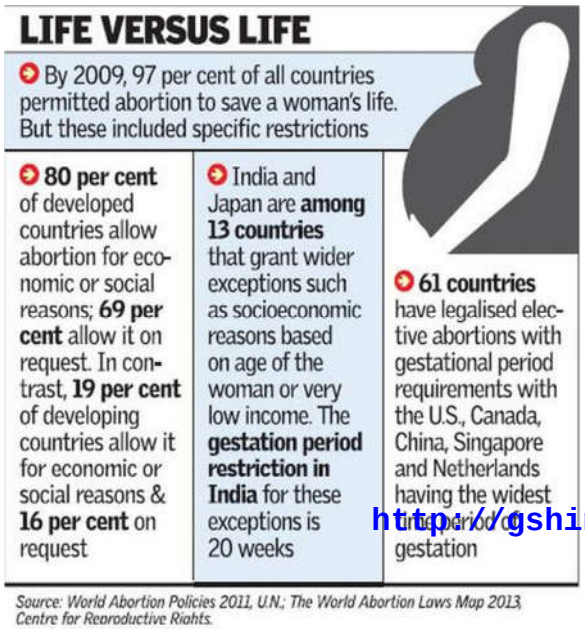

=

★ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के मुताबिक 20 हफ़्ते से ज़्यादा गर्भवती महिला का गर्भपात नहीं हो सकता है।

- लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट और अटॉर्नी

http://gshindi.com

जनरल की दलीलों से सहमत होते हुए एमटीपी एक्ट की धारा पांच के तहत पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी.

- गौरतलब है कि 24 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की मांग करने वाली महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ही वह मामले में आदेश देगा.

- खुद को रेप पीड़ित बताने वाली महिला का कहना है कि उसका भ्रूण सामान्य नहीं है और आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित है. आंतों की समस्या के साथ ही भ्रूण का मस्तिष्क भी विकसित नहीं हो रहा है. ऐसे में बच्चे के पैदा होते ही मर जाने की आशंका है.

=>क्या है यह केस :-

- इससे पहले 2 जून 2016 को डॉक्टरों ने उसका गर्भपात करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे गर्भधारण किए 20 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे. महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि 1971 में जब कानून बना था तो उस समय 20 हफ्ते का नियम सही था, लेकिन अब समय बदल गया है और 26 हफ़्ते बाद भी गर्भपात हो सकता है.

- पीड़िता की दलील को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वास्थ्य सचिव, नरेश दयाल (पूर्व सचिव, आईसीएमआर) और डॉक्टर एनके गांगुली की एक समिति बनाई थी, जिसने इस केस में गर्भपात को जायज ठहराया था.

Disaster Management

1. हाल के वर्षो में भयावह होती बाढ़

पिछले कुछ वर्षो तक बाढ़ को ग्रामीण समस्या के रूप में ही देखा जाता था और हमेशा बाढ़ से ग्रस्त रहने वाले इलाकों के लोगों, जो मुख्यत: किसान होते थे, की मान्यता थी कि बाढ़ आती है और चली जाती है। ऐसा विरले ही होता कि कभी ढाई दिन से ज्यादा टिकी हो। लेकिन हमारे बाढ़-नियंत्रण के प्रयासों ने अब गांवों की कौन कहे, शहरी क्षेत्रों को भी अपने में समेट लिया है और ये ढाई दिन की बाढ़ ढाई हफ्तों, बल्कि कहीं-कहीं तो ढाई महीने की भी हो गई है।

Gshindi.com

पानी आता है, मगर जाता नहीं है। पानी की निकासी के मुहानों का या तो दम घुट गया है या फिर वे बंद हो चुके हैं।

<u>भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र</u>

- गंगा के अलावा शारदा, राप्ती, गंडक और घाघरा की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है। यमुना की वजह से हरियाणा, दिल्ली प्रभावित होता है।
- बढ़ी, बागमती, गंडक और कमला अन्य छोटी नदियों के साथ मिल कर हर साल बिहार में बाढ़ का खौफनाक मंजर पेश करती हैं।
- बंगाल की तबाही के लिए महानंदा, भागीरथी, दामोदर और अजय जैसी नदियां जिम्मेदार हैं।
- ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में पानी की अधिक मात्रा होने से इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आती है। ये अपनी सहायक नदियों के साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों- असम और सिक्किम को प्रभावित करती हैं।
- मध्य भारत और दक्षिण नदी बेसिन ओड़ीशा में महानदी, वैतरणी और ब्राह्मणी बाढ़ का संकट पैदा करती हैं। इन तीनों की वजह से बना डेल्टा क्षेत्र बेहद घनी आबादी का है। इस कारण अधिक तबाही होती है।
- दक्षिण और मध्य भारत में नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा और महानदी में भारी बारिश के कारण बाढ़ आती है। गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में चक्रवाती तूफानों के कारण आंध्र प्रदेश, ओड़ीशा और तमिलनाडु में कभी-कभी बाढ़ आ जाती है।

<u>क्या यह बाढ़े बाढ़-नियंत्रण के क्षेत्र में failure की सूचक है</u>

Gshindi.com

बाढ़-नियंत्रण के क्षेत्र में किया गया निवेश फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहा है। जाहिर है, पिछले कई दशकों में किए गए कामों और उनके नतीजों से कोई सबक नहीं लिया गया।

पहले राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के कुछ observation

देश में पहले राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 39 साल पहले साल 1976 में जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसका उद्देश्य 'बाढ़ का वैज्ञानिक प्रबंधन और बाढ़ जनित कष्टों के निवारण' पर राय देना व उन्हें कम करने के उपाय सुझाना था| आयोग ने साल 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी,

- इसमें 207 सिफारिशें की गई थीं, जिनमें से 25 सिफारिशों को केंद्र सरकार ने 1990 के दशक के मध्य में स्वीकार कर लिया था।
- रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से हुए नुकसान के अध्ययन के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा अग्रणी थे और इनमें उत्तर प्रदेश व बिहार का स्थान सबसे ऊपर था।
- तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का बाढ़ के संदर्भ में इस रिपोर्ट में बस जिक्र भर हुआ।
- आंध्र प्रदेश का छठा स्थान शायद इसलिए था कि 1977 और 1979 में रिपोर्ट तैयार करने के दौरान वहां बहुत भयंकर तूफान के कारण व्यापक क्षति हुई थी।अब हालात एकदम बदल गए हैं।
- आजकल बाढ़ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सुर्खियां बटोरती है और वह दक्षिण-पश्चिम मुखी हो गई है।
- पुराने समय के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पीछे धकेल दिए गए हैं। बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में साल 2007 के बाद इस साल बाढ़ आई है और उसकी तबाही जारी है।

बाढ़ के कारण

- अत्यधिक पानी की आमद और उसके साथ आने वाली गाद
- बाढ़ नियंत्रण के नाम पर हमने नदियों के किनारे ज्यादातर तटबंध ही बनाए हैं, जिससे नदी की पेंदी के ऊपर उठने, जल जमाव और तटबंधों के टूटने से होने वाली परेशानियों ने हालात बदतर किए हैं।

Gshindi.com

- इसके साथ-साथ निकासी के रास्तों का दिनोंदिन संकरा होना, सड़कों, रेल लाइनों के अवैज्ञानिक निर्माण और शहरी क्षेत्रों में जल-निकासी की अनदेखी ने समस्या को बढ़ाया है।

क्या किया जाए

बाढ़ के पानी की निकासी को बेहतर बनाने की जरूरत है। बदली परिस्थितियों में क्या हम एक नए बाढ़/ ड्रेनेज कमीशन की स्थापना के बारे में सोच सकते हैं, जो बाढ़ के साथ-साथ पानी की निकासी की व्यवस्था का अध्ययन कर उससे निपटने के उपाय सुझाए?

---

2. औद्योगिक आपदा: एनडीआरएफ ने शुरू किया राष्ट्रव्यापी अभ्यास

रासायनिक और औद्योगिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल :एनडीआरएफ: कई प्रांतों में प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर अभ्यास करेगा।

- ✓ एनडीआरएफ को प्राकृतिक आपदाओं के अलावा रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु :सीबीआरएन: हादसों की किसी भी स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- ✓ सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत एनडीआरएफ महानिदेशक ओपी सिंह ने सभी प्रांतों एवं केंद्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
- ✓ इस पत्र में कहा गया है, 'कई सुरक्षा निर्देश और अभ्यास पहले से हो रहे हैं, परंतु इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों को शिक्षित करने और संवेदनशील बनाने की जरूरत महसूस की गई है। बड़े औद्योगिक स्थलों और मध्यम स्तर की इकाइयों में एनडीआरएफ साझा अभ्यास की योजना बना सकता है।'
- ✓ आंकड़ों के अनुसार देश में हादसे के जोखिम वाली 1,750 बड़ी इकाइयां और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयां हैं तथा ऐसे कई उद्योग स्थापित भी किए जा रहे हैं।
- ✓ इन खतरनाक इकाइयों के संदर्भ में तैयार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा कदमों के अभाव, तकनीकी खराबी और मानवीय भूल जैसे कई कारण हो सकते हैं जिनसे रासायनिक हादसे हो सकते हैं।

Gshindi.com

- ✓ अभ्यास से निरंतर तैयारी रखने में मदद मिलेगी और ऐसी कोई स्थिति पैदा होने पर उससे प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा।

Internal Security

1. भारतीय सेना द्वारा सीमा पर तकनीक का इस्तेमाल : अब कभी नहीं लांघ पाएंगे भारतीय सीमा को आतंकी

भारत के खिलाफ आतंकवादियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करते आ रहे पाक को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने खासकर आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए कमर कस ली है। भारत-पाक सीमा के लिए पहले ही मंजूर हो चुकी पांच स्तरीय सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने के लिए अब ऐसी तकनीक सुरक्षा बलो के पास होगी, जिसमें शायद ही कोई आतंकी पाक से भारतीय सीमा लांघने की हिम्मत कर पाएं।

- ✓ कश्मीर घाटी के बिगड़ते हालातों के लिए जिम्मेदार पाक पर सख्त केंद्र सरकार ने सीमापार से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को ऐसी तकनीक सौंपने का निर्णय लिया है, जिसमें भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करने वाले किसी भी आतंकी सुरक्षा बलों के रडार पर होगा।
- ✓ भारत-पाक सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा को तीसरी आंख के रूप में सौंपे जाने वाले तकनीकी यंत्र के जरिए घुसपैठ करने वाला आतंकी या काई अन्य घुसपैठिया शायद ही सीमा लांघ सकेगा
- ✓ सरकार ने अत्याधुनिक तकनीकयुक्त **फोलिएज पैनिटेटिंग रडार** सीमा की चौकसी में लगे सुरक्षा बलों को दिये जा रहे हैं, जिस तीसरी आंख यानि रडारयुक्त कैमरे के जरिए सुरक्षा बलों को घने जंगलों में घुसपैठ की फिराक में छिपे आतंकियों को भी पलभर में खोजा जा सकेगा।
- ✓ यही नहीं रडार पर आते ही ऐसे आतंकियों को सुरक्षा बलों की गोलियां घुसपैठ या छिपने से पहले ही अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे पहले अप्रैल में ही गृहमंत्रालय ने भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ

Gshindi.com

रोकने और आतंकियों से निपटने की दिशा में पांच स्तरीय सुरक्षा को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सीमा पर

1. सीसीटीवी कैमरे लगाने
2. थर्मल इमेज और रात में देखे जाने वाले उपकरण स्थापित करने,
3. लड़ाई क्षेत्रों में निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले रडार के अलावा
4. अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग सेंसर्स का इस्तेमाल करने की सुरक्षा बलों को इजाजत देना शामिल है। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का कोड नाम ऑपरेशन चक्रव्यूह रखा गया है। इस पूरे प्लान के पहले चरण के लिए जम्मू-कश्मीर में 18 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

2. कश्मीर में दस गुना बढ़ी घुसपैठ, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट

- ✓ जम्मू-कश्मीर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयासों में हाल में अचानक वृद्धि हुई है। जम्मू-कश्मीर में आतंकी घुसपैठ पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि कश्मीर में घुसपैठ की घटना में दस गुना बढ़ोतरी हुई है।
- ✓ इस साल घुसपैठ की अब तक 54 घटनाएं सामने आईं हैं। इस साल 26 आतंकी वापस पीओके भाग गए और दस आतंकी मारे गए हैं। इस अवधि में घाटी में 40 आतंकियों की भर्ती हुई है
- ✓ सरकार की ओर से बीते दिनों बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयासों में हाल ही में अचानक से इजाफा हुआ है। गृह राज्य मंत्री हंसराम गंगाराम अहीर ने राज्यसभा में कहा था कि इस साल जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादियों के तरफ से घुसपैठ के प्रयास बढ़े हैं।
- ✓ इस साल 30 जून तक आतंकियों ने सीमा पर से घुसपैठ के 90 प्रयास किए जिनमें 10 आतंकी मारे गए और 26 को पीछे खदेड़ दिया गया। इस अवधि में घुसपैठ के 54 मामले हुए थे।
- ✓ वर्ष 2014 में इसी अवधि में सीमा पर से घुसपैठ के 47 प्रयास किए जिनमें 5 आतंकी मारे गए और 32 को पीछे खदेड़ दिया गया। इस अवधि में घुसपैठ के 10 मामले हुए थे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिल कर सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

Gshindi.com

3. चीन की सीमा पर सुखोई तैनात, अरुणाचल के पासीघाट में बनाया गया एडवांस लैंडिंग ग्राउंड

- अरणाचल प्रदेश के पासीघाट में आधुनिक लैंडिंग ग्राउंड)एएलजी (की स्थापना भारत द्वारा की गयी है। यहाँ भारत ने चीन की सीमा पर सुखोई तैनात कर दिया है। यहां के पासीघाट में बनाये गए आधुनिक लैंडिंग ग्राउंड पर सुखोई की लैंडिंग हुई।
- अब यहां से सुखोई 30 एमकेआई जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इससे चीन से लगी सीमा पर भारत की सैन्य क्षमताओं को और बल मिलेगा।
- यह एक रणनीतिक महत्व की परिसंपत्ति है और यह सभी प्रकार के विमानों तथा हेलीकॉप्टरों के संचालन में सक्षम ईस्टर्न एयर कमांड के अधीन केंद्रों में शामिल होगा।
- वायुसेना ने के अनुसार एएलजी से परिचालन से न केवल विभिन्न अभियान संबंधी परिस्थितियों में हमारी कार्रवाई के समय में सुधार होगा बल्कि पूर्वी सीमांत क्षेत्र में वायु अभियानों की क्षमता में इजाफा भी होगा। वायुसेना ने कहा कि एएलजी से सेना, अर्धसैनिक बलों और असैन्य प्रशासन की वायु क्षमता बढ़ेगी।

=>सुखोई की विशेषतायें :-

- ✓ हवा में ही ईंधन भर सकता है
- ✓ फ्यूल खत्म होने के बाद भी 3 घंटे तक हवा में उड़ सकता हैइसमें 10
- ✓ हजार लीटर पानी, फोम एक साथ स्टोर रहता है
- ✓ यह भारत में तैयार किया गया हैलीकॉप्टर है
- ✓ यह भारतीय वायु सेना में एयर एंबुलेंस के रूप में इस्तेमाल होता है।
- ✓ इसे 1989 में भारतीय सेना में इस्तेमाल किया गया।यह जमीन के साथ पानी में 8 किमी/घंटे से चल सकती है।
- ✓ यह जमीन और हवा अलग-अलग जगह टारगेट कर सकते हैं।

4. पोसिडोन-8आइ: निगरानी और युद्धक विमान

GShindi.com

भारत और अमेरिका ने चार अतिरिक्त जासूसी विमान **"पोसिडोन-8आइ"** खरीदने के लिए एक अरब डॉलर का सौदा किया है। लंबी दूरी का यह निगरानी विमान पनडुब्बी ध्वस्त करने वाला युद्धक विमान भी है।

- ❖ इस सौदे का मकसद हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों की निगरानी करना है।
- ❖ हिंद महासागर में पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत ने पहले ही लंबी दूरी की क्षमता वाले आठ पी-8आइ विमान तैनात कर रखे हैं। आज हुए सौदे के चार विमानों के अगले तीन साल में सेवा में आने की उम्मीद है।
- ❖ यह विमान न सिर्फ निगरानी के काम आएंगे बल्कि इन्हें पनडुब्बियों को मार गिराने के लिए हारपून मिसाइलों से भी लैस किया गया है। इसके अलावा विमान में हल्के तारपीडो, रॉकेट आदि भी हैं।
- ❖ इस विमान की उपलब्धता के साथ भारतीय नौसेना अब समुद्र में पैराशूट गिराकर भी निगरानी और लापता विमानों का खोजी अभियान कर सकेगी। फिलहाल भारतीय वायुसेना छोटे पैराशूट गिराकर लापता विमान एनएन32 की तलाश कर रही है।
- ❖ उल्लेखनीय है कि चीन के नौसेना के विस्तार और सुदूर स्थानों में अपनी पनडुब्बियों को भेजने के चलते भारत भी अपनी नौसैनिक निगरानी क्षमता को बढ़ा रहा है। दरअसल चीन ने समूचे हिंद महासागर में अपनी दखलंदाजी बढ़ा दी है। उसने परमाणु हथियारों से लैस नौका श्रीलंका के डौक में स्थापित की है।
- ❖ भारत ने अमेरिकी कंपनी से यह सौदा 2.1 अरब डॉलर में किया था। भारत ने पिछले साल ही अमेरिका के साथ 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे। दोनों देशों के बीच कुल 3 अरब डॉलर का सौदा हुआ था। बुधवार को हुए सौदे को मिलाकर पिछले एक दशक में करीब 15 अरब डॉलर का रक्षा सौदा हुआ है।

5. CAG रिपोर्ट: नौसेना के फाइटर प्लेन मिग-29 पर उठाए सवाल कहा यह उपयोग लायक नहीं

Gshindi.com

- ✓ नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के मुताबिक इसकी स्थिति इतनी खराब है कि यह वास्तव में उपयोग के लिए ही उपलब्ध नहीं है।
- ✓ भारतीय नौसेना समुद्री तटरेखा से सुदूर इलाकों तक अपनी दमदार उपस्थिति के लिए रूस से खरीदे हुए अपने एकमात्र लड़ाकू जेट मिग-29 के पर काफी हद तक निर्भर है। लेकिन नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के मुताबिक इसकी स्थिति इतनी खराब है कि यह वास्तव में उपयोग के लिए ही उपलब्ध नहीं है।
- ✓ नेवी के मिग-29 कार्यक्रम का ऑडिट करने के बाद यह रिपोर्ट पेश की गई है। उसमें कैग ने कहा है कि मल्टी रोल और नौसेना बेड़े के एयर डिफेंस का अहम हिस्सा मिग-29 के में कई खामियां हैं। इसके इंजन में खराबियों समेत कई दिक्कते हैं। इसका मतलब है कि जब भी इसे तैनात किए जाने की जरूरत होगी तो बेहतर से बेहतर स्थिति में भी ऑपरेशनों के लिए 50 प्रतिशत से भी कम मामलों के लिए ही यह पूरी तरह फिट रहेगा।
- ✓ कैग की रिपोर्ट कहती है कि 2010 में जब से मिग-29के विमान सेवा में शामिल किए गए हैं, तब से इनमें से आधे के इंजनों में डिजाइन संबंधी खामियां पाई गई हैं। इसके चलते इसकी सुरक्षित उड़ान एक गंभीर मसला है।
- ✓ इसके अलावा विमानवाहक पोत के संकरे डेक पर उतरने की प्रक्रिया के दौरान भी यह पूरी तरह से सहज नहीं है। इस दौरान भी इसको कई दिक्कतों का सामना करते देखा गया है। इसके साथ ही कैग रिपोर्ट में यह जोड़ा गया है कि डिजाइन में अनेक संशोधनों और सुधारों के बावजूद कई खामियां पाई गई हैं।इन खामियों के बारंबार उत्पन्न होने के चलते नौसेना पायलटों के ट्रेनिंग कार्यक्रम पर बुरा असर पड़ा है।
- ✓ नौसेना अधिकारियों ने माना है कि इसका तात्कालिक कोई समाधान नजर नहीं आता। उनका यह भी कहना है कि मिग-29 के विकल्प की खरीद पर भी बहुत कहने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि इसकी खरीद एक 'पैकेज डील' का हिस्सा थी जिसमें विमानवाहक पोत गोर्शकोव के हस्तांतरण और नवीकरण की योजना भी शामिल थी। गोर्शकोव को

Gshindi.com

नौसेना ने आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में अपने बेड़े में शामिल किया है।

- ✓ उनका यह भी कहना है जब इसको विमानवाहक पोत पर तैनात नहीं किया गया था तो गोवा में स्थित इसके बेस पर रूसी निर्माता के इंजीनियरों की एक टीम को तकनीकी दिक्कतों का समाधान करने के लिए भेजा गया था। वरिष्ठ अधिकारी इस तरफ भी इशारा करते हैं कि मिग-29 के को शामिल करने वाला भारत पहला ऑपरेटर था। यहां तक कि रूसी नेवी से भी पहले इसे यहां शामिल किया गया।
- ✓ यद्यपि उनका यह भी कहना है कि नए प्लेटफॉर्म की दिक्कतों से निपटने में समय लगता है लेकिन इसके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूस ने भी अपने सुखोई की जगह इसी मिग-29के को बेड़े में शामिल करने का फैसला किया है। हालांकि भारतीय नौसेना के सूत्र हिचकिचाते हुए यह भी कहते हैं कि बार बार होने वाली दिक्कतों को सुधारने और इसे बेहतर करने के भारतीय अनुभवों से बेशक रूस को भी फायदा होगा।

MIG-29

भारत ने 2004-10 के दौरान इस तरह के 45 लड़ाकू विमानों को खरीदा था। इसे देश के प्रमुख युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया गया है। कोच्चि में निर्मित हो रहे विमानवाहक पोत विक्रांत का भी यह मुख्य लड़ाकू विमान होगा। इस बात की भी पूरी संभावना है कि यह अभी डिजाइन स्तर पर चल रहे तीसरे विमानवाहक पोत विशाल का भी मुख्य लड़ाकू विमान होगा।

Miscellaneous / विविध

1. 25 साल में पहली बार एक साथ चार खेल रत्न

- रियो ओलिंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, ब्रॉन्ज जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर और शूटर जीतू राय को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा जाएगा।

Gshindi.com

- 25 साल के इतिहास में पहली बार एक साथ चार खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिलेगा।

दीपा के कोच बिशेश्वर नंदी और भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

2. Quess satelite

यह दुनिया का पहला quantum उपग्रह है चीन द्वारा छोड़ा गया है
यह quantum encryption पर काम करेगा
इसकी फुल फॉर्म है Quantum Experiments at Space Scale (QUESS)

3.देश में छह और IIT और आंध्र में एनआईटी को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

- जम्मू और तिरूपति जैसे स्थानों पर छह नए आईआईटी की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है।
- राष्ट्रपति ने 'प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016' को मंजूरी दे दी। इस अधिनियम के तहत पलक्कड (केरल), गोवा, धारवाड़ (कर्नाटक) और भिलाई में भी आईआईटी शुरू किए जाएंगे।
- इस कानून के दायरे में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम), धनबाद भी आया है। आईएसएम को अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी (आईएसएम), धनबाद के नाम से जाना जाएगा। - इसमें नए और पुराने दोनों नामों का समावेश किया गया है। अधिनियम के अनुसार ये तमाम संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होंगे।
- लोकसभा ने गत 25 जुलाई को 'प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016' पारित किया था। दो अगस्त को इसे राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति ने आंध्रप्रदेश में एक एनआईटी की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के तहत यह संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में काम करेगा।

4.अब जारी हुए भिखारियों के धर्म आधारित जनगणना आंकडे

GShindi.com

- ✓ भिखारियों के रूप में वर्गीकृत किए गए मुस्लिमों का प्रतिशत असमान रूप से अधिक है।
- ✓ भारत की आबादी में करीब 14.23 संख्या करीब मुस्लिमों की है। हालांकि, कुल भिखारियों में करीब 25 फीसद यानी 3.7 लाख भिखारियों में से 92 हजार 760 मुस्लिम लोगों को भारत सरकार द्वारा भिखारियों की श्रेणी में रखा गया है।
- ✓ धर्म के आधार पर की गई 2011 की जनगणना में उन्हें गैर-कर्मचारियों की श्रेणी में रखा गया है। यानी समाज के कुछ खास वर्ग सरकार की योजनाओं तक नहीं पहुंच पाती है और इस तरह से उन्हें बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है
- ✓ जनगणना में गैर-कर्मचारियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में रखा गया है, जो किसी भी आर्थिक गतिविधि में शिरकत नहीं करते हैं। फिर चाहें वह वेतनिक हो या अवैतनिक, घरेलू काम हो या खेती। जनगणना के डाटा के अनुसार, 72.89 करोड़ लोग नॉन वर्कर हैं, जिसमें से 3.7 लाख भिखारी हैं
- ✓ इस आंकड़े में वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में 41 फीसद की गिरावट हुई है, जिसमें भिखारियों की संख्या 6.3 लाख बताई गई थी। भिखारियों के रूप में वर्गीकृत किए गए मुस्लिमों का प्रतिशत असमान रूप से अधिक है। देश की कुल 3.7 लाख भिखारियों की आबादी में मुस्लिमों की संख्या एक चौथाई यानी 92 हजार 760 है
- ✓ देश में हिन्दुओं की आबादी 79.8 फीसद है, लेकिन इसमें से 2.68 लाख लोग भिखारी हैं, जो कुल भिखारियों की संख्या का 72.22 फीसद है। देश में इसाईयों की संख्या 2.3 फीसद है और उनमें से 0.88 फीसद यानी करीब 3303 लोग भीख मांगते हैं।
- ✓ भीख मांगने वाले लोगों के प्रतिशत की बात करें तो 0.52 फीसद बुद्ध, 0.45 फीसद सिख, 0.06 फीसद जैन और 0.30 फीसद अन्य धर्मों के लोग इस पेशे में लिप्त हैं। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि मुस्लिम पुरुष भिखारियों की तुलना में मुस्लिम महिला भिखारियों की संख्या अधिक है।

- ✓ यह चलन सभी समुदायर में भीख मांगने वाले महिलाओं और पुरुषों की संख्या से उल्टा है। देश के भिखारियों में औसतन करीब 53.13 फीसद पुरुष भिखारी और 46.87 फीसद महिला भिखारी हैं। - वहीं, मुस्लिमों में यह अनुपात 43.61 फीसद पुरुष भिखारी और 56.3 फीसद महिला भिखारियों का है
- ✓ गौरतलब है कि देश में भीख मांगना गैरकानूनी है और इसके लिए तीन से 10 साल तक कैद की सजा मिल सकती है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 का करीब-करीब देश के हर राज्य में पालन किया जाता है।
- ✓ बिहार जैसे कुछ राज्यों में भिखारियों के पुनर्वास का कार्यक्रम शुरू किया गया है। मगर, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सड़क पर मिलने वाले भिखारियों को जेल में डाल दिया जाता है।

5.Ramon Magsaysay पुरस्कार के लिए चुने गए बेजवाड़ा विल्सन, टीएम कृष्णन

- ✓ भारत में मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए एक प्रभावशाली मुहिम चलाने वाले एवं कर्नाटक में जन्मे बेजवाड़ा विल्सन और चेन्नई के गायक टी एम कृष्णा को वर्ष 2016 के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैगसायसाय पुरस्कार के लिए चुना गया।
- ✓ इस पुरस्कार के लिए दो भारतीयों के अलावा चार अन्य को चुना गया है जिनमें फिलीपीन के कोंचिता कार्पियो-मोरैल्स, इंडोनेशिया के डोंपेट डुआफा, जापान ओवरसीज कोऑपरेशन वालंटियर एवं लाओस के "वियंतीएन रेसेक्यू' शामिल हैं।
- ✓ सफाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेए) के राष्ट्रीय संयोजक विल्सन को "मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार की दृढतापूर्वक बात करने के कारण" पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।
- ✓ कृष्णा को "संस्कृति में सामाजिक समावेशिता" लाने के लिए "एमरजेंट लीडरशिप" श्रेणी के तहत पुरस्कार के लिए चुना गया है।

6. जल्लीकट्टू सदियों पुरानी प्रथा होने का अर्थ न्यायोचित होना नहीं होता

क्या कहा न्यायालय ने:

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जल्लीकट्टू के महज सदियों पुरानी प्रथा होने के कारण इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।
- जल्लीकट्टू: के सदियों पुरानी होने भर से यह नहीं कहा जा सकता कि यह कानूनी या कानून के तहत अनुमति देने योग्य है। सदियों से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी होती थी। क्या इसका यह मतलब है कि बाल विवाह कानूनी है?
- कोर्ट ने कहा, जलीकट्टू को क्या इजाजत दे देनी चाहिए भले ही वो 5000 साल पुरानी परंपरा हो और कानून के दायरे से बाहर हो। अगर तमिलनाडू सरकार हमें संतुष्ट करे कि हमारा रोक लगाने का फैसला सही नहीं तो मामले को संवैधानिक बेंच को भेज देंगे।

क्या है यह खेल :

तमिल लोगों के बीच पोंगल उत्सव के समय जलिकट्टू सबसे अधिक पसंदीदा खेल है। यह बैलों से जुड़ा एक पारंपरिक खेल है।

Background:

जानवरों के साथ बर्बर व्यवहार के चलते यह खेल काफी विवादास्पद हो गया है, जिसके लिए पशु कल्याण बोर्ड ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। याचिका के तहत उसने इस खेल पर पाबंदी लगाने की माँग की थी। अदालत ने इस खेल पर रोक लगा दी थी, परंतु बाद में इसे सशर्त जारी रखने पर सहमति जताई थी।

केंद्र सरकार ने जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि जलीकट्टू से रोक हटाई जानी चाहिए। यह कोई खूनी खेल नहीं है, न ही सांडों को कोई नुकसान होता है। यह पुरानी परंपरा है जिसमें 30 सेकेंड से लिए सांड को काबू कर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। यह परंपरा महाभारत काल में भी थी जब श्रीकृष्ण ने कंस के महल में सांड को काबू किया और कौशल की राजकुमारी से शादी करने के लिए सात सांडों को काबू करने की कथा भी है। केंद्र ने तमाम कदम उठाए हैं कि खेल के दौरान सांड को कोई नुकसान नहीं हो।

Gshindi.com